खण्ड-196, अंक-8
बुधवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1880
(20 अगस्त, 1958 ई0)

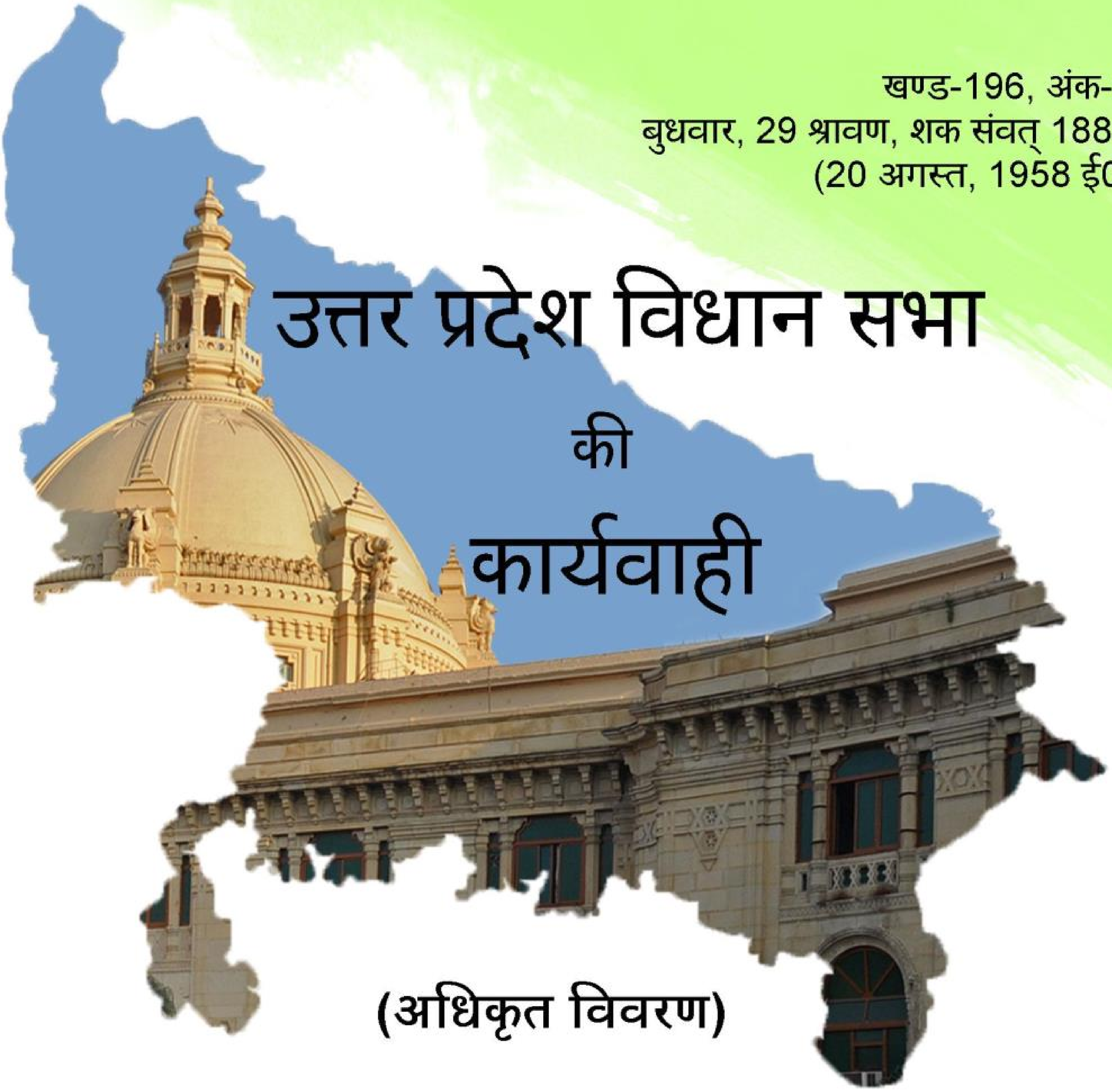

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५८९–५९३
प्रश्नोत्तर	५९३–६१६
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६१६–६१७
बाराबंकी जिले में ग्राम समाज अमोली कलां के ग्राम प्रधान द्वारा जेल में अनशन के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६१७
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र श्री शिवदत्त तिवारी के अनशन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६१७
हटवा, जिला गोरखपुर में अन्नाभाव के कारण उपस्थित संकट पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	६१८
सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ले की कमी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६१८
भारतीय नाविक जल-मजदूर संघ द्वारा हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	६१८–६२१
देवरिया जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में हुई गड़बड़ी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	६२१–६२२
शारदा नहर के बन्द होने से संबंधित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६२२
देवरिया जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में हुई गड़बड़ी के विषय पर विचार की मांग	६२२–६२५
संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर एक्ट, १९४८ की धारा ३ (क) के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	६२५–६२६
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	६२६–६२८
एक सदन के सदस्य, अधिकारी या सेवक द्वारा किसी दूसरे सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना पर कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	६२८–६५२
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर तथा उसे प्रवर समिति को सिपुर्द करने के संशोधन पर विवाद–जारी)	६५२–६६४
बस्ती जिले की मोगढ़ तहसील में प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठी-चार्ज से संबंधित ५ अगस्त, १९५८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १३–१५ के विषय पर विवाद	६६४–६७१
नस्थियां	६७२–६७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

बुधवार, २० अगस्त, १९५८

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कलेचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर,श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद , श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम , श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकरामशर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावतीमिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम , श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम ,श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन , श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख , श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन , श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लतफ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवसुम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुखमाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुगीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हर्मदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्तकाण्डपाल, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरालाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करने की सरकारी नीति के सम्बन्ध में जानकारी

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रबन्ध कार्यों में श्रमिकों द्वारा हाथ बटाये जाने (Labour participation in Management) सम्बन्धी योजना की उत्तर प्रदेश में क्या प्रगति हुई ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—जहां तक इस योजना को असरकारी प्रतिष्ठानों में लागू करने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार स्वयं उचित कार्यवाही कर रही है, और उनका सेवायोजकों से स्वतः पत्र-व्यवहार भी हो रहा है ।

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार किसी राजकीय उद्योग में भी उक्त योजना को लागू करने का है ? यदि हां, तो कब से ?

आचार्य जुगल किशोर—सरकारी क्षेत्र में इस सरकार ने इस योजना को गवर्नमेन्ट प्रेसीशन इन्सट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ में लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है । योजना को चलाने के लिये उनके आदेशों की प्रतीक्षा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार किन-किन असरकारी उद्योगों में इस योजना को चलाया जाने वाला है और किन-किन कम्पनियों से पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

आचार्य जुगल किशोर—जैसा कि मैंने अभी पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था इसका इंतजाम केन्द्रीय सरकार ही कर रही है कि किन-किन असरकारी प्रतिष्ठानों में यह लागू करायी जाय । मेरे पास इसकी सूचना नहीं कि कहां-कहां और लागू करायी जाने वाली है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि लेबर का जो सब्जेक्ट है वह कान्करेंट लिस्ट में है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट भी हमारा अलग है, स्वयं ऐसा प्रबन्ध करेगी कि यू० पी० में बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के इस योजना को लागू किया जा सके ?

आचार्य जुगल किशोर---यह जो योजना लागू किये जाने के ऊपर निश्चय किया गया है यह लेबर और एम्प्लायर्स दोनों की एक मीटिंग में दिल्ली में निश्चित हुआ था। उन्होंने यह निश्चय किया था कि कुछ प्रतिष्ठानों में इस प्रयोग को फिलहाल लागू किया जाय। फिर सोचा जायगा कि कहां-कहां लागू किया जा सकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी के सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवहार माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से कर रहे हैं इस योजना को लागू करने के सिलसिले में, उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी में लागू कराने की बात है, जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया है और केन्द्रीय सरकार के आदेश का इन्तजार कर रही है। लेबर और एम्प्लायर्स के बीच में जो कुछ भी समझौते से कार्य हो सकता हो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि जितनी भी उसमें सहायता दे सकती हो दे।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या प्रदेशीय सरकार, केन्द्रीय सरकार जो कार्यवाही कर रही है, सरकारी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में, उनकी सूचना प्राप्त करके सदन को देने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं सूचना प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी द्वारा इस सदन में दिये हुये इस आश्वासन को देखते हुये कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मैनेजमेंट में मजदूरों को सम्मिलित किया जायगा, वहां पर भी इस प्रकार की योजना तैयार करने की कोशिश करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---अभी तक तो प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी में ही प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद अगर आवश्यकता समझी गयी तो और फैक्टरियों में भी लागू किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का इरादा इस सम्बन्ध में कोई लेजिस्लेशन लाने का भी है ?

आचार्य जुगल किशोर---अभी तक तो कोई लेजिस्लेशन लाने का विचार नहीं है।

मसौदा राजकीय कृषि फार्म, फैजाबाद का पैडी रिसर्च केन्द्र

**३---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पैडी रिसर्च का मुख्य केन्द्र प्रदेश में कहां खोला जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---मसौदा राजकीय कृषि फार्म, फैजाबाद पर।

**४---श्री उग्रसेन---क्या सरकार मुख्य केन्द्र के फार्म के paddy growing area को बताने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---फार्म के कुल क्षेत्रफल २०६.२५ एकड़ में से लगभग ८० एकड़ में धान की काश्त होती है।

** ५---श्री उग्रसेन---पैडी रिसर्च का प्रथम केन्द्र प्रदेश में कहां खोला गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---नगीना, जिला बिजनौर।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार बतलायेगी कि मसौदा फार्म में यह पैडी रिसर्च का मुख्य केन्द्र क्यों खोला जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि मसौदा में हमारे पास पुराना फार्म है और दूसरे यह कि सूबे में जो पैडी ग्रोइंग एरिया है उसके यह मध्य में पड़ता है।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार को ज्ञात है कि पैडी ग्रोइंग एरिया, गोरखपुर में सरकार का एक बड़ा फार्म है तो वहां पर यह क्यों नहीं खोला गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---वहां पर रिसर्च फार्म है, लेकिन प्रश्न यह था कि मुख्य केन्द्र कहां हो तो वह यहां पर खोला गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पैडी रिसर्च में कोई फारेन एक्सपर्ट भी बुलाया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अभी तक इस रिसर्च केन्द्र पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी तक यह रिसर्च केन्द्र नहीं था। अभी तक नगीना में था। अब यह यहां लाया जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ऐसी जगहों पर, खासकर अलमोड़ा जिले में भी, यह रिसर्च केन्द्र खोला गया है जहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मछखाली में जो फार्म खोला जा रहा है उसको अच्छी तरह से पहले डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ने देख लिया है। वह जगह उसके लिये मुनासिब है और सब बातें देखकर वहां के लिये फैसला हुआ है।

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में छात्रों के उत्पात से क्षति

**६---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि दिनांक ६ अगस्त, १९५८ को मऊनाथभंजन (आजमगढ़) में छात्रों ने एक प्रदर्शन किया तथा स्थानीय डाकघर, रोडवेज, स्टेशन, सिनेमाघर आदि में तोड़-फोड़ की ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जी हां।

**७---श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)---यदि हां तो अनुमानतः कितने की क्षति हुई तथा अब स्थिति कैसी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अनुमानतः १,१७१ रुपये की क्षति हुई। स्थिति अब शान्त है।

प्रतापगढ़ जिले की कुण्डा तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की मांग

**८---श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---क्या यह सही है कि कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की मांग की गयी है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जिलाधीश, प्रतापगढ़ से एक पत्र सितम्बर, १९५७ में प्राप्त हुआ था जिसमें सम्पूर्ण जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की मांग की गयी थी, इसमें कुण्डा तहसील का विशेष जिक्र नहीं था।

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रतापगढ़ शहर में १६ दूकानें हैं और देहाती हलके में २० दूकानें हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश, प्रतापगढ़ ने शहर और जिले के लिये कितनी मांग की थी ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

फर्रुखाबाद जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सस्ते गल्ले की किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी दूकानें खोली गयीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—फर्रुखाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों में खोली गयीं सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित हैं :

(१)	तहसील फर्रुखाबाद तथा फतेहगढ़ उपनगर ..	१२ दूकानें
(२)	तहसील कन्नौज	२ दूकानें
(३)	तहसील कायमगंज	..
(४)	छिबरामऊ	..
	योग ..	१४ दूकानें

उक्त दूकानों के अतिरिक्त शमशाबाद, कैम्पिल तथा कायमगंज बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में एक एक दूकान खोलने की स्वीकृति दे दी गयी है ।

राज्य के पश्चिमी जिलों को भाखरा नांगल डैम से बिजली मिलने के सम्बन्ध में जानकारी

**१०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या वह भाखरा नांगल डैम से बिजली लेने के लिये केन्द्रीय सरकार व पंजाब सरकार से लिखा पढ़ी कर रही है ? यदि हां, तो कब से और उसका क्या परिणाम हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—भाखरानांगल योजना से बिजली खरीदने के लिये पंजाब सरकार से १९५० में बातचीत शुरू हुई थी पर अब वह खत्म हो गयी है ?

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५० में जो बातचीत शुरू की गयी उसका आधार क्या था ?

श्री धर्मसिंह—इसका यह आधार था कि भारत सरकार की हिदायत के अनुसार लिखापढ़ी की गयी कि पंजाब सरकार बिजली दे ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली की आवश्यकता को देखते हुए वह पुनः इस सम्बन्ध में बातचीत करने को तैयार हैं ।

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली की आवश्यकता को देखते हुए उसने उसका क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री धर्मसिंह—हम १९६०–६१ में कुछ बिजली उत्पन्न करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वह पश्चिमी जिलों के लिये काफी होगी ।

हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी संबंधी अध्यादेश लागू करने में राज्य सरकार से राय न लेना

**११—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के कोर्ट एवं काउन्सिल के अनुलम्बित करने के लिये जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने निकाले हैं उस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई राय ली गयी थी ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई राय नहीं ली गयी ।

**१२—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या मुदालियर जांच समिति की नियुक्ति के पूर्व हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कार्यों के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने कोई राय विश्वविद्यालय के निरीक्षक (visitor) के पास भेजी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो अध्यादेश निकला है उस सम्बन्ध में यह सरकार क्या अपनी राय इस कारण जाहिर नहीं करना चाहती है कि उसमें इसका भी अनुदान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह विश्वविद्यालय तो केन्द्रीय सरकार का है और उनकी यूनियन लिस्ट में है। अतः जब उन्होंने कोई अध्यादेश निकाला है तो उसमें उत्तर प्रदेश की राय लेने की उनको आवश्यकता नहीं थी और न उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कोई राय देना चाहती है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अध्यादेश जारी होने के पूर्व इसकी प्रतियां मुख्य मंत्री को भेजी गयी थीं और उनकी सम्मति भी उस पर ली गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना मुझे नहीं है । मुमकिन है ऐसा हुआ हो ।

श्री राजनारायण—मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, क्या वह इसका स्पष्टीकरण करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अगर मुझसे किसी मामले में केन्द्रीय सरकार ने राय ली हो तो वह ऐसी चीज नहीं कि जिसका मैं सदन में जिक्र करूं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और काशी विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा माननीय सदन के सदस्यों ने एक प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री जी को दिया था कि उनकी यह राय केन्द्र को भेज दी जाय ? क्या वह उस प्रतिवेदन को भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है, संभव है कि कोई ऐसा पत्र आया हो । अगर वह आया होगा तो जो उचित कार्यवाही उस पर होगी कर दी जायगी ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिस चीज का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से न हो उसमें राय देना कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर रोजगार दफ्तर से रोजगार मिलना

*१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोजगार दफ्तर में कितने व्यक्तियों ने १९५६ में व १९५७ में रजिस्ट्रेशन करवाया तथा उनमें से कितने व्यक्तियों ने रोजगार पाया ?

आचार्य जुगल किशोर—गोरखपुर रोजगार दफ्तर ने १९५६ में २३,४२८ व्यक्तियों को रजिस्टर किया और उनमें से १,४०८ को रोजगार दिलाया, १९५७ में १८,३१६ व्यक्ति रजिस्टर हुए और ८८९ ने रोजगार पाया।

*२-३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया है।]

फसल काटने के लिए कैदियों की पैरोल पर रिहाई

*५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ ई० में कितने कैदियों को फसल काटने इत्यादि के लिये पैरोल पर छोड़ा गया ?

सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—७८।

*६—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—कितने कैदियों ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भेजे ?

श्री मुजफ्फर हसन—५६१।

बलिया जिले में रुद्रपुर ग्राम की कटी जमीन पर बिहार का कब्जा

*७—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० और बिहार की सीमा पर स्थित बलिया जिले के रुद्रपुर नामक गांव की कितनी जमीन कट कर बिहार में चली गयी है और कटी हुई जमीन जो बिहार में चली गयी है उस पर किसका कब्जा है ?

वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह)—रुद्रपुर गांव की कुल ९१७ एकड़ भूमि अर्सा हुआ कट कर बिहार प्रदेश में चली गयी। इस भूमि पर बिहार प्रदेश के निवासियों का कब्जा है।

*८—१०—श्री गौरीशंकर राय—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सूखाग्रस्त जिलों में लगान व मालगुजारी में छूट

*११—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सूखे के कारण रबी की पिछली फसल किस-किस जिले में कितनी नष्ट हुई है तथा जिलेवार लगान और मालगुजारी में कितनी छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—प्रदेश के जिन जिलों में क्षति हुई है उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न अनुसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७२ पर)

गोरखपुर जिले में लगान की वसूली व बकाया रकम

*१२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद से अब तक कितनी मालगुजारी वसूल हुई है तथा सरकारी छूट के बाद कितनी और बाकी है ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

श्री मदन पांडेय— क्या मंत्री जी किस्तवार रबी और खरीफ की अलग-अलग वसूली बतायेंगे ?

श्री चरणसिंह—खरीफ में १७,६३,९०२.३२ रुपये और १५ जुलाई, १९५८ तक रबी की वसूलयाबी १४,२१,०३०.९८ रुपये है।

श्री उग्रसेन— वसूल हुई मालगुजारी में १३६४ फसली की स्थगित कितनी मालगुजारी है ?

श्री चरणसिंह—यह मैं इस समय नहीं बता सकूंगा।

गोरखपुर जिलान्तर्गत महाराजगंज तहसील के जुडीशियल आफिसर के विचाराधीन मुक़दमे

*१३—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर की महाराजगंज तहसील के जुडिशियल अफसर के कोर्ट में इस समय कुल कितने मुकदमे विचाराधीन हैं जिनमें कितने माल के तथा कितने दीवानी के हैं ?

श्री चरणसिंह—३१ जुलाई, १९५८ को कुल ३२८ मुकदमें विचाराधीन थे जिनमें १७१ माल के तथा ९० दीवानी के थे।

बांदा जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता सम्बन्धी कार्य

*१४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि बांदा जिले में सूखे के कारण सन् १९५७ की खरीफ की फसल नष्ट हुई और रबी सन् १९५८ की भी नष्ट हो गयी जिसके परिणामस्वरूप बांदा जिले में भयंकर अकाल की स्थिति खड़ी हो गयी है ? यदि हां, तो वहां की जनता के सहायतार्थ ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चरणसिंह—बांदा जिले में सूखे के कारण सन् १९५७ की खरीफ की फसल और सन् १९५८ की रबी की फसल को क्षति पहुंची है जिसके फलस्वरूप उस जिले के कुछ क्षेत्रों में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। क्षति-ग्रस्त ग्रामों की जनता की सहायता के लिये जो कार्य किये गये हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

*१५—१७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिलान्तर्गत डुमरियागंज तहसील के चकबन्दी क्षेत्र में डिप्टी डाइरेक्टर का कथित आदेश

*१८—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले में चकबन्दी क्षेत्र तहसील डुमरियागंज में, डिप्टी डायरेक्टर ने S. O. (O) को यह आदेश दिया है कि चकों के निर्णय में स्थल पर C. O. को न ले जाया करें ?

श्री चरणसिंह—सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार डिप्टी डायरेक्टर न इस प्रकार का आदेश बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को नहीं दिया।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बजाय डिप्टी डाइरेक्टर के डाइरेक्टर महोदय ने ऐसा कोई आदेश दिया था?

श्री चरणसिंह—डाइरेक्टर ने भी नहीं दिया।

*१९-२०—श्री रामलखन मिश्र—[हटा दिये गये।]

कमिश्नरी कार्यालयों के दफ्तरियों को कम्बल देने की सिफारिश

*२१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि कमिश्नरी कार्यालयों में काम करने वाले दफ्तरियों को नियम के अनुसार कम्बल आदि प्रदान नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों?

श्री चरणसिंह—कमिश्नरी कार्यालयों में काम करने वाले दफ्तरियों को कम्बल आदि देने का कोई नियम नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के अनुसार अन्य सभी कार्यालयों के दफ्तरियों को यह सुविधा दी जाती है तो क्या कमिश्नरों के कार्यालयों में देने पर भी विचार करेंगे?

श्री चरणसिंह—सभी कार्यालयों में नहीं दी जाती है। शायद एक या दो दफ्तरों के दफ्तरियों को दी जाती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—वे एक या दो कार्यालय कौन से हैं जिनके दफ्तरियों को कम्बल दिया जाता है?

श्री चरणसिंह—बोर्ड आफ रेवेन्यू और सेक्रेटेरियट।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सन् १९४७ से पहले ऐसी व्यवस्था थी? यदि हां, तो क्या उसे पुनः लागू करने की कृपा करेंगी?

श्री चरणसिंह—मैं यह नहीं कह सकता कि सन् १९४७ से पहले थी या नहीं। आज जो एम० जी० ओज० हैं उनमें इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों के राज्य कर्मचारियों की हिल-एलाउन्स के लिए मांग

*२२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री जी के पास पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी 'चतुर्थ' एवं 'मिनिस्टीरियल' श्रेणी के कर्मचारियों को 'हिल-एलाउन्स' पुनः दिये जाने हेतु कोई मांग आयी है? यदि हां, तो इस मांग को स्वीकार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—जी हां। पर्वतीय भत्ते को समाप्त करने का निर्णय शासन ने इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद लिया था और अब इस भत्ते को पुनः दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समाप्त करने के निर्णय का आधार क्या है?

श्री चरणसिंह—सन् १९४७ की पे कमेटी द्वारा तनख्वाहों में वृद्धि करना और महंगाई भत्ता देने की वजह से गवर्नमेंट ने सन् १९५१ में तय किया कि जो लोग भत्ता पा रहे हैं वे तो पाते रहेंगे लेकिन आयन्दा नये आदमियों को नहीं दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह केवल नये आदमियों को ही नहीं बल्कि पुराने आदमियों के स्थानान्तरण पर भी काट दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—अगर कोई ऐसी जगह जाता है कि जो भत्ता उसके प्रिडिसेसर को मिलता था तो उसको भी मिलेगा। लेकिन अगर प्रोमोशन पर ऐसी तनख्वाह पाकर जाता है जिसका भत्ता नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा।

पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की प्रार्थना

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार अपने पेन्शनरों के महंगाई भत्ते में अस्थायी रूप से वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या यह बात ठीक है कि केन्द्रीय सरकार ने गत अप्रैल से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की कृपा की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—तारीख तो मैं ठीक नहीं कह सकता लेकिन यह ठीक है कि उन्होंने अपने पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने का कोई निश्चय किया है। फिलहाल प्रदेशीय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

*२४—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला गजेटियरों के प्रकाशन का कार्य

*२५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गजेटियरों के प्रकाशन में क्या प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह—लखनऊ का जिला गजेटियर समाप्त होने पर है तथा फैजाबाद, बाराबंकी व सीतापुर जिले के गजेटियरों को लिखने के लिए सामग्री एकत्रित की जा रही है।

*२६—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या जिला गजेटियर अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित होंगे ?

श्री चरणसिंह—हां, सरकार का विचार जिला गजेटियरों को हिन्दी में भी प्रकाशित कराने का है।

*२७—श्री मोतीलाल अवस्थी—जिला गजेटियरों के प्रकाशन में कितना व्यय होने की आशा है तथा उसके संकलन का प्रबन्ध क्या है ?

श्री चरणसिंह—जिला गजेटियरों के प्रकाशन में ३१ मार्च, १९५८ तक करीब ४,५०,००० रुपये व्यय हो चुका है। पूर्ण योजना पर कितना धन व्यय होगा यह अनुमान अभी नहीं किया जा सकता है। जिला गजेटियरों के लिए सामग्री संकलन करने के लिए फील्ड असिस्टेंट तथा कम्पाइलर नियुक्त किये गये हैं जो स्थान-स्थान पर जाकर सूचना एकत्रित करते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गजेटियर लिखने में गैर-सरकारी सूत्रों द्वारा संकलित सूचनायें किस प्रकार उपलब्ध की जाती हैं ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५५ में जब इस योजना का निर्णय हुआ था तो जिले-जिले में कमेटियां बनी थीं जिनमें गैर-सरकारी लोग रखे गये थे जिलाधीश के सभापतित्व में। लेकिन

[श्री चरणसिंह—]

उन कमेटियों ने कोई अच्छा काम नहीं किया अर्थात् गैर-सरकारी सदस्यों से कोई खास मदद नहीं मिली। अब कोई गैर- सरकारी सज्जन मदद देना चाहें तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम उसका स्वागत करेंगे। फील्ड असिस्टेंट और कम्पाइलर्स जिले-जिले में जाते हैं और जिन लोगों से उन्हें कोई इत्तला मिल सकती है उनके पास जाने की कोशिश करते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अन्य जिलों में संकलन करने में सरकार को क्या दिक्कत महसूस हो रही है?

श्री चरणसिंह—सभी जिलों में एक साथ करने की जो पहले कोशिश की गयी थी वह अब रिवाइज कर दी गयी है। सब जगह एकदम नहीं बल्कि जिलेवार कोशिश की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'गजेटियर' शब्द का हिन्दी अनुवाद सरकारी रूप से क्या अधिकृत किया गया है?

श्री चरणसिंह—मैं त्रिपाठी जी से पूछ कर कल-परसों में बताने की कोशिश करूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस जिला गजेटियर का संकलन कितने वर्षों में पूरा हो जायगा?

श्री चरणसिंह—इसमें ५-६ साल और लगेंगे।

*२८-२९—श्री उग्रसेन—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

हल्द्वानी तहसील में काबिज हरिजन भूमिहीनों की जमीन

*३०—श्री प्रतापसिंह—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्याय मंत्री ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में हल्द्वानी तहसील में काबिज हरिजन भूमिहीनों की जमीन का मौका मुआइना किया? यदि हां, तो क्या उस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री चरणसिंह—जुलाई के प्रथम सप्ताह में मैं हल्द्वानी नहीं गया।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन् मेरा सवाल यह है कि—"क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्याय मंत्री ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में हल्द्वानी तहसील में काबिज हरिजन भूमिहीनों की जमीन का मौका मुआइना किया"। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया "मैं नहीं गया" यह उत्तर ठीक नहीं है।

श्री चरणसिंह—मेरी फाइल में जो सवाल है उसमें "वित्त मंत्री" ही लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—गलती से हमारे ही दफ्तर में प्रश्न में "वित्त मंत्री" ऐसा लिखकर चला गया था। उसके बाद वहां से दूसरा पत्र भेजा गया कि "वित्त मंत्री" के बजाय "न्याय मंत्री" कर लिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि उस पर माननीय वित्त मंत्री के दफ्तर में कोई विचार नहीं हुआ। मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी इसका उत्तर अगले हफ्ते में दे दें।

श्री चरणसिंह—तो फिर उसका उत्तर माननीय न्याय मंत्री दे दें।

श्री अध्यक्ष—वैसे तो इसका सम्बन्ध आपसे ही है, आप उनसे दरियाफ्त करके उत्तर दे दें।

(प्रश्न ३० स्थगित किया गया।)

*३१—श्री मदन पांडेय—[३ सितम्बर, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिले में बाढ़ से कथित क्षति

*३२—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में १९५७ में सैलाब आने से कितने गांवों में फसल नष्ट हो गयी और कितने गांवों में लगान माफ किया गया और तकावी दी गयी ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५७ ई० में जिला वाराणसी में कोई सैलाब नहीं आया। अतः इस आपदा के कारण किसी भी गांव में फसल के नष्ट होने तथा मालगुजारी व लगान में छूट देने और तकावी बांटने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री लोकनाथसिंह—क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ की खरीफ की फसल के बारे में जिला मजिस्ट्रेट की क्या रिपोर्ट है ?

श्री चरणसिंह—आपने पूछा था कि बाढ़ के कारण कितनी क्षति हुई और उसके लिये कितनी छूट दी गयी इसका जवाब दिया गया। तब सूखा तथा अन्य कारणों से क्षति हुई थी और ९ लाख से ज्यादा छूट दी गयी थी।

श्री लोकनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह किसके द्वारा जांच करायी गयी कि सन् १९५७ में बाढ़ नहीं आयी ?

श्री चरणसिंह—मुझे उस वक्त की याद है और कलेक्टर ने भी लिख कर भेजा है कि नहीं आयी।

*३३-३४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम कृष्णदत्तपुर नवादा, जिला कानपुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*३५—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम कृष्णदत्तपुर नवादा, परगना व तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में दिनांक २२-४-५८ को भयंकर आगजनी से सारे ग्राम की चल व अचल सम्पत्ति का प्रायः नाश हो गया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सहायता दी और किस रूप में दी ?

श्री चरणसिंह—ग्राम कृष्णदत्तपुर नवादा, परगना व तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में दिनांक २२-४-५८ को भीषण आग लगी थी किन्तु सारे ग्राम की चल व अचल सम्पत्ति का प्रायः नाश नहीं हुआ। सरकार ने क्षति-ग्रस्त लोगों को १०० रुपया अहेतुक सहायता के रूप में तथा १०,००० रुपया तकावी के रूप में वितरित किये। ६४३ रुपया की धनराशि जो क्षति-ग्रस्त किसानों से लगान के रूप में वसूल करना था, वह ३ माह के लिये स्थगित कर दी गयी इसके अतिरिक्त १२० मन चावल, १२० टिन मिल्क पाउडर, ५३ मन गल्ला व सत्तू तथा ३०० रुपये का कपड़ा दिया गया।

*३६—श्री रामशरण यादव—इस आगजनी से कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

१—जले हुए मकानों की संख्या	..	६२ (५२ घर पूर्णतया जल गये तथा १० घर के कुछ भाग जले)
२—प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	..	२८७
३—जीव हानि की संख्या	..	१ महिला तथा १२ जानवर
४—हानि (रुपये में)	..	लगभग एक लाख।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो लगान स्थगित करने का आदेश दिया गया, वह कब दिया गया ?

श्री चरणसिंह—आग लगने के बाद।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जो स्थगित किया गया लगान ६४३ रुपया है, इसके माफ न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या दिक्कतें हैं?

श्री चरणसिंह—माफी जो लगान या मालगुजारी में होती है वह नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होती है। और जब गल्ला लोगों के घर में पहुंच गया तब जो गल्ला नुकसान हुआ या जला तो वह किसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से नहीं जला, इसलिये मालगुजारी में छूट देने का कोई नियम नहीं है।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय राजस्व मंत्री को यह भी सूचना या शिकायत मिली है कि लगान स्थगित करने का आदेश दिये जाने के बावजूद भी लगान वसूल किया गया है?

श्री चरणसिंह—वह माफी थोड़े ही की गयी थी, मुल्तवी की गयी थी और अगर समय गुजर गया इल्तवा का, तो वसूल करना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—माननीय मंत्री जी ने, जैसा कि कहा आग लगने की घटना प्राकृतिक व्यवधान में नहीं आती है, इसलिये छूट नहीं दी गयी, तो क्या आयन्दा कोई ऐसा नियम बनायेंगे कि आग लगने की घटना में भी छूट दी जाया करे?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

बुलन्दशहर जिले की खुर्जा तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३७—श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की खुर्जा तहसील में माह मई, १९५८ से २० जुलाई, १९५८ तक कितनी जगह आग लगने की वारदातें हुई और सरकार द्वारा उन्हें क्या आर्थिक सहायता दी गयी?

श्री चरणसिंह—जिला बुलन्दशहर की खुर्जा तहसील में माह मई, १९५८ से २० जुलाई, १९५८ तक ५ जगह आग लगने की वारदातें हुई और सरकार द्वारा उन्हें ४०० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में दिये गये।

लड़कियों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए कानून का प्रवर्तन

*३८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लड़कियों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार का दमन करने वाले १९५६ के केन्द्रीय सरकार के कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिये उसने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं। और निकट भविष्य में क्या-क्या कदम और उठाना चाहती है?

आचार्य जुगलकिशोर—उक्त कानून सारे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। किस प्रकार यह कार्यान्वित ठीक ढंग से किया जाय इस पर विचार हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के ५ बड़े शहरों में से कुछ शहरों में—जैसे वाराणसी इत्यादि में यह कार्यान्वित भी होने लगा है?

आचार्य जुगलकिशोर—५ शहरों में ही इसको लागू करने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है, सभी शहरों में इसको लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन—सरकार कब तक इस प्रश्न पर विचार करती रहेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—इस पर विचार किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हम इसको कार्यान्वित करने के लिये कोशिश करें।

*३९-४०—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर, बनारस व फैजाबाद कमिश्नरियों से लगान की वसूली

*४१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, बनारस व फैजाबाद कमिश्नरियों में कुल लगान जिलेवार कितना वार्षिक है ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७५ पर)

श्री मदन पांडेय—अभी प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि ४५,६६,८७३ रुपये ८९ नये पैसे की गोरखपुर में लगान वसूली हुई है और इसमें जो आपने तालिका दी है उसमें ३९,६८,७९२ रुपये मालगुजारी वसूल हुई है तो यह जो एक्सेस वसूली हुई है यह किस प्रकार से हुई है ?

श्री चरणसिंह—मैंने ४५ लाख नहीं बतलाया था।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य फिर से अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री मदन पांडेय—प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में माननीय माल मंत्री ने वसूली के संबंध में बताया कि गोरखपुर में ४५, ६६ ८७३ रुपये ८९ नये पैसे की वसूली हुई है और कुल लगान वार्षिक जो इस तालिका में बतलाया गया है वह ३९,६८,७९२ रुपये है तो यह जो एक्सेस वसूली हुई है इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—४५ लाख तो इसमें कहीं भी नहीं है।

श्री मदन पांडेय—यह इस प्रकार है, मैंने बकिया मालगुजारी के सम्बन्ध में प्रश्न किया था तो उत्तर दिया गया कि वसूल हुई मालगुजारी ३१,८४,९३३ रुपये ३० नये पैसे हैं और बकाया धनराशि १३,८१,९४० रुपये ५९ नये पैसे है। इन दोनों का जोड़ ४५,६६,८७३ रुपये ८९ नये पैसे आता है।

श्री चरणसिंह—हां जोड़ ४५ लाख आता है। तो जैसा कि माननीय मित्र ने पूछा कि इसमें पोस्टपोंड एरियर्स भी हैं तो मैंने कहा था कि नहीं बतला सकता। हो सकता है कि इसमें पोस्टपोंड एरियर्स शामिल हों।

*४२—श्री रामचन्द्र विकल—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४३-४४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में बिक्री-कर सम्बन्धित विचाराधीन मुकदमे

*४६—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी बिक्री-कर टैक्सों के बारे में बाराबंकी जिले में कितने मुकदमें १,२,३ वर्ष से अधिक दिनों से अदालत में विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह—बिक्री-कर से सम्बन्धित बाराबंकी जिले में ३७५, १६ तथा २ मुकदमें क्रमशः १, २ व ३ वर्ष से अधिक दिनों से बिक्री-कर अधिकारी व जज (अपील) व जज (रिवीजन) की अदालत में विचाराधीन हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर के मुकदमों के फैसले की मियाद कितने दिन की होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह मैं समझता हूं कि कानूनी सवाल है। आपको खुद जानना चाहिये।

बस्ती जिले में वृद्धावस्था की पेंशन

*४७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसीलवार नयी योजना के अनुसार बुढ़ौती की पेन्शन कितने लोगों को मिलती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—बस्ती जिले में अभी तक कुल ७२ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गयी है, जिनका तहसीलवार विवरण इस प्रकार है—

तहसील	पेन्शन स्वीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या
१—बांसी	१४
२—बस्ती	३०
३—डुमरियागंज	८
४—हरैया	१०
५—खलीलाबाद	९
६—नौगढ़	१
	७२

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी दरख्वास्तें पेंशन के लिए आयीं ?

श्री अध्यक्ष—आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ। कहां के बारे में पूछ रहे हैं आप ?

श्री राजाराम शर्मा—बस्ती जिले के बारे में।

आचार्य जुगलकिशोर—१९७ अर्जियां आयी थीं जिनमें से ७२ स्वीकृत हुईं।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—११ विचाराधीन हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ तहसील से कितनी दरख्वास्तें आयी थीं जिनमें से सिर्फ एक को ही मिली ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास इस वक्त कोई सूचना नहीं है। अगर वह चाहेंगे तो मैं बाद में दिलवा दूंगा।

*४८—श्री गंगाप्रसादसिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण २७ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४९—५१—श्री उग्रसेन—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ३ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८—१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५२-५३—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[हटा दिये गये ।]

*५४—श्री रामशरण यादव—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६—५८—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९-६०—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१-६२—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

टेहरी गढ़वाल जिले में सरकारी कर्मचारियों को हिल तथा विण्टर एलाउन्स का मिलना

*६३—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टिहरी गढ़वाल के किस-किस सरकारी विभाग के कर्मचारियों को "Hill allowance" व "Winter allowance" मिलता है और किस-किस का बन्द हो गया है और क्यों ?

श्री चरणसिंह—शासन द्वारा अगस्त, १९५१ में हिल तथा विन्टर एलाउंसेज (Hill and winter Allowances) को रफ्ता-रफ्ता बन्द करने के नैतिक निर्णय (Policy decision) होने से पहिले कुमाऊं जजशिप के कुछ कर्मचारियों का टिहरी, इस आश्वासन पर, तबादला किया गया था कि तबादले से उनके वेतन इत्यादि में कोई कमी नहीं होगी। जहां तक शासन को ज्ञात है, न्याय विभाग के ऐसे कर्मचारियों के अलावा और सरकारी कर्मचारियों को टिहरी गढ़वाल में हिल या विन्टर एलाउंस (Hill or winter allowance) नहीं दिया जा रहा है ।

बलिया जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन पर व्यय

*६४—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितने व्यक्तियों को कुल कितनी धनराशि वृद्धावस्था पेन्शन (old age Pension) के रूप में दी गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में २,२१४ व्यक्तियों को ७७,५३३ रुपये की धनराशि वृद्धावस्था पेन्शन के रूप में दी गयी ।

*६५—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्ष में तहसीलवार बलिया जिले के कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि वृद्धावस्था पेन्शन (old age pension) के रूप में दी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसका विवरण इस प्रकार है—

सं० तहसील	पेन्शन की संख्या	वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में दी गयी धनराशि
		रु०
१—बलिया	२९	८८५
२—बांसडीह	१०	१५०
३—रसड़ा	४	९०
योग	४३	१,१२५

*६६–६७—श्री प्रतापसिंह—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २१–२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६८—श्री जंगबहादुर वर्मा—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में लेखपालों की मुअत्तली तथा बहाली

*६९—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील हैदरगढ़ में १९५७–५८ ई० में कितने लेखपाल मुअत्तल किये गये, कितने दिनों तक के लिये मुअत्तल थे और कितने दिनों से अभी मुअत्तल हैं तथा कितने लेखपाल बरखास्त किये गये ? और कितनों को बहाल किया गया ?

श्री चरणसिंह—११ लेखपाल मुअत्तल किये गये । इनमें से ७ लेखपाल लगभग ३ मास से १ वर्ष तक मुअत्तल रहे और अंत में बहाल किये गये ; २ लेखपाल क्रमशः लगभग ५ मास तथा १ वर्ष ३ मास से अभी मुअत्तल हैं तथा बाकी २ लेखपाल क्रमशः लगभग ३ मास तथा ९ मास तक मुअत्तल रहे और अंत में अलहिदा किये गये । उक्त लेखपालों में से कोई बर्खास्त नहीं किया गया ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लेखपाल मुअत्तल किये गए वह तनख्वाह सहित बहाल किये गए या बगैर तनख्वाह के ?

श्री चरणसिंह—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन लेखपालों को छः मास से अधिक क्यों मुअत्तल रखा गया ?

श्री चरणसिंह—यानी इस तरह का आदेश अवश्य है कि मुअत्तल होने के बाद छः महीने के बाद कार्यवाही खत्म कर देनी चाहिए लेकिन वह कोई कानून नहीं है । उसमें मजबूरी हो जाय तो छः महीने से ज्यादा भी हो सकता है । वैसे विचार हमारा यह है कि डिप्टी कमिश्नर से यह पूछा जाय कि इतनी देरी क्यों हुई ।

*७०–७१—श्री गौरीशंकर राय—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८५–८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

चकबन्दी अफसरों के प्रशिक्षण में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों क प्रशिक्षार्थी

*७२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७–५८ में प्रदेश भर में कुल कितने ए० सी० ओ० तथा कन्सालीडेटरों को प्रशिक्षण दिया गया ? उनमें पिछड़ी जाति और परिगणित जाति के कितने उम्मीदवार थे ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५७–५८ में ए० सी० ओ० पद के प्रशिक्षण के लिये २६१ उम्मीदवार चुने गये जिनमें से ५ उम्मीदवार पिछड़ी जातियों के थे और ३ परिगणित जातियों के। कन्सालीडेटर पद के लिये २२१ उम्मीदवार चुने गये जिनमें ६ उम्मीदवार पिछड़ी जातियों के थे और ४ परिगणित जातियों के ।

*७३—श्री माताप्रसाद—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिगणित जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण काल में कोई सहायता या सुविधा भी प्रदान की गई थी ?

श्री चरणसिंह—एक उम्मीदवार को हरिजन कल्याण विभाग की ओर से १०० रुपये की आर्थिक सहायता की गई थी ।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति और हरिजन उम्मीदवारों की कमी का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—जैसा मैं एकाध दफा पहले भी बता चुका हूं अधिकतर योग्य आदमियों का न मिलना, मसलन इसी मामले में जो गैर-शिडयूल्ड कास्ट के उम्मीदवार थे वह जो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए थे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन हमने आर्डर यह दे दिया था कि बैकवर्ड क्लास और शिडयूल्ड कास्ट के थर्ड डिवीजन के भी हों तो उनको भी बुलाया जाय। तो आठ दरख्वास्तें थीं ए० सी० ओ० के लिए, उन सबको बुलाया गया और सबके सब रख लिए गए।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी पर व्यय

*७४—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में चकबन्दी पर अब तक कितना व्यय हुआ है तथा कितना होने का अनुमान है ?

श्री चरणसिंह—जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज में चकबन्दी पर ३० जून, १९५८ ई० तक २४,६४,०४२ रुपया व्यय हो चुका है और अनुमानतः १० लाख रुपया और व्यय होने की सम्भावना है।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि २४ लाख के लगभग का व्यय कितने कार्य-काल में हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जब से चकबन्दी शुरू हुई है।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस व्यय में वह काल भी शामिल है जिसमें चकबन्दी के अधिकारी केवल भूल सुधार का काम करते रहे, एक तरह से अपना प्रायश्चित्त करते रहे, और कोई चकबन्दी का कार्य नहीं किया ?

श्री चरणसिंह—अपना प्रायश्चित्त तो करते नहीं रहे, क्योंकि अभी तो उनकी तकर्रुरी हुई है। तो अगर कोई गलती कागजात में पहले से थी और उन्होंने उसकी शुद्धि कर दी तो उसको उनका प्रायश्चित्त करना नहीं कहा जा सकता।

गोरखपुर जिले के चिल्लूपार परगने में नदियों के पेटे से निकली हुई बिना नापी जमीन

*७५—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना चिल्लूपार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में —

(अ) कितनी जमीन नदी के पेटे से बाहर १३६५ फसली के बाद निकली है ?

(ब) किन नदियों से किन-किन गांवों में निकली है ?

(स) क्या इस जमीन की पड़ताल और पैमाइश हुई ?

श्री चरणसिंह—(अ) १३६५ फसली के बाद अभी पड़ताल शुरू नहीं हुई है इसलिये वांछित सूचना नहीं दी जा सकती।

(ब) यह सूचना भी पड़ताल के बाद दी जा सकती है।

(स) अभी नहीं।

*७६—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पैमाइश किस अधिकारी की देख-रेख में हुई और उक्त पैमाइश पर कितना खर्च हुआ ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*७७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या नदियों के पेटे से निकली हुई भूमि में से जिस पर लेखपाल के कागज में १३५९ के फसली के पूर्व "पानी" लिखा हुआ था गांव समाज की भूमि अलग करने का कोई आदेश गांव सभाओं एवं अधिकारियों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—ऐसी भूमि के बारे में कोई आदेश किसी को नहीं दिये गये हैं क्योंकि ऐसी भूमि की कार्यवाही धारा २०५ (ब) जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था रूल्स के अन्तर्गत होती है और ऐसी भूमि पर बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट भी लागू होता है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नदी के पेटे से निकली हुई जमीन की पैमाइश कितनी अवधि के बाद होगी ?

श्री चरणसिंह—नदी के पेटे से निकली हुई जमीन की पैमाइश अगली जनवरी से लेकर मार्च तक हो जाती है ?

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पिछली पैमाइश में गांव समाज की जमीन का अपहरण हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जी, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। सवाल यह था कि १३६५ फसली के बाद। तो ३० जून, १९५८ को १३६५ फसली खत्म हुई है और इसके बाद अभी तो कोई पड़ताल नहीं हुई है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी भूमि जिस पर बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट लागू होता है वह कितनी है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

बलिया जिले की ऊसर तथा बंजर भूमि

*७८—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया की सम्पूर्ण भूमि का कितना एकड़ तहसीलवार ऊसर और बंजर के रूप में है ?

श्री चरणसिंह—जिला बलिया की सम्पूर्ण भूमि का ४४,७०२ एकड़ ऊसर तथा २५,८२८ एकड़ बंजर के रूप में है। तहसीलवार ब्योरा नीचे दिया जाता है :

			ऊसर (एकड़)	बंजर (एकड़)
बलिया	..	..	३३,८५८	३,४०८
बांसडीह	..	..	६,६२५	६,७५६
रसरा ..	..	..	४,२१९	१५,६६४

कानपुर तहसील की ग्राम समाजों का निरीक्षण

*७९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की कानपुर तहसील की ग्राम समाजों के गत वर्ष माल विभाग द्वारा निरीक्षण कब-कब हुये ?

श्री चरणसिंह—यह निरीक्षण कानूनगोयान द्वारा खरीफ और रबी की परताल के समय और उच्च अधिकारियों द्वारा जाड़े के दौरे के समय किये गये।

*८०—श्री मोतीलाल अवस्थी—उपरोक्त निरीक्षणों में कितनी ग्राम समाजों की निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई —

(अ) हिसाब में गड़बड़ी,
(ब) बैठकों का नहीं होना,
(स) चेयरमैनों की लापरवाही ?

श्री चरणसिंह—इन निरीक्षणों के फलस्वरूप —

(अ) ८ ग्राम समाजों के हिसाब में गड़बड़ी पाई गई,
(ब) ३६ ग्राम समाजों में बैठकों की संख्या कम पाई गई, और
(स) १३ ग्राम समाजों में चेयरमैन अपने कार्य में लापरवाह पाये गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न संख्या ८० के उत्तर में जिन ग्राम समाजों में हिसाब की गड़बड़ी या चेयरमैनों की लापरवाही के कारण जो निरीक्षण में गलतियां पायी गई उन पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—दो मामलों में तो अभी तहकीकात चल रही है और ऐसी गड़बड़ी पायी गई जिससे गबन वगैरह साबित होता हो तो जरूर कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की जायेगी। लेकिन वैसे जिन हिसाबों में गड़बड़ी पायी गई, इन दो केसेज को छोड़कर, जिनकी बाबत कहा नहीं जा सकता, उन सब में गड़बड़ी ही है गबन नहीं है। इसलिये उन लोगों को नियम आदि समझा दिये गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी उन जगहों की रिपोर्ट, जहां एस० डी० ओ० ने निरीक्षण में गड़बड़ी पाई सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं वह रिपोर्ट बड़ी होगी, मैं इजाजत नहीं देता। अगर मंत्री जी के पास हो तो वह २ गांवों के बारे में बता दें।

श्री चरणसिंह—यह गांवों की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। जिलाधीश से तो एक कन्सालिडटेड समरी स्टेटमेंट आता है, नाम गांवों के मैं बतला सकता हूं, अभी तो वहां तहकीकात चल रही है, हम अभी कह नहीं सकते कि गबन हुआ या नहीं हुआ, वह तहकीकात का नतीजा मालूम होने पर पता चलेगा।

झांसी जिले के बबीना फौजी चांदमारी क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी

*८१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी के बबीना फौजी चांदमारी क्षेत्र, में गत दो वर्षों में अप्रैल, १९५८, तक चांदमारी के कारण कितनी दुर्घटनायें हुई और उसमें कितने व्यक्ति घायल हुये और कितनी मौतें हुईं ?

श्री चरणसिंह—१३ दुर्घटनाएं हुई और उनसे ११ ग्रामवासियों की मृत्यु हुई तथा १७ घायल हुए ।

*८२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—क्या सरकार चांदमारी क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनायें रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह—दुर्घटनायें रोकने के हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :

(१) चांदमारी होने के एक दिन पूर्व शाम को मिलेटरी तथा पुलिस डुग्गी पिटवाकर ग्रामवासियों को चांदमारी की सूचना दे देते हैं कि कल चांदमारी होगी अतः वह ग्राम खाली कर दें ।

(२) मिलेट्री की ओर से चांदमारी के बाद मिसफायर गोलों की खोज की जाती है तथा चौकीदारों द्वारा ग्रामवासियों को मिसफायर गोलों को उठाने से रोका जाता है ।

(३) मिलेट्री की ओर से ग्रामवासियों को समय समय पर समझाया जाता है कि वे मिस फायर गोले तथा फायर किये गये गोलों को न उठायें न उनका पीतल ही उठायें क्योंकि इनसे जीवन खतरे में पड़ जाता है ।

दूनागिरी कालोनाइजेशन स्कीम तथा लैण्ड सेटलमेंट सोसाइटी के सम्बन्ध में जानकारी

*८३—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दूनागिरी कालोनाइजेशन स्कीम पर अभी तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है और किस-किस मद में ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८४—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि लैन्ड-सेटिलमेंट सोसाइटी, दूनागिरी के सदस्यों पर सरकारी बकाया कितनी है ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना कब तक एकत्र हो जायगी और क्या सरकार उस के एकत्र हो जाने पर प्रश्नकर्ता को सूचित करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—कालोनाइजेशन में जो व्यय हुआ है वह कई मदों से कई विभागों द्वारा किया गया है, इसीलिये उसमें देर हो रही है, कोशिश है कि वह जल्द से जल्द एकत्र हो जाय, वह चाहेंगे तो मैं सदन में बता दूंगा या मेरे पास वह आयेंगे तो मैं बता दूंगा ।

बदायूं व दातागंज तहसीलों में लेखपालों के अपने निवास-स्थान के हल्के में काम करने पर आपत्ति

*८५—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बदायूं व दातागंज में कितने लेखपाल अपने रहने के ही ग्रामों में लेखपाल हैं ?

श्री चरणसिंह—दस ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतायेगी कि उन के वहां रहने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, लेखपाल ऐसे हल्के में रह सकता है जिस में ग्राम स्थित हो और नियम इस की इजाजत देता है ।

श्री टीकाराम—दातागंज और बदायूं दोनों तहसीलों की तफसील मंत्री जी बतायेंगे कि कितने कितने हैं ?

श्री चरणसिंह—५-५ ।

जिला नैनीताल की पिछली पट्टी चौगढ़ विस्ज्यूला एवं मल्लीरौ के भूमिहीन हरिजनों के लिए व्यवस्था

*८६—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार ३ अप्रैल, १९५८ ई० के प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल की ९ पट्टियों में जो १७९२ एकड़ भूमि वन विच्छेदित कर के ११ उपनिवेशों में विभक्त होनी बताई है, वह किन-किन स्थानों पर है ?

श्री चरणसिंह—यह ११ उपनिवेश निम्नलिखित स्थानों पर है—

(१) बदनधुरा, (२) खलाड़, (३) सूका, (४) हरतोला (धनियाकोट), (५) थुवा, (६) हरतोला रामगढ़, (७) अबसोड़ा, (८) थली, (९) जंगलिया, (१०) सरना, (११) चन्दादेवी ।

*८७—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अभी २०६ एकड़ भूमि भूमिहीनों को देनी शेष है वह किस स्थान में है ?

श्री चरण सिंह—यह २०६ एकड़ भूमि निम्नलिखित स्थानों पर है—

(१) बदनधुरा, (२) हरतोला (धनियाकोट), (३) हरतोला (रामगढ़), (४) सरना और (५) चन्दादेवी ।

श्री खुशीराम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह २०६ एकड़ भूमि जिन स्थानों पर बताई गई है उनमें से प्रत्येक स्थान पर कितनी-कितनी भूमि है ?

श्री चरणसिंह—कितनी भूमि किस स्थान में दी गई इसकी टेबिल मेरे पास है, कितनी डिफारेस्ट की गई है वह मैं बताता हूं, उसमें से वह सब्सट्रैक्ट करके निकाल लें—बदनधुरा में २२२ एकड़ जमीन साफ की गई और १८० एकड़ किसानों को दी गई, सलाड़सूखा में ६० एकड़ और २ एकड़ साफ की गई और वह सब दे दी गई ।

श्री अध्यक्ष—वह तो प्रश्न ८७ के बारे में पूंछ रहे हैं, वह जानना चाहते हैं कि वह किस-किस स्थान पर कितनी है ।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो इत्तिला मेरे पास है .....

श्री अध्यक्ष—यदि इत्तला नहीं है तो आप नोटिस मांग सकते हैं ।

श्री चरणसिंह—इत्तला तो नहीं है, वैसे निकाली जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष—तो रहने दीजिये उसमें काफी समय लग जायगा ।

दूनागिरि उपनिवेश निवासी स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को सुविधायें देने का कथित आश्वासन

*८८—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दूनागिरी उपनिवेश को बसाते समय क्या स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को रहने के लिये मकान, खेती के लिये बैल और खेत बनवाई की कीमत मुफ्त सरकार की ओर से देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इन मदों पर हुए सरकारी खर्चे की जो वसूली की जा रही है उसका कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार ने किसी और तरह की रियायत या आश्वासन दिया था, ? यदि हां तो, किस तरह का ?

श्री चरणसिंह—जिन रियायतों का आपने जिक्र किया है उनका तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इसके अलावा और वायदे क्या थे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

जौनपुर जिलान्तर्गत उंगली परगने के एक जीवित व्यक्ति को भूमि सम्बन्धी कागज में मृत दर्ज करना

*८९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर में चकबन्दी आरम्भ होने के बाद कितनी दरख्वास्तें, परगना उंगुली, तहसील शाहगंज के जिलाधीश को प्राप्त हुई जिनमें भूमि सम्बन्धी कागजातों में जीवित व्यक्तियों को मरा हुआ लिख देने का उल्लेख है और जिन पर सरकारी आदेश पाने पर डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट ने जांच की और रिपोर्ट दी कि मरे हुए व्यक्ति वास्तव में जीवित हैं उन मामलों पर इस समय क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले में चकबन्दी आरम्भ होने के बाद परगना उंगली तहसील शाहगंज का केवल एक प्रार्थना पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ जिसमें भूमि संबंधी कागजात में प्रार्थी को मरा हुआ लिखने का उल्लेख था । इसकी जांच डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट से कराई गई । जांच से आरोप सत्य पाये गये । संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा २१८ के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मुकदमा किन अधिकारियों के खिलाफ चल रहा है ?

श्री चरणसिंह—यह मुकदमा दो लेखपालों, अमृत लाल और राम सहाय के खिलाफ चल रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या उस क्षेत्र के पंचायत सेक्रेटरी इसमें इंवाल्व नहीं समझे गये क्योंकि उनका भी नाम दरख्वास्त में था ?

श्री चरणसिंह---तेहकीकात की गई लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाना अधिकारियों ने मुनासिब नहीं समझा ।

आजमगढ़ जिले में रबी की परताल के समय विधायकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी

*९०---श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या वित्त मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि रबी, १३६५ फसली की पड़ताल के सम्बन्ध में राजकीय आदेश इस आशय के जारी किये गये थे कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में पांच गांव का पड़ताल विधायक की उपस्थिति में किया जाय उस आदेश की पूर्ति आजमगढ़ जिले में हुई कि नहीं ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह---उक्त आदेश के पालन हेतु प्रत्येक तहसीलदार ने अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों से सम्पर्क स्थापित किया । किन्तु परताल केवल लालगंज तहसील के ४ गांवों ही में उस क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति में हो सकी । विधान मंडल का अधिवेशन होने के कारण अन्य विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित नहीं हो सके और इसलिये वहां परताल नहीं की जा सकी ।

तहसीलदारों के चुनाव में अनियमितता

*९१---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में हुए तहसीलदारों के चुनाव (Selcetion) का परिणाम अभी तक घोषित हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । चुनाव में कुछ अनियमिततायें होने के कारण सरकार ने उसे रद्द कर दिया है तथा राजस्व परिषद् को फिर से चुनाव करने के लिये आदेश दिया है ।

*९२---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश में कितने तहसीलदार अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---१६२

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि चुनाव करने में क्या अनियमिततायें हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बहुत लम्बा न हो, संक्षेप में उत्तर मंत्री जी दे सकते हों तो दें ।

श्री चरणसिंह---संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अनियमिततायें कई प्रकार की हुईं । लेकिन बड़ी इर्रेग्युलेरिटी एक थी, वह यह है कि उन्होंने सेलेक्शन मैरिट्स पर किया जब कि आर्डर था कि सीनियोरिटी आधार पर हो यानी Seniority subject to rejection of unfit यह आर्डर था ।

बृहत जोत-कर से आय

*९३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि Large Holding Tax से अब तक राज्य को कितनी आमदनी हुई है ?

श्री चरणसिंह---उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम (U.P. Large Land Holdings Tax Act) के अन्तर्गत सरकार को ३० जून सन् १९५८ तक १,११,५४९ रुपये की आमदनी हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितनी जोतों पर इतनी आमदनी हुई है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितनी असेसमेंट बाकी है जो वसूल होना है ?

श्री चरणसिंह—लगभग सारा बाकी है । नोटिस तामील हुए हैं और ऐतराजात सुने जाने हैं । लगभग १७,००० नोटिस जारी हुए हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने रुपये की तादाद पूछी थी ।

(प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण उत्तर नहीं दिया गया)

अतारांकित प्रश्न

१—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिया गया ।]

२—श्री जंगबहादुर वर्मा—[३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

३—श्री जंग बहादुर वर्मा—[स्थगित किया गया ।]

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ के कारण उत्पन्न परस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं । इनमें से ३ बाढ़ के संबंध में हैं । एक श्री उग्रसेन जी का है जो राप्ती और घाघरा में बाढ़ के सम्बन्ध में है । दूसरा मदन पांडेय जी का है जो समस्त राज्य में छोटी बड़ी नदियों में बाढ़ के सम्बन्ध में है और तीसरी श्री खजानसिंह चौधरी जी का है जो गंगा और सई नदी की सैलाब के बारे में है ।

इस सम्बन्ध में वे चाहते हैं कि बहस हो जाय । मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि बाढ़ के संबंध में यह हो सकता है कि या तो माननीय मंत्री जी समय-समय पर सूचना दे दें या किसी रोज एकाध दिन के लिये सब बाढ़ों के बारे में बहस हो जाय और माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन बातचीत करके और दलों से भी कोई समय निश्चित कर सकते हों तो कर दें, लेकिन हर नदी में बाढ़ के ऊपर मैं कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसको ऐसे निश्चित और महत्व का विषय नहीं समझता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अगर माननीय मंत्री जी के पास बाढ़ों के संबंध में कोई सूचना आयी हो तो दे दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत अभी नहीं दे रहा हूं लेकिन उनके पास यदि कोई सूचना हो तो वह सब इकट्ठी करके दो तीन रोज के अन्दर किसी दिन प्रभावित जिलों के बारे में सूचना दे दें तो अच्छा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय मुख्य मंत्री जी पश्चिमी जिलों का दौरा करके आये हैं । वे अगर कोई सूचना दे सकें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो सूचना उनको दे दी है । वे तैयार करके रखेंगे और जितनी जल्दी सूचना दे सकते हों वे दे देंगे ।

वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं १३ तारीख से लेकर अब तक की सूचना कल दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है। कल सूचना सदन को मिल जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। माननीय मंत्रीगण जो सूचना दे देते हैं वह तो है, लेकिन माननीय सदस्य भी अपने-अपने स्थानों पर घूमकर आये हैं। उनको भी कम से कम अपनी जानकारी को व्यक्त करने का मौका मिले तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह २ तरीके मैंने बता दिये। एक तरीका यह है कि सूचना आ जाय तो वह यहां पर दे दी जाय और दूसरा सुझाव जैसा मैंने कहा यह है कि जैसे अन्न के बारे में एक रोज सदन में बहस हो गयी वैसे ही इसके बारे में भी बहस हो सकती है। उसके लिये माननीय नेता सदन से बातचीत करके और आपस में तय करके कोई दिन निश्चित हो जाय तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और उस दिन सब लोग अपने यहां की परिस्थिति बता सकते हैं।

बाराबंकी जिले में ग्राम समाज अमोली कलां के ग्राम प्रधान द्वारा जेल में अनशन के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री जंगबहादुर जी का कामरोको प्रस्ताव है—

"तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम समाज अमोलीकलां की सम्पत्ति पर अनधिकार रूप से कब्जा करने वाले तथा ग्रामीणों को आतंकित करके नाजायज पैसा बनाने वाले भूतपूर्व जमींदारों एवं गुन्डों के विरुद्ध कोई कार्यवाही जिला के उच्चाधिकारियों द्वारा न करने पर उनकी अकर्मण्यता की शिकायत राज्य के मुख्य मंत्री एवं माल मन्त्री से करने के फलस्वरूप ग्राम प्रधान श्री सियाराम शुक्ल को जिले के उच्चाधिकारी बदला-भाव से जेल में बन्द करके उनके साथ अमानुषिक व्यवहार कर रहे हैं जिसके प्रतिकार के लिये वे अनशन पर हैं।"

यह विषय बिलकुल स्थानीय शासन से सम्बन्धित है। वह रीसेंट आकरेंस का भी नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र श्री शिवदास तिवारी के अनशन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री चन्द्रजीत यादव का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है—

"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ला कालेज के छात्र श्री शिवदास तिवारी "मुदालियर कमेटी" के प्रतिवेदन में छात्रों एवं अध्यापकों, विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं अध्यापकों के चरित्र पर किये गये आक्षेपों के विरोध में अनशन कर रहे हैं। उनके अनशन का आज १० वां दिन है और डाक्टरों के अनुसार उनकी दशा चिन्ताजनक है जिसके कारण प्रदेश की जनता में घोर असंतोष फैला हुआ है और विश्वविद्यालय में भी हड़ताल हुई है।

अतः सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने हेतु अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं समझता हूं कि यह विषय भी चूंकि विश्वविद्यालय के अध्यादेश के संबंध में जो हलचल मची हुई है उससे सम्बन्धित है इसलिये केन्द्र से सम्बन्धित विषय है और इसलिये यहां पर इस विषय पर बहस नहीं हो सकती। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

"हटवा, जिला गोरखपुर में अन्नाभाव के कारण कथित मृत्यु पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री बालकराम जी का एक कामरोको प्रस्ताव है।

"ता० १० अगस्त, १९५८ को ग्राम हटवा (गगहा), थाना गोला, जिला गोरखपुर में मुसम्मात डुगरी चमारिन अन्न न मिलने के कारण भूख से तड़प-तड़प कर मर गयी।"

यह एक ऐसा विषय है जो अन्नाभाव से सम्बन्धित है और अन्न के बारे में बहस हो ही चुकी है। एक आध जगह उसकी वजह से कोई मर गया हो तो वह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता है।

मैं समझता हूं कि प्रश्न करके पहले उसकी निश्चितता जान ली जाय उसके बाद अगर आध घंटे की बहस माननीय सदस्य चाहें तो यह हो सकता है।

सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ले की कमी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक रामसुन्दर पांडेय जी का भी इसी तरह से सस्ते गल्ले की दूकानों पर कम गल्ला होने के बारे में कामरोको प्रस्ताव है।

इसके बारे में एक दफा माननीय मंत्री जी जवाब दे चुके हैं कि वे जितना गल्ला दे सकते हैं उतना ही देंगे। यह विषय भी अब बहस का नहीं है। जहां तक अन्न की समस्या का सवाल है बहस हो चुकी है।

भारतीय नाविक जलमजदूर संघ द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडेराय जी का एक कामरोको प्रस्ताव है—

"भारतीय नाविक जल मजदूर संघ" की उत्तर प्रदेश शाखा के आवाहन पर गत् १५ अगस्त से अपनी मांगें सरकार द्वारा नहीं माने जाने के विरोध में राज्य-व्यापी हड़ताल प्रारम्भ हो गयी है। बड़हलगंज (गोरखपुर), दोहरीघाट (आजमगढ़), तथा बरहज बाजार (देवरिया) में क्रमशः २०, ५३ और ३४ गिरफ्तारियां हुई हैं। नित्य प्रमुख जल-केन्द्रों पर विरोध प्रदर्शन, सभा और जुलूस हो रहे हैं। दोहरी-घाट और बड़हलगंज में पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है जिससे स्त्रियां तक घायल हुई हैं। इस आन्दोलन में गिरफ्तार "संघ" के महामन्त्री श्री मिश्रीलाल, गोरखपुर जेल में तथा बाबा विश्वनाथ ने आजमगढ़ जेल में अपनी मांगों के लिए आमरण अनशन, गत १७ तारीख से कर दिया है।

इस आन्दोलन से प्रदेश के अनेक जल-केन्द्रों पर विषम एवं गंभीर परिस्थिति पैदा हो गयी है। इस पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।"

मैं माननीय सम्बन्धित मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस विषय में उन्हें कोई जानकारी है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जहां तक गिरफ्तारी की बात है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। जहां तक मल्लाहों की मांगों का प्रश्न है वह एक समय यहां पर आया था और उसमें कुछ का सीधा यू० पी० गवर्नमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो कमेटी नियुक्त की गयी है उसके पास जो उनकी मांगें थीं वह भेजी गयी हैं। वह कमेटी अगले महीने में आयेगी और उसके ऊपर विचार करेगी। वह उसका फैसला देगी।

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडेराय, आप कैसे समझते हैं कि यह प्रश्न प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित है ?

†श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात बतायी है उसके सिलसिले में, और प्रस्ताव के सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि सरकार ने इतनी भी उदारता नहीं दिखलायी कि नाविक मजदूरों का जो स्मृति-पत्र माननीय मुख्य मंत्री और सरकार के अन्य अधिकारियों को प्राप्त हुआ था उसका जवाब दे दिया जाय। १० अगस्त के दोपहर तक उन्होंने समय दिया था। उस समय तक कोई भी जवाब संस्था के अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ। तो सब से बड़ी जिम्मेदारी मैं सरकार की यह समझता हूं कि ऐसे बड़े मामले में, जिससे हजारों आदमियों के जीवन का सम्बन्ध हो उसके विषय में अगर कोई.....

श्री अध्यक्ष—आपका कामरोको प्रस्ताव तो इस विषय में नहीं है कि सरकार ने जवाब नहीं दिया।

श्री झारखंडेराय—आपने यह प्रश्न उठाया है कि सरकार की जिम्मेदारी कैसे होती है, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं कामरोको प्रस्ताव के विषय में पूछ रहा हूं कि जिम्मेदारी इस सरकार की कैसे होती है ?

श्री झारखंडेराय—यह हड़ताल १५ तारीख से शुरू हुई है और कई प्रमुख जल-केन्द्रों पर आरम्भ की गयी है, दोहरीघाट, बड़हलगंज, बरहज बाजार.....

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने लिखा ही है। आप यह कैसे बताते हैं कि यह केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है बल्कि प्रान्तीय सरकार का विषय है ?

श्री झारखंडेराय—मेरा निवेदन यह है कि प्रान्तीय सरकार ने अगर उस संस्था के अधिकारियों को जवाब दे दिया होता कि इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है और यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है या उनसे ही इसका संबंध है आप उनसे पत्र-व्यवहार कर लें, मैं समझता हूं इतना ही कह देने से यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाती। सरकार ने इसमें इतनी भी उदारता नहीं दिखाई कि कुछ भी जवाब इस सम्बन्ध में देती। इसी वजह से यह हड़ताल हुई है। इस कारण इसका सीधा सम्बन्ध इस सरकार से हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—वह सम्बन्ध आप बता नहीं सके।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें यह कहना है कि इस विषय की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। मैं उधर से ही आ रहा हूं। नाविक जल मजदूर संघ की जो मांगें हैं वह स्पष्ट मांगें हैं। प्रान्तीय सरकार के अधीन जो घाट हैं जिनका यह सरकार नीलाम करती है तो उस नीलाम के कारण उन लोगों को रोजी नहीं मिलती है। ठेकेदार उनको २ आना, ४ आना में नाव चलाने को मजबूर करते हैं। इसके विषय में उन लोगों की मांग प्रान्तीय सरकार से थी और २, ३ वर्ष पहले भी वह सरकार के पास आये थे लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगों के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—आपका यह कामरोको प्रस्ताव नहीं है। जिनका यह कामरोको प्रस्ताव है उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बतलाई जिससे मालूम हो कि प्रान्तीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडेराय---जल नाविक संघ की जो हड़ताल हो रही है वह बोहरीघाट और बुढ़वल में उस ठेके के कारण हो रही है जो सीधे पी० डब्ल्यू० डी० देता है। उससे सारे नाविकों की जीविका पर आघात होता है। यही उनकी मुख्य मांग है कि इस ठेका प्रणाली को खत्म किया जाय और लाइसेंस प्रणाली को चालू किया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह बहुत अनिश्चित विषय इस प्रस्ताव का है। इस वजह से मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री झारखंडेराय---इसका पता तो नहीं कि केन्द्रीय सरकार से इसका सम्बन्ध है या नहीं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इसका सम्बन्ध इस सरकार से अवश्य है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं मुझे इस बात की शंका थी कि यह विषय केन्द्रीय सरकार का है या प्रान्तीय सरकार का है। आपने इसको स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह से इसका संबंध प्रान्तीय सरकार से है। जिस विषय की आपने बातें बतलाई उसका जिक्र इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये अनिश्चित है। यह सरकार भी कहती है कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से मैं इस कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडेराय---श्रीमन्, यह जानी-मानी बात है कि ठेका वहां पर यह सरकार देती है.....

श्री अध्यक्ष---आपने ठेके के विषय में यह प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री झारखंडेराय---चूंकि आपने मेरे कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और जिस कारण से आपने अस्वीकार किया है वह मुझे स्वीकार नहीं है तो, इसके विरोध स्वरूप में आज सदन का त्याग करता हूं।

(श्री झारखंडेराय ने अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग किया।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा को मानने में असमर्थ हूं कि कामरोको प्रस्ताव पर वही बोले जिसका वह प्रस्ताव हो। इसलिए मैं भी सदन का जनसंघ दल के साथ लंच तक के लिये त्याग करता हूं।

(राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष---अब एक कामरोको प्रस्ताव दीपनारायणमणि जी त्रिपाठी का है..

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, बाढ़ से हाहाकार....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी---आप यहां पर कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं.....

श्री अध्यक्ष---पुजारी जी, आप कृपया बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी---यहां पर उन गरीबों के लिये कोई भी सहानुभूति नहीं है.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे एक दफा फिर कहता हूं कि आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी---हम यहां पर कुछ बोलना चाहते हैं तो हमको बोलने भी नहीं दिया जाता है.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं नहीं तो मुझे विवश होकर आपका नाम इंगित करना पड़ेगा।

श्री टीकाराम पुजारी—यहां पर उन के दुखों को बतलाने के लिये समय भी नहीं मिलता है।

(इसके पश्चात् श्री टीकाराम पुजारी बैठ गये।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह था कि यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा झारखंडेराय जी के कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में कि इसका प्रान्तीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मामला श्रीमन्, ४, ५ वर्ष से चल रहा है। इसी सरकार के नियम के मुताबिक गांव समाज आज उन घाटों पर कब्जा किये हुए हैं। गांव समाज भी मछली मारते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी मारता है.....

श्री अध्यक्ष—आप तो इसमें बहस करने लगे। अगर यह मामला चार, पांच साल से चल रहा था तो सीधा तरीका यह था कि आप सवाल कर के स्पष्टीकरण करा सकते थे कि उससे इसका संबंध है या नहीं। तो यह सब चीजें हैं। दूसरे, यह मामला चार साल से चल रहा है इसलिये रीसेंट आकरेंस की कोई बात नहीं है इस वजह से भी मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण—गिरफ्तारी रीसेंटली हुई है।

श्री अध्यक्ष—गिरफ्तारी दूसरी चीज है।

देवरिया जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री दीपनारायण जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "देवरिया में दिनांक १२ अगस्त, १९५८ ई० को जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में परिषद् के सम्मानित सदस्य सर्वश्री गेंदासिंह, ब्रजनारायण तिवारी तथा रामायण राय जो इस विधान सभा के भी सदस्य हैं, अध्यक्ष के हाथ से, वादविवाद के बीच में कार्यवाही रजिस्टर छीन कर फाड़ दिया तथा अनेक अशिष्ट व्यवहार अपने दल द्वारा घटनास्थल पर कराये। इस व्यवहार के कारण जिलाधीश, जो परिषद् की अध्यक्षता कर रहे थे बाध्य हो कर परिषद् की बैठक स्थगित कर दी इसके परिणाम स्वरूप नियोजन विभाग जिला बोर्ड का सारा काम बन्द हो गया है और एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। इस परिस्थिति के कारण देवरिया जनपद का वातावरण मुख्यरूप से तथा सारे प्रदेश का वातावरण साधारण रूप से, समाचारपत्रों के आधार पर क्षुब्ध हो उठा है।

अतः स्वायत्त शासन की इस इकाई की इस आवश्यक, सार्वजनिक महत्व की विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगन करता है।"

अब इस कामरोको प्रस्ताव के विषय से सरकार से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता। क्या इसकी शिकायत सरकार के पास की गयी, उसने क्या जवाब दिया, आदि का हवाला इसमें नहीं है। वहां कुछ सदस्यों ने कुछ कार्यवाही की, इसके बारे में यह शिकायत है और कुछ नहीं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा के सदस्य जिला अंतरिम परिषद् विधेयक, जो अभी पास हुआ है, उसके अनुसार, उस परिषद् के सदस्य होते हैं और वहां बैठते हैं और वहां कलेक्टर एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का ऐजेन्ट है, और इस कारण इस कार्यवाही से इस सरकार पर आक्षेप आता है.....

श्री अध्यक्ष—किन्तु कामरोको प्रस्ताव का विषय वही हो सकता है कि जिस में सरकार की तरफ से कोई ओमिशन हो गया हो या कमीशन हुआ हो। कोई इस तरह की चीज इसमें नहीं है। आपने कोई शिकायत सरकार से नहीं की है.....

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो दीपनारायण जी का प्रस्ताव है उसके कंटेंट्स को तो मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक बात जरूरी समझता हूं कि सरकारी एक आदमी वहां बैठा हो और वह इतने अशिष्ट ढंग से व्यवहार करता हो कि जिससे दूसरे लोग उत्तेजित हो कर इस प्रकार का काम कर दें, इस पर अगर इस सदन में कुछ बात हो जाय, तो बात बहुत स्पष्ट हो जायगी और इसे मैं जरूरी समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---इस विषय पर बहस होनी हो सदन में तो हो, मुझे आपत्ति नहीं, आप सदन की दृष्टि से इस पर विचार कर लें कि यह होना चाहिए या नहीं, लेकिन कामरोको प्रस्ताव का विषय इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं अभी देवरिया गया था और इसलिये इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता था.....

श्री अध्यक्ष---मुझे और काम निपटाने दीजिये। आप बैठिये।

श्री राजनारायण---अभी और कामरोको प्रस्ताव हैं। तो ठीक है, आप मुझे बाद में सुनियेगा।

शारदा नहर के बन्द होने से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव चौधरी खजानसिंह जी का है कि, "शारदा नहर बन्द हो गयी है। इस वक्त धान की फसलों को रोजाना पानी की जरूरत है इत्यादि"। कहां बन्द हुई है, पूरी की पूरी नहर बन्द हो गयी है अथवा कहीं एक भाग में, कुछ स्पष्ट नहीं है, और इसलिये इसके अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

चधौरीखजानसिंह (जिला उन्नाव)---नहर बन्द हो गयी है। जड़ें नष्ट ही गयी हैं इसलिये नहर को खोल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप उसके लिये सरकार को लिख दीजिये।

चौधरी खजानसिंह---आप से ज्यादा सरकार को क्या लिखूं। नहर को खुलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

देवरिया जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में हुई गड़बड़ी के विषय पर विवाद की मांग

श्री अध्यक्ष---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी की, पूर्व कथित कामरोको प्रस्ताव के अलावा, एक और प्रार्थना यह है कि नियम १७२ के अनुसार इसको सार्वजनिक महत्त्व का विषय समझ कर बहस करने की इजाजत दी जाय, क्योंकि वह घटना देवरिया में घटी है, जिसमें कुछ कागजात फाड़ दिये गये जबकि अंतरिम जिला परिषद् की मीटिंग हो रही थी। इस के बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि उनको उत्तेजना मिली और वही विषय इस प्रस्ताव में है। श्री गेंदासिंह जी चाहते हैं कि उसके बारे में बहस हो जाय और श्री दीपनारायणमणि जी भी यही चाहते हैं। मैं इसकी इजाजत दे सकता हूं लेकिन मैं माननीय नेता सदन से पूछूंगा क्योंकि इस नियम में लिखा हुआ है कि अगर मैं इजाजत दे दूं तो बहस का समय लीडर आफ दि हाउस के परामर्श से निर्धारित होगा। आज तो बहस न होगी लेकिन अगर माननीय नेता सदन इस बारे में समय देने को तैयार हों तो मैं इसकी इजाजत दे दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, जो सूचना दी गयी है और जिसके लिये श्रीमन् से आज्ञा मांगी गयी है उस सम्बन्ध में मैं मान्यवर का ध्यान नियम १७२ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि "Discussion of a matter of general public interest". श्रीमन्, मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पुराने कानून से वाकिफ हूं और यह खुश किस्मती है कि वह रिपील नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्तरिम जिला परिषद् के जो रूल्स बनाये गये हैं उनमें लिखा है कि इनमें जो कुछ नहीं लिखा गया है वह पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रूल्स और कानून के अन्तर्गत जो आज्ञायें दी गयीं हैं उनके अनुसार अमल होगा।

मान्यवर की सूचना के लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में इस बात की काफी गुंजाइश है कि अगर कोई अंतरिम जिला परिषद् का सदस्य किसी प्रकार से ऐसा व्यवहार करता है जिसके बारे में जांच के बाद यह सिद्ध हो कि वह अपनी पोजीशन को फ्लेगरेन्टली एब्यूज करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी। जब कि प्रदेश में प्रचलित कानून के द्वारा एग्रीव्ड पार्टी किसी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है तो साधारण तौर पर सदन में उसके ऊपर वादविवाद करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिये। अगर इस प्रकार की घटनाओं के लिये इस बहाने से कि वह मैटर आफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, इजाजत दे दी गयी तो सदन के सामने इस प्रकार के मामले प्रति दिन आते रहेंगे। यदि सदन इस प्रकार की परम्परा बना देगा तो साल के आधे दिन सदन इन्हीं बातों पर विचार किया करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मेरा भी इस संबंध में यह निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की जिस बात की ओर माननीय नेता विरोधी दल ने आपका ध्यान दिलाया उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में इस बात की भी व्यवस्था है कि चेयरमैन मीटिंग में आर्डर मेनटेन कर सकता है और आर्डर मेनटेन करने के लिये संबंधित सदस्य को बाहर जाने के लिये कह सकता है। लगभग जो अधिकार आपको यहां पर है, वहां पर चेयरमैन को वही अधिकार हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस पर यहां बहस करने की आज्ञा दी गयी तो रोज ऐसे ही प्रस्ताव यहां पेश हुआ करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मोशन तो अभी पढ़ा ही नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—जो शब्दावली कामरोको प्रस्ताव में थी वही इसमें भी थी। इसमें यह और कहा गया था कि इस पर विचार करने की इजाजत दी जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जैसा कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बतलाया, इस विधान मंडल के सदस्य जिला परिषद् में जाकर एम० एल० ए० और एम० पीज० होने के नाते बैठते हैं। अगर हम वहां जाकर ऐसा आदर्श उपस्थित करें जैसा कि वहां किया गया तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। श्रीमन्, ३–४ एम० एल० एज० जो वहां की जिला परिषद् के सदस्य हैं, इस तरह का व्यवहार प्रस्तुत करके नाजायज और जायज फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप तो मेरिट्स पर आ गये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—दूसरी बात यह है कि इस विधान परिषद् के ३–४ सदस्यों ने अखबारों में निकाला कि हमने वहां जो कुछ किया वह ठीक किया। साथ ही साथ श्रीमन्, जहां तक बहस की बात है, यह विषय एक सार्वजनिक महत्व का है, इसलिये इसके ऊपर बहस की आज्ञा मिलनी चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, हमारी मुसीबत यह है कि मैं खड़े होकर आपसे आज्ञा मांगता हूं, तब बोलता हूं और दूसरे लोग खड़े होकर ही बोलने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सभी श्री टीकाराम जी नहीं हो सकते । आप कृपा करके अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजनारायण--पहली बात यह है श्रीमन्, कि मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी की राय से सहमत नहीं हूं और माननीय पालीवाल जी की राय से भी सहमत नहीं हूं । मैं तो निश्चित मत का हूं कि जो अध्यादेश इस समय चल रहा है, उसके मातहत अन्तरिम जिला परिषदें काम कर रही हैं । पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में तो था कि चैयरमैन का चुनाव जनता के द्वारा होता था, अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपने मत के मुताबिक वह चेयरमैन को चुनती थी । अब सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसके मुताबिक उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही सर्वेसर्वा बना दिया है और उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दिये हैं जिसका इस्तेमाल वह जब चाहे तब कर सकता है । श्रीमन्, देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी अपने उस डिस्क्रिशनरी पावर का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है । यह सिर्फ एक जिले की ही बात नहीं है, बल्कि सारे प्रदेश में जहां-जहां अन्तरिम जिला परिषदें काम कर रही हैं, वहां-वहां इस तरह की स्थिति उपस्थित है । यह केवल माननीय गेंदासिंह के यहां की बात नहीं है, बल्कि सारे प्रदेश में यही हालत है । अभी मैं वाराणसी गया था तो वहां भी यही शिकायत सुनने को मिली, लेकिन चूंकि इस समय मौका नहीं है इसलिये मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा । यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और सार्वजनिक महत्त्व का भी है आपने इसकी ग्राह्यता को मान्यता प्रदान कर दी तो.....

श्री अध्यक्ष--मैंने अभी मान्यता प्रदान नहीं की है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप जरा नियम को पढ़ लें, इसमें है--"यदि प्रस्ताव को ग्राह्य मान ले तो सदन के नेता से परामर्श करके उसकी चर्चा के लिये एक या अधिक दिनों का बंटन करेगा" ।

श्री अध्यक्ष--मैं उसको पढ़ चुका हूं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब इसमें प्रस्ताव को ग्राह्य मान लेने पर ही सदन के नेता से समय के बंटन के लिये परामर्श करने की बात है तो आपने इस ग्राह्यता को मान्यता प्रदान करके ही सदन के नेता से समय के लिये पूछा था ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं । मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं, आपकी समझ में बात नहीं आयी । बात यह है कि कई दफा कामरोको प्रस्ताव में ऐसी बात होती हैं तो मैं पूछ लेता हूं कि आप यह बतला दें कि यह बात कैसी है । तो इस तरह से मैं इजाजत देने से पहले जरा जान लेना चाहता हूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी को तो मैं बुला नहीं सकता जब तक कि वे बहस का समय देना स्वीकार न करें । आपने कहा कि हम इसको बड़े महत्त्व का समझते हैं, तो मैं इस बात को भी जानना चाहता था कि यदि यह उनको मंजूर हो तो मैं समय बंटन के लिये इजाजत दे दूं । दूसरे, आपने यह भी कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी भी चाहते हैं और वे भी चाहते हैं, इसलिये मैं इजाजत देने के लिये तैयार हो जाऊं । उसके बाद विरोधी दल के नेता ने उसमें कुछ खामियां बतलायीं कि इस विषय में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट के मातहत कार्यवाही हो सकती है और पालीवाल जी ने भी यही कहा कि मैं उसके लिये इजाजत न दूं । तो यह बहस की बात है कि मुझे उसके लिये इजाजत देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये । मैंने इस प्रश्न को खुला रखा था और इजाजत देने से पहले मैं राय जानना चाहता था और उसी सिलसिले में मैं यह भी जानना चाहता था कि नेता सदन उसके लिये समय देंगे कि नहीं देंगे । सिर्फ यही एक बात उसमें थी ।

इस सब बहस के बाद मैं समझता हूं कि अब माननीय नेता सदन को उत्तर देने के लिये तकलीफ न दूं । इस स्पष्टीकरण के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट सभापति की हैसियत से इस विषय में कार्यवाही कर सकते हैं और माननीय नेता विरोधी दल भी कहते हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट के मातहत कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, जरा ऐक्ट देख लें तब व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से केवल माननीय गेंदासिंह की इच्छा जरूर थी कि इसके ऊपर बहस हो जाय। मैं समझता हूं कि यह बात बिलकुल सही है कि अगर ऐसी चीजें हों, जिसके ऊपर अन्तरिम परिषद् में कार्यवाही हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कार्यवाही कर सकता है, और यदि ऐसे विषय पर बहस करना मैं स्वीकार कर लूं तो रोजाना ऐसे कई विवाद-ग्रस्त विषय उक्त स्थानीय संस्था की कार्यवाही के बारे में पैदा हो सकते हैं और उनके ऊपर यहां बहस करनी होगी। यदि केवल यह नीति का प्रश्न होता कि सदन के सदस्यों को किस तरह से अंतरिम परिषद् में बैठ कर बरताव करना चाहिये, इत्यादि के बारे में बहस होती और कोई घटना न घटी होती तो उसके लिये बहस का मौका दिया जा सकता था। एक दूसरा प्रश्न इसमें और उठ सकता है, अगर सदन के सदस्य की हैसियत से कोई बरताव वहां करता है तो उस सम्बन्ध में प्रेसीडेण्ट के रिपोर्ट करने पर ही क्या उठ सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तभी उठ सकता है या अन्यथा भी ?

श्री राजनारायण—अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट न करें तो ?

श्री अध्यक्ष—जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट नहीं करते हैं और कोई दूसरे माननीय सदस्य यहां पर प्रस्ताव ले आते हैं तो बात जरा दूसरी हो जाती है कि क्या कोई शिकायत प्रेसीडेण्ट को है भी या नहीं है।

श्री राजनारायण—वह तो पार्टी है।

श्री अध्यक्ष—पार्टी नहीं है। वह अंतरिम परिषद् का प्रेसीडेंट है। प्रेसीडेंट को शिकायत नहीं है कि अमुक सदस्य ने कागज फाड़ दिये, अब इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है, या इस प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। अगर वह होती तो यह प्रश्न हो सकता था कि सदस्य ने इस तरह से किया, तो क्या उसने वैसा एक सदस्य की हैसियत से किया और इसलिये यह इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या इस सदन का अवमान हुआ जो कि कार्य सदन के सदस्य को इस तरह से नहीं करना चाहिये था, इत्यादि प्रश्न उठ सकते थे। मैं समझता हूं कि जब ऐसे प्रश्न पर बहस उठाने की विरोधी दल के नेता की इच्छा नहीं है तो मैं उसके लिये मौका नहीं दूंगा कि ऐसे विषय बार-बार सदन के सामने आयें क्योंकि इन विषयों से बहुत सा समय सदन का खर्च होगा। इसलिये मैंने समझा कि मैं इसकी इजाजत न दूं।

श्री राजनारायण—उनके प्रस्ताव की इजाजत आपने नहीं दी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध लाने की बात हो तो कोई दूसरा ला सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो दूसरी कार्यवाही की बात है।

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ (क) के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ (क) के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा) तथा (बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १,४१७/१०-९०२—२०/ए-५६, दिनांक १३ जनवरी, १९५८ को उक्त धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, जो विज्ञप्ति माननीय चरणसिंह जी ने सदन की मेज पर रखी है वह दिनांक १३ जनवरी, १९५८ की है और यह विज्ञप्ति संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अनुसार

†छापी नहीं गयी।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]
सदन की मेज पर प्रस्तुत की गयी है। मैं इस पर आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं और वह यह कि १३ जनवरी, १९५८ से सदन दो बार बैठ चुका है और नियमानुसार यह आवश्यक था कि सदन जिस समय बैठे उसी समय इसे प्रस्तुत कर देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—आप वह धारा पढ़ कर सुनाइये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—इस समय वह मेरे पास नहीं है। उसमें सम्भवतः यह है "as soon as possible"।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ऐसी कोई धारा है?

श्री चरणसिंह—मुझे इसका ज्ञान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जब माननीय सदस्य धारा का हवाला नहीं दे सकते तो फिर माननीय मंत्री भी कोई उत्तर नहीं दे सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सामान्यतः जल्दी ही रखना चाहिये था यही उसका तात्पर्य है। १३ जनवरी, १९५८ से दो बार सदन बैठ चुका है।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि देर क्यों हुई?

श्री चरणसिंह—अगर ऐसा नियम नहीं है कि "इमीडियेटली आफ्टर" रखा जाय तो यह कहना कि देर हुई है यह तो क्वेश्चन आफ ओपीनियन है।

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन यह है कि अगर नियमों को सदन के सामने रखने का कायदा है तो यह भी उसके साथ-साथ माना जाता है कि शीघ्र रख देना चाहिये क्योंकि वे छपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको तैयार करना है तो जब आपने नियम बनाकर छाप दिया एक दफे और वे शाया हो गये, तो सदन में शीघ्र रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अब यह बात दूसरी है कि किसी गलतफहमी से और दफ्तर की भूल से कोई उसमें देर हो गयी हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, व्यवस्था का प्रश्न कोई नहीं है इसमें मैं अपनी राय दे चुका, आप कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं—

"उत्तर प्रदेश गो-वध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ निर्दिष्ट किया गया था कि वह एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। समिति अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर सकी है। अतः समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। प्रवर समिति की बैठक हुई थी। वह अभी अपना काम पूरा नहीं कर सकी है। इसलिये अभी दो एक बैठकें और होंगी। इसलिये मैं यह आज्ञा मांगने के लिये मजबूर हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, बारबार ऐसा देखा जाता है कि कोई विधेयक जब आता है तो उस विधेयक को कभी-कभी सरकार अपनी ओर से भी प्रवर समिति में ले जाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर देती है। उसमें समय भी निश्चित कर दिया जाता है। उस समय सदन के सम्मानित सदस्यों को यह अनुभूति करायी जाती है कि इसको हम उस तारीख तक सदन में ला देंगे। माननीय मंत्री जी ने कोई कारण स्पष्ट नहीं किया कि क्या कारण थे जिनको वजह से कि जब पहले प्रस्ताव के मुताबिक सात दिन के अन्दर प्रवर समिति से इसकी रपट को यहां पर लाना था तो नहीं लाया गया। अगर प्रवर समिति के एक ही सदस्य कई-कई समितियों में रहे हों और उसकी वजह से दिक्कत हो तो वह दिक्कत भी नहीं रखी गयी। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जब भी कोई प्रस्ताव आये तो जरा निश्चित रूप में आये। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सात दिन की अवधि जो मांगी जा रही है, हो सकता है कि सात दिन के बाद फिर माननीय मंत्री जी ऐसा प्रस्ताव लायें। इसलिये आप जरा उनको मौका दे दें, वह खूब सोच समझ लें कि अब भी जो समय मांग रहे हैं उसके अन्दर कार्य सम्पन्न हो पायेगा या नहीं और अगर नहीं हो पाये तो अच्छी तरह सोच समझ कर एक महीने का, दो महीने का जितना वह आवश्क समझते हों, समय मांगें। फिर उस पर हम सोच समझ कर अपना मत व्यक्त करेंगे कि देना उचित है या नहीं। ऐसे अगर हम कहेंगे तो यही कहा जायगा कि हम तो एक ही हफ्ते का समय मांग रहे थे, राजनारायण जी जिद कर गए। मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार अपने दिमाग को निश्चित करे, सोच ले कि कितने समय में कार्य सम्पादित कर सकेगी और उतने समय के लिये कोई प्रस्ताव लाये, तब सदन के सम्मानित सदस्यों को अच्छी तरह से अपने मत को व्यक्त करने का मौका मिलेगा।

*__श्री जगन्नाथ लहरी__ (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करता हूं, क्योंकि विधान के मुताबिक किसी अध्यादेश को चालू अधिवेशन के २६ दिन के अन्दर पास हो जाना चाहिये। हमारा यह अधिवेशन २१ जुलाई से चालू है, जिसे आज २१ दिन व्यतीत हो चुके हैं। २६ से भी ५ दिन अधिक व्यतीत हो चुके हैं। जिस समय अध्यादेश को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस समय माननीय कृषि मंत्री ने स्वयं यह हम लोगों को बतलाया था कि विधान के अनुसार अधिक से अधिक २६ दिन का ही समय होता है। उसके भीतर उस अध्यादेश की जगह पर एक विधेयक पास कर देना चाहिये। यदि २६ दिन के भीतर अध्यादेश की जगह पर एक विधेयक पारित नहीं होता है तो वह अध्यादेश कतई रद्द हो जाता है और फिर विधेयक नहीं बन सकता। तो मैं आदरणीय कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो गो-वध निवारण ऐक्ट में संशोधन के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया था और फिर उसी को एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था और जब कि सदन में इस पर बहस हो रही थी तो हमारे कुछ भाइयों ने मांग की थी कि इसे ३ महीने के लिये जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाय। कुछ ने यह मांग की थी कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो ३० दिन के अन्दर रिपोर्ट दे। लेकिन कृषि मंत्री ने उस समय यही कहा था कि अध्यादेश को २६ दिन के भीतर इस विधेयक के द्वारा स्थानान्तरित करना है इसलिये इसमें अधिक समय नहीं दिया जा सकता। अधिक से अधिक १ सप्ताह का समय मिल सकता है, क्योंकि १ सप्ताह के भीतर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे और सदन उसे पारित कर दे तो इसको २६ दिन के अन्दर पारित करना परमावश्यक है, लेकिन वह अवधि खत्म हो चुकी है इसलिये मैं वैधानिक आपत्ति करता हूं कि अब इसको इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मन्जूर करता हूं कि जब मैंने १ सप्ताह के लिये इस बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

उस वक्त मैं यह नहीं समझ सका था कि यह सदन ६ दिन की छुट्टी मनाने का फैसला स्वयं करेगा। अगर साधारण तौर से चलता और ६ दिन की छुट्टी न होती तो यह मुश्किल नहीं था कि १ सप्ताह के अन्दर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी अपना कार्य समाप्त करके अपनी रिपोर्ट इस सदन के सामने रख देती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं सदन को उसकी राय के खिलाफ आर्डर नहीं कर सकता। तो १ सप्ताह की आज्ञा मांगी और ६ दिन के लिये सदन बन्द हो गया और लोग अपने घर चले गये और रिपोर्ट पेश न कर सके तो मेरी समझ में मेरी कोई कमी नहीं है। और यह जो छुट्टी का फैसला किया गया था यह भी बाद में किया गया था, उसके पहले ही मैं १ सप्ताह का समय मांग चुका था। इसलिये मुझे अपनी कोई गलती नहीं दिखाई देती।

जहां तक माननीय लहरी जी ने कहा कि मैंने २६ दिन की बात कही थी, मैंने ऐसी बात कही मुझे याद नहीं और शायद ऐसी गलत बात मैं कह नहीं सकता क्योंकि जहां तक मुझे रूल्स और कांस्टीट्यूशन मालूम है उनमें यह है कि ६ सप्ताह के अन्दर अगर कोई आर्डिनेंस हाउस के काम शुरू करने के अन्दर ऐक्ट न बने तो वह आर्डिनेंस खत्म हो जायगा। तो २६ दिन कहां से आ गये, यह मुझे याद नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने यह भी नहीं कहा कि अगर यह विधेयक २६ दिन के अन्दर पारित होकर ऐक्ट नहीं बन जाता तो यह लैप्स हो जायगा। अगर लहरी जी मेरी बात गलत समझे हों तो मैं उनसे माफी चाहता हूं कि मैं उनको अपनी बात नहीं समझा सका। इसलिये जो उन्होंने आपत्ति उठायी है वह निराधार है। यह तो हो सकता है कि ६ सप्ताह के अन्दर अगर कानून पास न हो तो आर्डिनेंस लैप्स कर जायगा। लेकिन यह नहीं कि यह कानून भी लैप्स कर जायगा। यह कानून तो फिर भी आ सकता है और फिर पास हो जायगा। यह ठीक है कि उसके बीच में गैप हो जाता है उस पर हम बहस करें लेकिन कानून लैप्स नहीं होगा। इसलिये जो उनकी आपत्ति है यह निराधार है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, प्रवर समिति की कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसलिये इसको मंजूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ निर्दिष्ट किया गया था कि वह एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। समिति अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर सकी है अतः समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदन के सदस्य, अधिकारी या सेवक द्वारा किसी दूसरे सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना पर कार्यवाही की प्रक्रिया के सम्बन्ध में संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन संकल्प करता है कि यदि इस राज्य विधान मंडल के दूसरे सदन अथवा भारत में किसी अन्य विधान मंडल के सदन अथवा भारतीय संसद् के किसी सदन का सदस्य, अधिकारी या सेवक इस सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना के मामले में अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष उस विषय को उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी को निर्दिष्ट कर देंगे, परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो वहां लेख्य का अवलोकन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के उपरान्त अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यानदेना उचित नहीं है तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि यदि इस राज्य विधान मंडल के दूसरे सदन अथवा भारत में किसी अन्य विधान मंडल के सदन अथवा भारतीय संसद के किसी सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना का मामला जिसमें इस सदन का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक अन्तर्ग्रस्त हो इस सदन को अवमानित सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाय तो इस सदन के अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसी कि इस सदन की अवहेलना के सम्बन्ध में की जाती और प्राप्त हुये मामले की जांच तथा कार्यवाही की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी को जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो, भेज देंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ आर्डर, मेरे विचार से श्रीमन्, जो विषय माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकल्प के रूप में रखा है उस पर संकल्प के रूप में विचार नहीं हो सकता। हम रिजोल्यूशन के रूप में उस पर निर्णय नहीं कर सकते। इस लिये मैं आप का ध्यान संविधान के आर्टिकिल १९४ की ओर दिलाऊंगा जिसमें 'पावर्स प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज आफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेम्बर्स' बताई गई है। इस के भाग १ व २ में तो फ्रीडम आफ स्पीच और वोट के संबंध में प्रिविलेज डिफाइन किये गये हैं। आगे उसके बाद इसके भाग (३) में लिखा है मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं है। इस लिये मुझे अंग्रेजी में पढ़ने की आज्ञा दी जाय कि—

"In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of State, and of the members and the committees of a House of such legislature, shall be such as may from time to time be defined by the legislature, by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

इसके अर्थ यह हैं कि फ्रीडम आफ स्पीच और वोट के मामलों को छोड़कर बाकी सब मामलों में वही अधिकार होंगे जो कि हाउस आफ कामन्स में है, जब तक कि कानून के द्वारा विधान मंडल उसको कोई दूसरा रूप न दे दे। यहां पर यह स्पष्ट है कि कोई कानून ऐसा नहीं है जिस में हमारे प्रिविलेजेज और पावर्स डिफाइन हों। इस लिये इस धारा के अनुसार संविधान लागू होने से हमारे वही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामन्स की पावर्स प्रिविलेजेज और इम्युनिटीज हैं।

आप देखें कि यह संकल्प जिस प्रकार लिखा गया है यह प्रिविलेजेज को डिफाइन करता है और साथ ही माननीय अध्यक्ष को भी निर्देश करता है कि वह ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे। इसके पहले पैराग्राफ में है कि यदि कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष वहां के प्रिजाइडिंग आफिसर के पास भेज देंगे। यह अध्यक्ष को निर्देश है। इसी संकल्प में आगे एक और भी निर्देश अध्यक्ष को है कि यदि अध्यक्ष समझें कि कोई अवहेलना नहीं हुई है या मामला इतना तुच्छ है तो वह उसे रिजेक्ट कर सकते हैं यानी रूलिंग कैसे दी जाय इसमें यह भी निर्देश है। तीसरे यह भी कहा है कि अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदन के सदस्य का अवमान करें तो प्रोसीडिंग्स क्या होंगी इसका भी निर्देश है। श्रीमन्, मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस १६१५ के एडीशन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें एक पैरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लिखा हुआ है। वहां परिपाटी क्या है ? वहां भिन्न परिपाटी है यह अनकांस्टीट्यूशनल इसलिये है कि थोड़ा-सा मिलता है, लेकिन कुछ मामलों में भिन्न है। वहां सिद्धान्त क्या है ? वह इस प्रकार है कि:—

"The leading principle which appears to pervade all the proceedings between the House of Parliament is that there shall subsist a perfect equality between them and that they shall be, in every respect, totally independent of one or the other. Hence it is that neither House can claim, much less exercise, any authority over a member of the other, (*b*) neither House of Parliament can take upon itself to punish any breach of privilege or contempt offered to it by any member of the other House. If any complaint is made against any individual member or against any of the officers of the other House the usual mode of proceeding is to examine into the fact and then lay a statement of that evidence before the House of which the person complained of is a Member or Officer".

यहां पर भिन्न परिपाटी है। प्रोसीडिंग का तरीका यह है कि फैक्ट्स को एक्जामिन किया जाय तब फैक्ट्स का ऐवीडेंस उस हाउस में लिया जाय जिसका कि वह सदस्य मेम्बर हो। वहां तरीका भिन्न है। वहां जिस तरह से गवाही ली जाती है वह भिन्न है।

श्री अध्यक्ष—आपने यह नहीं बतलाया कि वहां गवाही में भिन्नता क्या है ? प्रस्ताव में भी तो यही चीज मालूम होती है—"is to examine into the fact and then lay a statement of that evidence before the House of which the person complained of is a Member or officer." यह संकल्प का दूसरा हिस्सा है। यह प्रोसीजर है कि "इस सदन की अवहेलना के संबंध में की जाती और प्राप्त हुई मामले में की गई जांच तथा कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी को जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो, भेज देंगे।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां यह संकल्प के दूसरे भाग में है, लेकिन पहले भाग में यह है कि अध्यक्ष उस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देंगे और जिस प्रकार कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा हुआ है उसे प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में कर दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि हम किसी रिजोल्यूशन द्वारा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकते हैं तो रूल्स द्वारा दे सकते हैं। इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि इस तरह की कोई व्यवस्था की जाय तो वह नियम बनवायें और संकल्प के द्वारा हाउस की प्रोसीडिंग्स तय नहीं कर सकते हैं।

मैं कांस्टीट्यूशन के आर्टीकिल २०८ की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :—

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business".

प्रोसीजर केवल रूल्स के द्वारा हो सकता है, संकल्प के द्वारा नहीं हो सकता। संकल्प की परिभाषा श्रीमन्, हमारे नियमों में दी हुई है। इसके पृष्ठ २ पर है वह इस प्रकार है कि—"संकल्प का तात्पर्य उस प्रस्ताव से है जो सार्वजनिक हित के किसी विषय पर चर्चा करने के लिये किया जाय। यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का सवाल नहीं है, बल्कि हाउस के इंटरनल मामलों से संबंध रखता है। इस लिये नियम द्वारा होना चाहिए।

श्रीमन्, मेरे दो ऐतराज हैं। एक तो यह कि हाउस का प्रोसीडिंग्स हम संकल्प के द्वारा तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि ला के द्वारा ही तय कर सकते हैं। दूसरे हाउस के प्रोसीजरल मैटर्स नियमों के द्वारा तय करने चाहिये न कि प्रस्ताव के द्वारा। श्रीमन्, आपको ज्ञात ही है कि नियम कमेटी बैठी हुई है। उसने कुछ इंटेरिम रिकमेंडेशन्स किये हैं। ऐश्योरेंस कमेटी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी तथा बिजिनेस ऐडवायजरी कमेटी के बारे में भी उसने कुछ रिकमेन्डेशन्स किये हैं और उनको हाउस ने स्वीकार भी किया है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये। अब आपका भाषण बहुत लम्बा हो रहा है। आपका मतलब मैं समझ गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इसकी वैधता के संबंध में माननीय नारायणदत्त जी ने अपने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनकी बहुत-सी बातों से मैं सहमत हूं कि आज यह संकल्प प्रस्तुत नहीं हो सकता। संकल्प की एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है। संकल्प किन विषयों पर आना चाहिये और कब आना चाहिये इसके संबंध में हमारी प्रक्रिया नियमावली में विधि बतायी गयी है। उसको श्रीमन् देखा जाय। नियम ७८ इस सम्बन्ध में यह कहता है:—

"संकल्पों का वाद विषय—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन कोई सदस्य किसी सार्वजनिक हित के बारे में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है।"

इसके अनुसार तो बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार की द्विविधा नहीं होनी चाहिये, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी कि विधान सभा की कार्यवाही या विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे निर्धारित हो और कैसे प्रमाणित माना जाय। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय को कोई अधिकार विशेषाधिकार के थे तो संकल्प के द्वारा उनके विस्तार करने के संबंध में विचार होने लगे तो मैं समझता हूं कि जो सीमा संकल्प की खींची गयी थी उसका बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो जायगा। इस सम्बन्ध में संविधान की उस धारा को भी अच्छी तरह से देखना चाहिये। माननीय नारायणदत्त जी ने भी उसको पढ़ा था कि जो हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज हैं हमारे भी विशेषाधिकार वहीं रहेंगे जब तक कि किसी विधि के द्वारा हम अपने लिये कोई दूसरे विशेषाधिकार न बनावें। इस संकल्प को विधि तो नहीं कहा जा सकता। इस संकल्प के द्वारा माननीय नेता सदन यदि विधि और संकल्प के अन्तर को मिटाना चाहें तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप यह आज्ञा उनको प्रदान न करें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ज्यादा अधिकार इस संकल्प द्वारा लेने की बात रखी है। एक बात तो यह है कि इस संकल्प को यहां पर प्रस्तुत करके विधि की मर्यादा और सीमा को कुंठित किया जा रहा है और इसकी परिधि को बढ़ा करके संकल्प और विधि का अन्तर मिटा दिया जा रहा है। अगर कोई विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव यहां पर आवे तो किसी विधि के अनुसार कह सकते हैं और वह विधि यहां पर प्रस्तुत हो तो उसके मुताबिक यहां पर उस पर चर्चा हो सकती है और हम विवाद कर सकते हैं।

दूसरी बात यह सही है कि संकल्पों के संबंध में हमारी प्रक्रिया नियमावली में कुछ बातें दी गयी हैं, किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि नेता सदन एक सदस्य की हैसियत से संकल्प यहां पर रख रहे हैं या मुख्य मंत्री जी की हैसियत से सरकार की ओर से संकल्प रख रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण आप स्वतः हम लोगों को करायेंगे, क्योंकि नेता सदन कोई संकल्प कभी-कभी प्रस्तुत करते हैं और कभी-कभी माननीय मुख्य मंत्री कोई संकल्प प्रस्तुत करते हैं। तो नेता सदन के नाम से जो संकल्प प्रस्तुत होता है और सरकार की ओर से मुख्य मंत्री के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत होता है उसमें क्या अन्तर है यह स्पष्ट होना चाहिये। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि जो संकल्प इस समय आया है वह नेता सदन के नाम से एक सरकारी संकल्प है किन्तु हमारी शंका है कि यह संकल्प भी कहां तक वैध है। इसके संबंध में भी आप स्पष्टीकरण करें। यदि इसको सरकारी प्रस्ताव माना जाय तो उसके लिये भी नियम है कि "यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगी यानी इसमें "not less than seven days" नहीं है, सात दिन की सूचना देगी, यह है। श्रीमन्, जरा इस बात को मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और आप भी ध्यान से सुनें। यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह ७ दिन की सूचना

[श्री राजनारायण]

देगी। सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के ४८ घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भेजवायेगा। मुझे मालूम नहीं कि इस संकल्प की सूचना.....

श्री अध्यक्ष—३१ जुलाई को दे दी गयी।

श्री राजनारायण—वह हमारे पास है। लेकिन इसमें "नाट लेस दैन सेवेन डेज" नहीं है। डेफिनिट कहा गया है कि ७ दिन की सूचना देगी। अगर यह कहा गया होता कि कम से कम ७ दिन का सूचना देगी तो हम समझ ते कि वह ७ दिन से ज्यादा है, ठीक है।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब है कि एक घंटा ज्यादा भी नहीं होना चाहिये, एक घंटा कम भी नहीं होना चाहिए।

श्री राजनारायण—जो भाषा है वही मैं पढ़ रहा हूं। अन्त में आपको अधिकार है ही।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप जानते हैं खुद भी।

श्री राजनारायण—क्या होना चाहिए मैं यह जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं जब खुद भुक्त भोगी बनाया जाता हूं इन्हीं नियमों के अन्तर्गत तो अच्छे काम के लिए अगर फायदा हो सके तो हम भी उठायें। इसको मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ४८ घंटा भी लिखा हुआ है। सात दिन का कोई उद्देश्य होना चाहिये। इसमें यह भी कह दिया गया है, "कि परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकता है"। इससे ज्यादा समय की सूचना नहीं स्वीकार कर सकता है। अगर यह इसमें डेफिनिट न लिखा गया होता तो मैं उस बात को मानता जो आप कह रहे हैं। प्राविजो में अध्यक्ष उसको बढ़ा नहीं सकता है। सात दिन से कम की सूचना अध्यक्ष जरूर मान सकता है, तीन ही दिन हो, चार ही दिन हो।

श्री अध्यक्ष—अब आगे बढ़िए और संक्षेप में कहिए। मालूम हो गया आप का प्वाइंट। वैधानिक प्रश्न आपने उठाया है। उस पर वक्तव्य की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—अगर प्रक्रिया नियमावली को देखा जाय तो उसके मुताबिक भी संकल्प उपस्थित नहीं हो सकता। संविधान को देखा जाय तो संविधान के मुताबिक भी यह प्रश्न यहां पर प्रस्तुत नहीं हो सकता और पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जाय, वहां पर जो विशेषाधिकार के सम्बन्ध में कायदे-कानून बने हुए हैं उनका भी अतिक्रमण हो रहा है, चाहे थोड़ा ही होता हो। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है "जांच तथा कार्यवाही" दोनों शब्द लिखे हुए हैं। कार्यवाही के मानी क्या हैं? कार्यवाही पूरी हो या उसको अधूरा छोड़ कर इसका स्पष्टीकरण यहां पर नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के मुताबिक रपट केवल दूसरे सदन से अधिष्ठाता को कर देनी है। दोनों शब्दों को लिख कर क्या यह माना जाता है कि दूसरे सदन के सम्मानित सदस्यों के संबंध में भी अध्यक्ष पूरी कार्यवाही कर ले, यदि आप उचित समझें तो आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें, उस पर वह अपनी रिपोर्ट दें और उस पर यह सदन फैसला दे दे, फिर उनको कार्यवाही यहां से सूचनार्थ भेजी जाय? हर दृष्टिकोण से यह संकल्प अग्राह्य होना चाहिए और नेता सदन को प्रस्तुत करने की इजाजत आपको हरगिज-हरगिज नहीं देनी चाहिए।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझा हूं दो तीन आपत्तियां की गयीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक यह बात है कि सात दिन की सूचना आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सात दिन से ज्यादा की नहीं, साढ़े सात दिन की नहीं स्वीकार कर सकते। मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज है जिसकी बाबत बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बाकी जहां तक मैं समझ पाया हूं मुख्य आपत्ति वही थी जिसको माननीय नारायणदत्त जी ने पेश किया। उनका ऐसा खयाल है कि यह चीज किसी कानून के जरिये आनी चाहिए। मेरा खयाल है कि उन्होंने संविधान की जिस धारा का हवाला दिया, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। उस धारा के अन्दर इतना ही है कि जब तक कोई विधायक सभा अपने सदस्यों के प्रिविलेजेज इत्यादि को निश्चित न कर दे तब तक वही अधिकार होंगे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस आफ कामंस के हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि हम किसी नये अधिकार की सृष्टि करना चाहते होते तो हमको कानून की जरूरत होती, लेकिन हम किसी अधिकार की सृष्टि करने नहीं जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे अधिकार वही हैं जो ब्रिटिश हाउस आफ कामंस के हैं। सवाल यह है कि यदि उन अधिकारों की अवहेलना कोई कर दे तो तब क्या हो। हम किसी नये अधिकार की सृष्टि नहीं करने जा रहे हैं, और न कांस्टीट्यूशन की धारा उधर आकर्षित होती है और न उससे उसका कोई संबंध है। हमारे सामने तो केवल ऐसी परिस्थिति का सवाल है कि यदि कोई इस सदन की मर्यादा की अवहेलना कर दे या कोई इस सदन की शान के खिलाफ कोई काम कर बैठे तो उस शान की रक्षा किस प्रकार की जाय। इसके लिये इस वक्त कोई विधान पूरे तौर पर नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से इस में सहायता नहीं मिल सकती, वह इसलिये नहीं मिल सकती कि इंग्लैंड में कोई फेडरल कांस्टीट्यूशन नहीं है। इंग्लैंड में दो हाउस जरूर हैं, लेकिन इस तरह से सूबे नहीं है जैसे कि हमारे यहां बंगाल, गुजरात, पंजाब इस तरह के अनेक प्रदेश हैं वहां पर इस तरह से कोई अवहेलना हो सकती है। इंग्लैंड में इस तरह की कोई चीज नहीं है। इसलिये यदि बंगाल का कोई सदस्य या बम्बई का कोई सदस्य इस माननीय सदन की शान की अवहेलना कर दें तो उसकी रक्षा कैसे हो, इसमें मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस कोई मदद नहीं दे सकती सिवाय इसके कि वहां पर दो हाउस जरूर है और हमारे यहां भी दो हाउस हैं। जिस परिस्थिति में वहां मदद मिल सकती है वह यहां भी मिल सकती है जैसा कि राजनारायण जी ने कहा, लेकिन इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठती है। जो हमारे अधिकार हैं वही हैं। हम चाहते हैं कि उन अधिकारों की रक्षा हो। न केवल उत्तर प्रदेश वालों से ही हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके, बल्कि इस देश में कहीं भी, कोई भी हमारी बेइज्जती न कर सके और कोई विशेषाधिकार की अवहेलना न करे, इसी उद्देश्य को लेकर यह संकल्प उपस्थित किया है। हम किसी कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या आप यह व्यवस्था नियमों के अनुसार ही करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--इसकी व्यवस्था तो मैं दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--संविधान में यह है कि हमारे प्रिविलेज वहीं होंगे जो हाउस आफ कामन्स के हैं। हाउस आफ कामन्स की प्रिविलेज की एक कानूनी किताब है मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस। यह कोई पब्लिशर की किताब नहीं है, बल्कि यह हाउस आफ कामन्स का पब्लिकेशन है। उसका छठा पैराग्राफ पेज १४५ पर लायक दोस्त मेम्बर नैनीताल ने पढ़ा। मैं उसके दूसरे पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि :

"When a member, officer or servant of either House has been guilty of any offence either against the other House or against its members, which would be punishable by the latter if committed by one of its own members, officers, or servants, it is the duty of the House to which such offender belongs, upon being apprised of the fact, to take proper measures to enquire into and punish the offence in a proper manner."

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मान्यवर, हम कहें या नहीं, संकल्प कर या नहीं यह यहां का नियम है कि यदि दूसरे सदन का सदस्य, सेवक अथवा अधिकारी इस सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना करता है या उसका अवमान करता है तो यदि हम उनको लिख दें तो वह बाध्य है कि इस संविधान के अन्तर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें। इसलिये मैं समझता हूं कि जब संविधान में इस तरह से लिखा हुआ है तब इस तरह के संकल्प की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा मेरा एतराज यह है कि इस संकल्प के अन्तर्गत कुछ ऐसे अधिकार दिये जाने की बात है, "अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है, अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है। इस विषय में मेरा नम्र निवेदन यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का निर्णय सदन करता है। अध्यक्ष केवल प्राइमाफेसी केस यानी जाहिरा ऐसा मालूम होता है, तय करता है। अगर समाधान का मतलब यह है कि उसका फैसला हो गया तो यहां जो नियम है उनसे हम कुछ आगे चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई मामला यदि तुच्छ है तो अध्यक्ष स्वयं समझ बूझ कर उसका फैसला कर देंगे। किसी संकल्प के जरिए कि यह तुच्छ है या नहीं, मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कानून के अन्दर इसके लिये इस सदन को हक नहीं हासिल है और न यह उचित है कि ऐसा निर्णय यहां किया जाय। अध्यक्ष स्वयं उसे कर सकते हैं।

एक बात माननीय नेता सदन ने यह कही कि जो भी हमारे विशेषाधिकारों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ इस संकल्प के बाद कार्यवाही हो सकेगी। ऐसी बात नहीं है, इस संकल्प का सम्बन्ध केवल किसी लेजिस्लेचर के सदस्य अधिकारी अथवा सेवक से है। यह नहीं कि एक मैकूलाल, चांदनी चौक, दिल्ली की अवहेलना करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार इस के द्वारा प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं, इसके ऊपर जो आपत्ति उठायी गयी है, उस सम्बन्ध में अपना निर्णय देता हूं।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि संकल्प के दोनों भाग जो हैं वे उस प्रथा के आधार पर हैं जो हाउसेज आफ पार्लियामेंट में पद्धति है। इसलिये उनका आक्षेप है कि संकल्प अनावश्यक हैं, क्योंकि जब संविधान में यह दिया हुआ है कि हमारे अधिकार वही होंगे विशेषाधिकार के सम्बन्ध में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं तो उसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि मेंज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इंग्लैंड के दोनों हाउसेज में जो प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में प्रथा दी हुई है, वही प्रथा यहां भी लागू हो जाती है, यह बात बहुत कुछ अंश में सही है कि वही प्रथा लागू हो जाती है, लेकिन वहां भी अगर आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सफा १४५ को देखें, जो भाग माननीय नारायणदत्त जी ने पढ़ा था, वह यह था—

"The leading principle which appears to pervade all the proceedings between the Houses of Parliament is that there shall subsist a perfect equality between them, and that they shall be, in every respect, totally independent of one or the other. Hence it is that neither House can claim, much less exercise, any authority over a member of the other (*b*)".

इस उद्धरण में सिद्धांत तो यह है कि दोनों सदनों में हर एक सदन स्वतंत्र है और बराबरी का है। इंग्लैंड में इस सिद्धांत को मानने पर दो सदनों का झगड़ा हो सकता था, यदि एक सदन का सदस्य दूसरे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना करता है या उसे अवमानित करता है। यदि दोनों वे सदन बराबरी के हैं तो यह हो सकता है कि एक सदन कहे कि किसी ने भी उस सदन का अवमान किया है तो वही इसको दंडित करेगा। इसी प्रकार हमारे यहां भी अगर परिषद् के किसी

सदस्य ने इस विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना की है तो चूंकि यह सदन परिषद् के अधिकारों में बराबरी का है इसलिये हम यह कह सकते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम विधान परिषद् के सामने अपनी शिकायत भेजें और यह प्रार्थना करें कि क्योंकि हमारे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है इसलिये आप अपने सदन के अमुक सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना के लिये कार्यवाही करें। हम परिषद् के चेयरमैन का ध्यान आकर्षित किये बिना ही इस सदन में यह फैसला कर दें कि हम उक्त अपराधी सदस्य को अमुक दंड से दंडित करते हैं। इसी तरह से विधान परिषद् के चेयरमैन के सामने जब प्रश्न आये कि इस सदन के सदस्य ने उस सदन का अवमान किया है या विशेषाधिकार की अवहेलना की है तो इसी तरह इस प्रश्न को वह वहां भी उठा सकते हैं और उसे अपने सदन द्वारा दण्ड दे सकते हैं। यह भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीके को झगड़े का तरीका कहा जा सकता है। इस तरह से दो सदनों के बीच झगड़ा हो जायगा। इसलिये इंग्लैंड में यह प्रथा डाल दी गई हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स की कार्यवाही में कि जैसा विरोधी दल के नेता ने पढ़ कर सुनाया कि :

"When a member, officer or servant, of either House has been guilty of any offence either against the other House or against its members, which would be punishable by the latter if committed by one of its own members, officers, or servants, it is the duty of the House to which such offender belongs, upon being apprised of the fact, to take proper measures to inquire into and punish the offence in a proper manner".

जिस सदन के अधिकारी ने या सदस्य ने विशेषाधिकार की अवहेलना, दूसरे सदन की, है। यह उसी सदन का फर्ज है कि अपराधी सदस्य या अधिकारी को दंडित करे जब कि उसे मालूम हो जाय कि अवमान या अवहेलना दूसरे सदन की अमुक सदस्य या अधिकारी ने की है। यह प्रथा इंग्लैंड में समझौते से डाल दी गयी, कोई कानून वहां नहीं बना। समझौते से यह बात तय हुई। भारत में भी इस तरह का प्रश्न लोक सभा और राज्य सभा में पैदा हुआ था और वहां पर यह उचित समझा गया कि क्योंकि दोनों सदन बराबरी के हैं, तो दोनों सदनों में इस तरह का प्रस्ताव पारित करके ही इंग्लैंड के सदृश प्रथा पड़ जायगी। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में ११९ वें सफे पर है निम्न एक उदाहरण, इस प्रकार प्रस्ताव से प्रथा डालने का मौजूद है :

"Premature Publication of a Committee's Proceedings or Evidence by the ancient custom of Parliament 'No act done at any committee should be divulged before the same, be reported to the House, upon which probably the Commons, on 21st April, 1937, resolved", That the evidence taken by any select committee of this House, and the documents presented to committee, which have not been reported to the House, ought not to be published by any member of such committee or by any other person".

इस प्रकार की अनेक मिसालें ऐसी मिलेंगी कि कोई प्रथा कायम करके सदन संकल्प करे कि यह प्रथा रहेगी। हालांकि यह उसूल सर्वमान्य है कि प्रकाशित नहीं करनी चाहिये किसी कमेटी की कार्यवाही, लेकिन उसमें कई लोग झगड़ा करते थे और विरोध भी करते थे, इसलिये पार्लियामेंट ने प्रस्ताव के द्वारा इस बात को निश्चित कर दिया कि कोई प्रकाशित न करे। इसी तरह से दोनों सदनों में यह हो सकता है कि यदि हम दूसरे सदन के सदस्य को दंडित कर दें, तो झगड़ा पैदा हो सकता है। इसलिये इस संकल्प के द्वारा यही प्रथा जो कि हाउसेज आफ पार्लियामेंट में कायम है, उसको कायम करने का प्रयत्न किया गया है। यदि एक सदन का अवमान दूसरे सदन के सदस्य ने या अधिकारी ने किया हो तो वह प्रश्न पहले सदन में उठाया जायगा। मान लीजिये कि इस सदन के विशेषाधिकार की

[श्री अध्यक्ष]

अवहेलना विधान परिषद् के किसी सदस्य ने की तो इस सदन में वह प्रश्न उठाया जायगा और अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि अगर यहां के विशेषाधिकार की अवहेलना का विषय तुच्छ है और प्राइमा फेसी (*prima facie*) अवहेलना हुई ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो उसे वहीं समाप्त करके उसे उठाने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। तुच्छ शब्द का नेता विरोधी दल ने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि उनका कथन कुछ अंश में सही है। मैं समझता हूं कि इसके शब्द थोड़े से परिवर्तित हो जावें कि प्राग्दर्शन में अगर अध्यक्ष यह समझे कि विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार करदे तो अधिक अच्छा हो। दूसरे सदन के सदस्य ने हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना की ऐसा प्रश्न जब इस सदन में उठाया जाय तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह यह कह सकते हैं कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न प्राइमा फेसी नहीं है इसलिये दूसरे सदन के चेयरमैन के पास भेजने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। यह संकल्प के पहले हिस्से में बात है। यदि अध्यक्ष समझते हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो उस प्रश्न को दूसरे सदन में भेज दें जिस सदन के सदस्य ने इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है या इसे अवमानित किया है फिर उसके ऊपर वह सदन गौर करके जो फैसला उनका होगा वह भेज देगें।

इसी तरह से अगर दूसरे सदन का अवमान यहां के किसी सदस्य या अधिकारी ने किया हो, तो यह प्रश्न दूसरे सदन में उठाया जायगा। जिस सदन का अवमान हुआ है उसमें प्रश्न उठेगा और वह प्रश्न चेयरमैन परिषद् इस सदन के अध्यक्ष के पास भेज देंगे इस हेतु से कि फलां अधिकारी या सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करो। यह बात सदन के दूसरे हिस्से में है। तब उसके बारे में, जैसा राजनारायण जी कहते हैं, जांच करके जो कुछ कार्यवाही करनी है, उसे करने के पश्चात् उसकी सूचना दूसरे सदन को देनी होगी।

मैं समझता हूं कि जो प्रथा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मौजूद है उसका अनुकरण इसमें किया गया है। केवल यह प्रोसीजर का सवाल अवश्य है, लेकिन एक सदन के प्रोसीजर का सवाल नहीं है, दो या कई सदनों के प्रोसीजर का सवाल है। इसलिये हर एक सदन में इस तरह का संकल्प होने पर ही वह प्रथा कायम हो सकेगी। अगर सभी सदन स्वीकार करेंगे तभी यह प्रथा जारी होगी। शायद अन्य सदनों ने इस संकल्प को स्वीकार कर लिया है। संकल्प की स्वीकृति होने पर यह प्रथा नियमों में शामिल की जावेगी और नियमों में इसी के अनुसार सुधार हो रहा है वे नियम भी प्रस्तावों के द्वारा ही स्वीकार होते हैं। इसलिये प्रोसीजर भी प्रस्ताव के द्वारा या संकल्प के द्वारा स्वीकार होता है, इसमें अनोखी बात नहीं है। हर एक नियम यहां का प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार होता है। इसी तरह से यदि संकस्प पारित हुआ तो वह भी नियम में शामिल होगा।

मैं समझता हूं कि यह आपत्ति जो उठाई गई है, यह अवैधानिक है, ठीक नहीं है।

(इस समय १ बज कर २४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प मैंने सदन के सामने रखा है उसका अर्थ उसकी भाषा से ही स्पष्ट है और उस पर जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, उस पर अपनी व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ कहा उससे इस संकल्प की आवश्यकता पर इतना काफी प्रकाश पड़ा कि मेरा काम बहुत ही हल्का हो गया। इसका जो तात्पर्य है वह बहुत सीधा सादा है। हर सदस्य इस बात को जानता है कि इस सदन के सम्मान की रक्षा हो, उसकी मर्यादा की रक्षा हो।

जहां तक अपने सदस्यों की बात है, उनके ऊपर इस सदन को अधिकार है, जो इस सदन के अधिकारी है, जो प्रादेशिक सरकार के अधिकारी है, उनके हाथ अगर किसी प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन का अवमान हो जाय, उसकी मर्यादा की अवहेलना हो तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार इस सदन को है। इसी प्रकार समाचार-पत्रों पर भी इस सदन को अधिकार है और जैसा कि 'ब्लिट्ज' पर मुकदमा चला उससे यह जाहिर होता है कि किसी दूसरे प्रदेश से जारी होने वाले अखबार भी अगर कोई ऐसी बात करते हैं, जिससे इस सदन की राय में उनकी मर्यादा को ठेस लगती है तो उनके विरुद्ध भी इस सदन को कार्यवाही करने का अधिकार है, लेकिन यदि किसी दूसरी विधायिका के किसी माननीय सदस्य या अधिकारी के हाथ से इसका अवमान हो जाय, चाहे वह कोई प्रादेशिक विधायिका हो या केन्द्र की पार्लियामेंट, तो उसके लिये इस समय कोई रोकथाम नहीं है। इसलिये इस संकल्प का उद्देश्य यही है कि यदि किसी दूसरे प्रदेश की विधायिका द्वारा या पार्लियामेंट के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा या हमारी ही विधान परिषद् के किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा, इस सदन का अपमान हो तो उस मामले में यह कार्यवाही की जा सकती है। अब कार्यवाही क्या हो? कार्यवाही वही बतायी गयी है, जिसका आभास हमें मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से मिलता है, यानी यह कि अगर कोई इस तरह की कार्यवाही करेगा जो हमारे यहां का सदस्य नहीं है, तो इसमें बतलाया गया है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी नोटिस में बात लायी जायगी कि अमुक जगह के अमुक सदस्य ने या अमुक अधिकारी ने अमुक-अमुक काम किया है, जिससे सदन का अवमान होता है, इस सदन के प्रिविलेज पर आघात पहुंचता है तो वह उसको देखें और जैसा कि कायदा है प्राइमा फेसी तरीके से देखें कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो उसको वहीं खत्म कर दें, जैसा कि यहां भी होता है, लेकिन यदि उनको ऐसा लगे कि सचमुच में चीज ऐसी है जिससे इस सदन के सम्मान को धक्का लगा है तो वे जहां कहीं के भी सदस्य हों, उनके अध्यक्ष के पास लिख कर भेज देंगे कि आपके यहां के फलां सदस्य ने या फलां अधिकारी ने फलां काम किया है जिससे उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सम्मान को आघात पहुंचा है उनके पास जब वह जायगा तो वे उसके ऊपर उसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे जिस प्रकार से यदि उनके किसी सदस्य द्वारा उनके सदन का अवमान हो जाने पर वे कार्यवाही करते हैं। जैसे उनके यहां प्रीविलेज कमेटी होती है उसके पास वे इस मामले को भेज देंगे और उसका जो फैसला होगा उसको वे हमारे अध्यक्ष के पास भेज देंगे कि हमारे यहां की फलां कमेटी ने यह कार्यवाही की है और उसका यह निर्णय है।

अतः जाहिर बात है कि जब हम अपनी मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं तब हमें दूसरों की मर्यादा की भी रक्षा करनी चाहिये। इसलिये यदि हमारे यहां के किसी सदस्य द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा किसी दूसरी जगह के किसी सदन की मर्यादा की अवहेलना हो तो उनको भी यह अधिकार होना चाहिये कि वे हमारे यहां के अध्यक्ष को लिख कर भेज दें कि आपके यहां के फलां सदस्य ने या फलां अधिकारी ने इस तरह की कार्यवाही की है। फिर अध्यक्ष उसके ऊपर उसी तरह की कार्यवाही करेंगे।

मैं समझता हूं कि इस विषय में कोई दो रायें नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी पार्टी या किसी दल का सवाल नहीं है। यदि हमारे यहां डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को चलाना है तो उसकी रक्षा भी होनी चाहिये, जो भी विधान सभा हो, जो भी विधान परिषद् हो उसकी मर्यादा की रक्षा होनी चाहिये। यह रूल्स व नियम इसलिये बनते हैं कि शायद कभी ऐसा अवसर आ जाय। यह केवल हमारे यहां की बात नहीं है बल्कि इंगलैंड जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी बहुत दिनों से चलती आ रही है, वहां पर भी ऐसे अवसर आये और इसीलिये उसको मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में रखने की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे यहां तो यह नयी चीज है, गलती भी हो सकती है। इसलिये इस बात की जरूरत पड़ी और यह सवाल कोई एकाएक नहीं उठा। सब को मालूम है कि केन्द्र दोनों सदनों—हाउस आफ पीपुल और कौंसिल आफ स्टेट्स के अध्यक्ष और चेयरमैन तथा देश में जितनी भी विधान सभायें और विधान परिषद् हैं उनके अध्यक्ष और चेयरमैन की एक मीटिंग साल में हुआ करती है। उनके सामने यह सवाल गया और उन लोगों ने यह तय किया कि इस तरह का

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रस्ताव हर जगह पास हो जाय, क्योंकि हर जगह पास नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा । इस तरह से इस प्रस्ताव की जो रूपरेखा है उसी को सब जगह पास होना है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में और जितनी भी विधान सभायें व विभान परिषदें हैं, उन सब में । तो हम सबका यह कर्त्तव्य है कि जितनी भी विधायिका सभायें हैं उनकी मर्यादा की हम रक्षा करें ।

एक बात का मैं और जिक्र कर दूं कि हमारे यहां कि जो विधान परिषद् है उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है । इसलिये जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आशा करता हूं कि हम सब इस बात को मान कर चलते हैं कि हमको लोकतंत्र की रक्षा करनी है और उसकी उन्नति करनी है । मैं आशा करता हूं कि हम सभी इसको एकमत से स्वीकार करेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जिस समय अध्यक्ष महोदय के सामने इस प्रस्ताव पर विवाद चल रहा था और उसकी वैधानिकता पर बहस हो रही थी तो इस प्रस्ताव के कुछ शब्दों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ संकेत किया था । तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस संकल्प को संशोधित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं या जिस रूप में यह पहले प्रस्तुत हुआ था उसी रूप में यह प्रस्तुत है ?

श्री उपाध्यक्ष—अगर माननीय सदस्य ने ठीक से सुना हो तो चाहे इसकी शब्दावली भिन्न हो । तो ऐसी हालत में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि जो भी रूप इस वक्त इसका है उसी रूप में यह सदन के सामने रहेगा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं आपकी इजाजत से यह निवेदन कर दूं कि कुछ आपत्ति इन शब्दों पर हुई थी "मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है" । इसे पेश करने के पहले भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया था, लेकिन उसके बाद माननीय अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई इस सम्बन्ध में, तो उन्होंने कहा कि एक दिक्कत इसमें यह पैदा हो गयी है कि हमारे यहां विधान परिषद् में इन्हीं शब्दों में यह पास हो चुका है और सब सदन बराबर हैं । वे किसी भाषा में करें और हम किसी भाषा में करें यह उचित नहीं है । उनका ऐसा खयाल है कि इसी रूप में मध्य प्रदेश या एक आध जगह यह पास भी हो चुका है और हिन्दी भाषा सब जगह एक ही है । इसलिये उनका कहना है कि दूसरे शब्दों में करने में दिक्कत होगी ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, आज जो संकल्प प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में जो वैधानिक आपत्तियां उठाई गयीं और अध्यक्ष महोदय ने जो अपना निर्णय दिया उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इसकी आवश्यकता और औचित्य पर अवश्य कुछ बातें कहनी हैं ।

इस संकल्प की पंक्ति २ में शब्दावली है "किसी सदन का सदस्य, अधिकारी या सेवक" ये तीन शब्द इसमें आये हैं । इन तीन शब्दों के अलावा और कोई शब्द नहीं रखे गये । मेरा सन्देह है कि इन शब्दों के अतिरिक्त भी कुछ और लोग हो सकते हैं जैसे किसी अखबार का सम्पादक इस प्रकार की अवहेलना करे जिसका कि इसमें संकेत किया गया है, लेकिन वह शब्द इस प्रस्ताव या संकल्प में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—बहरहाल जो इसका विषय है वह सीमित है । वह केवल मेम्बर्स, अधिकारी और सेवकों के लिये है । अखबारों के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न तो इसके पास हो जाने के उपरान्त भी उठाया जा सकता है, कोई रुकावट उसमें नहीं होगी । यह व्यवस्था है अपनी जगह। वैसे सब विधायक मंडलों के अपने अपने नियम बने हुये हैं, उसके अनुसार वे उसकी व्यवस्था करेंगे । इसलिये यह प्रश्न यहां असंगत सा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आपकी बात पूरी पूरी जानते हुये भी मैं इस बात को आपके सामने रख रहा था—आप थोड़ा ध्यान से इसको सुन लें—यदि संकल्प में वे बातें नहीं आती हैं तो मुझे भय है कि कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब किन्हीं सदनों का अपमान दूसरे प्रकार से हो जाया करता है या अध्यक्षों का हो जाया करता है । यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे पूर्व का इसी प्रकार का एक उदाहरण याद है जिस समय नफीसुल हसन साहब अध्यक्ष थे, उनके समय में बम्बई प्रान्त के 'ब्लिट्ज' अखबार के सम्बन्ध में कुछ ऐसी ही कार्यवाही हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने बतलाया कि यह सब यहां असंगत है । उसकी व्यवस्था जहां है वहां है । इसलिये इसके पास हो जाने से वह व्यवस्था रद्द नहीं हो जायगी । यह तो मेम्बरों, अधिकारियों व सेवकों से सम्बन्ध रखता है । इसको ही अगर कुछ सुन्दर बनाना है या इसके सम्बन्ध में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे यह कहना है कि यह संकल्प इतना संकुचित है कि इसमें बहुत सी बातें छूट जाती हैं । आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये मैं कुछ जानकारी आपके समक्ष रख देना चाहता हूं । ऐसे अवसर आये और वे बातें घटित हुई हैं और यदि अपका ध्यान उनकी तरफ गया हो तो आपने देखा होगा कि किसी बाहरी सज्जन ने अपने सदन के बारे में कुछ अपमानसूचक शब्द कहे और अध्यक्ष की तरफ से उस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाहियां की गयीं तो भी उसका कोई असर नहीं हो पाया । एक केस में तो बहुत लम्बी मुकदमेबाजी भी चली जिसके परिणामस्वरूप मैं समझता हूं कि इस सदन को कुछ थोड़ा सा नीचा भी देखना पड़ा ।

अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग अभी दी उसके सम्बन्ध में कुछ न कहते हुये मुझे थोड़ी-सी प्रार्थना करनी है कि यह संकल्प पास होने के उपरान्त किसी रूप में प्रक्रिया नियमावली में सम्मिलित नहीं माना जायगा जब तक कि प्रक्रिया नियमावली में अलग से इसके लिये उचित प्रबन्ध न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—यह ठीक है । लेकिन प्राविजन उसका हो रहा है और उसमें आवश्यक शब्दावली बदली भी जा सकती है । वह भी सामने है और प्रक्रिया नियमावली ठीक की जा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह आपका सन्देश अब प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो आज स्थिति है वह आपके सामने रख रहा हूं । जो कुछ आप कह रहे हैं वह भी हमारे सम्मुख आयेगा । उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यह संकल्प जो प्रस्तुत है यह सचमुच ही उस प्रक्रिया नियमावली के संशोधन के रूप में है । प्रक्रिया नियमावली जो हमारी है उसकी एक दफा मैं इस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में पूरा-पूरा विवरण दिया है और यदि उस विवरण में हम इसको समावेश करें तो हम यह देखेंगे कि यह उसका केवल मात्र एक संशोधन है । प्रक्रिया नियमावली के सम्बन्ध में इसी सदन की एक प्रवर समिति बैठी हुई है । अतः मेरी समझ में आता है कि यह संकल्प आज के समय के लिये उचित नहीं है बल्कि उचित यह होता कि इस संकल्प को ही हम उस प्रक्रिया नियमावली की जो प्रवर समिति बैठी हुई है उसके सामने रख देते और प्रवर समिति अपने अनेक विचारों के साथ इस पर भी विचार करके अपनी रिपोर्ट देती । इस सम्बन्ध में इस प्रकार कार्यवाही न करके आज यह संकल्प हमारे सदन के सामने प्रस्तुत है । मुझे यह भय है कि यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है कि यह संकल्प सदन के द्वारा पारित किया जा सकता है, तथापि इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है कि संकल्प और विधेयक के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रक्रिया है । आज यह संकल्प हाउस में आ सके, ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, तो भी मुझे शंका है कि यदि यह पास भी हो जाय तो भी जब तक यह प्रक्रिया नियमावली का अंग न बन जाय तब तक केवल कागज पर ही रह जायगा । यह तभी कार्यान्वित हो सकेगा जब यह प्रक्रिया नियमावली का अंग

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बन जायगा और वह प्रक्रिया नियमावली एक प्रवर समिति के सम्मुख है । अतः मेरी राय है कि यह संकल्प आज वापस ले लिया जाय और इसे उस प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय । आज इसे हमारे सामने प्रस्तुत करना कोई समयानुकूल नहीं दिखाई देता ।

दूसरी बात मैंने इसकी परिधि के बारे में भी कही । यह संकल्प केवल सदस्य, अधिकारी या सेवक के लिये ही है । ऐसी सम्भावना हो सकती है, जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया, तो उस समय उस पर विचार करते समय यह संकल्प अधूरा पाया जायगा । इसलिये मैं आपके सामने यह प्रस्तावना करता हूं कि इस संकल्प को वापस ले लिया जाय ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं भी यह चाहता था कि माननीय नेता सदन इस सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत करें उस पर उसी भाव को प्रकट करूं कि सदन के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिये, सम्मानित सदस्यों के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिये और इस सदन के पदाधिकारियों के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिये । यह बात सही है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बात कही, वह ठीक है । प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत यह है कि क्या जो संकल्प नेता सदन ने रखा है वह संकल्प अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है या नहीं कर पाता है और यदि अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसमें इस सदन के अधिकार की सीमा संकुचित होती है या नहीं होती है इस दृष्टि से आज इस संकल्प पर हम विचार कर रहे हैं । जब हम इस दृष्टि से संकल्प पर विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह संकल्प असामयिक है, यह संकल्प अनुपयुक्त है । यह संकल्प जिस-जिस मौके और जिस अवसर पर आना चाहिये था और जहां इसका समावेश होना चाहिये था वहां न जाकर के यहां पर आया हुआ है । क्या कारण है कि जब विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के सम्बन्ध में एक समिति बैठी हुई है और वह समिति सम्पूर्ण रूप से विचार कर रही है तो उसके सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत न हो, वह इसकी समीक्षा न करे ? वह इसकी सीमाओं का, इसकी बाधाओं और दिक्कतों का अवलोकन करके इसका उस नियम में समावेश न करे, इसका कोई कारण नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह विषय वहां विचाराधीन है और स्वीकृत भी हो गया है ।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बात को कह करके हमारे मत की पुष्टि की है । जब यह विषय वहां विचाराधीन है ही और बहुत समय से विचाराधीन था ही और जब इसी प्रक्रिया नियमावली के लिये नैनीताल में माननीय सदस्य बैठे थे मुझे मालूम हुआ है कि एक बार उसकी रिपोर्ट सम्पूर्ण हो चुकी तब फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से उसमें अनेकों संशोधन कराये गये । तो क्या कारण है वहां यह न जा करके यहां संकल्प के रूप में प्रस्तुत हो ? मैं समझता हूं उस समिति के अधिकार को छीनना है बैक डोर से । जो समिति एक फैसला लेती सुविचारित रूप से उसको माननीय नेता सदन ने अपने इस संकल्प के द्वारा प्रभावित करने की चेष्टा की है । इसलिये मैं सदन का अपमान समझता हूं, क्योंकि वह समिति सदन की है और वह इस पर विचार कर रही है जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने बताया । फिर जब समिति विचार कर रही है तो क्या इस सदन द्वारा निर्मित समिति जो इस विषय पर विचार कर रही है उसको विचार करने का मौका न देने के बराबर माननीय नेता सदन का यह संकल्प नहीं है ? निश्चित रूप में है ।

अब हमारे सामने कहा जाता है कि विधान परिषद् ने पास कर दिया अन्य किसी दूसरी जगह पास हो रहा है । कहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस समय मैं इस पर नहीं जाना चाहता । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हमारी प्रक्रिया नियमावली में जो व्यवस्था है उसमें क्या दोष है क्या खामी है जो माननीय मुख्य मंत्री अपने संकल्प के द्वारा पूरा करना चाहते हैं वह उसमें समावेश नहीं कर पाती है इसको भी देखना चाहिये । इसमें केवल दो अवस्थाओं का वर्णन है । एक अवस्था कहती है कि इस सदन का अवमान हो किसी दूसरे सदन के सदस्य द्वारा या पदाधिकारी द्वारा या सेवक द्वारा । दूसरी परिस्थिति

कहती है कि इस सदन के सदस्य द्वारा अवमान हो किसी दूसरे सदन के सदस्य का या पदाधिकारी का या दूसरे लोगों का। दो ही अवस्थायें हैं यहां पर। अच्छा अगर कोई इस सदन का अवमान करता है विशेषाधिकार की अवहेलना करता है तो यह सदन कम्पीटेंट है, अधिकारपूर्ण है वह अपने लिए अपनी मान मर्यादा की सुरक्षा करने के लिये सचेत है वह किसी को भी यहां पर ला करके उसकी व्यवस्था कर सकता है उसका निदान कर सकता है। फिर इस संकल्प की क्या आवश्यकता है?

दूसरी परिस्थिति देखी जाय। किसी दूसरे सदन के सदस्य द्वारा अगर यहां का अवमान हुआ तब तो इसकी बात पहले में आ गई। अब इस सदन के सदस्य द्वारा किसी दूसरी परिषद् या सदन का अवमान हो तब क्या व्यवस्था हो? जरा संकल्प को ध्यान से पढ़ा जाय। यह सदन किसी दूसरे सदन के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। इस प्रस्ताव में माननीय नेता सदन यही कह रहे हैं कि यदि वहां का सम्बन्धित अधिष्ठाता हमको सूचित करे। पता नहीं उन्होंने इस पर ख्याल किया या नहीं, प्रस्ताव उनका स्वतः का लिखा हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता। इसमें लिखा हुआ है "जिसमें इस सदन का कोई सदस्य अधिकारी या सेवक अन्तर्ग्रस्त हो इस सदन को अवमानित सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाय तो"। अब उस सदन का जो सदन अवमानित हुआ है इस सदन के सदस्य द्वारा उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा यहां पर वह भेजा जाय तो इस सदन का अध्यक्ष उसमें व्यवस्था कर सकता है। अगर वह न भेजे तो? अब इसका उत्तर यह है कि सब सदनों में परिषदों में इस तरह का प्रस्ताव आ रहा है। हमारी तरफ एक कहावत है "खोंखी आवे भिनसहरे मुंह बावै शाम को"। आ रहा है तो देखा जाय। अगर सब राजनीतिक पार्टियां इस विषय में एक हैं तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में इसका संशोधन कर दिया जाता? क्यों नहीं संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता? क्यों अनेक विधान सभाओं में विधान परिषदों में अलग-अलग इस तरह का प्रस्ताव आये?

तीसरी मेरी बड़ी आपत्ति यह है—क्षमा करें आप, क्योंकि आप का इससे सम्बन्ध है—किसी भी सदन का अध्यक्ष मैं इस निश्चित मत का हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी सदन की मर्यादा को समुचित रूप से सुरक्षित रखने के लिये सचेष्ट हैं तो वह क्यों न सोशलिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव को माने कि किसी भी सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित करने के लिये सभी दल एक हों। इस संकल्प के द्वारा अध्यक्ष की अधिकार सीमा को बढ़ाया जा रहा है इसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जब तक अध्यक्ष के विषय में इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां एकमत से इस निश्चय पर न पहुंच जायं कि अध्यक्ष को तमाम राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहिये उसका चुनाव निर्विरोध होना चाहिये तब तक जितने भी अधिकार अध्यक्ष को इस प्रक्रिया नियमावली में हैं उससे अधिक अधिकार हम देने के लिये तैयार नहीं हैं। यह प्रक्रिया नियमावली हमारे समय की नहीं है यह पहले की थी और हमारे ऊपर आई है इसके द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं उनमें जो दोष हैं उनके भागी हम नहीं हैं लेकिन हम जिस सदन में रहें और उसमें ऐसे प्रस्ताव आयें तो हम अवश्य ही उनका विरोध करेंगे। प्राइमा-फेसी केस बनता हो या न बनता हो दोनों परिस्थितियों में अध्यक्ष को अधिकार दिया जा रहा है चाहे दूसरे सदन के सदस्य द्वारा इस सदन का अवमान हो या इस सदन के सदस्य द्वारा दूसरे सदन का अवमान हो दोनों परिस्थितियों में अध्यक्ष को अधिकार दिया जा रहा है कि अध्यक्ष देख कर जो व्यवस्था चाहें कर दें। हम किसी भी अध्यक्ष को इतने अधिक अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। आज अध्यक्ष, अध्यक्ष पद पाने के बाद भी राजनीतिक दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं करते, उनका चुनाव निर्विरोध नहीं होता। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उस तरह के अध्यक्ष को अधिकार देने के लिये कहें तो हम उसका स्वागत करेंगे।

[श्री राजनारायण]

हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का पद निर्विरोध हो। जब अध्यक्ष राजनीतिक दलों से सम्बन्ध विच्छेद करके रहेंगे तो जनसाधारण की उन पर आस्था जमेगी और यहां के कार्य सम्पादन के लिये भी यह आवश्यक है कि उनका किसी भी दल विशेष से सम्बन्ध न हो और तभी हम ऐसा व्यापक अधिकार उनको दे सकते हैं। इस प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जितने अधिकार अध्यक्ष को मिले हुये हैं उनके कारण कभी-कभी तो हमें अपनी इच्छा के प्रति बड़ी बाधा मालूम पड़ती है। इसलिये मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि यहां कोई सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिष्ठित हो तो वह कदम आगे बढ़ायें और बतायें कि अध्यक्ष को क्या अधिकार होने चाहिये। इसके अतिरिक्त कभी-कभी अध्यक्ष अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं। वह अपनी पावर उपाध्यक्ष को और अधिष्ठाता को भी डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन इंगलैण्ड में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो अध्यक्ष के अधिकारों के सम्बन्ध में व्यवस्था है वह उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता के लिये नहीं हो सकती इसलिये मेरा निवेदन है कि...

श्री उपाध्यक्ष---इसमें कुछ गलतफहमी है। जिस समय उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता सदन में बैठते हैं उस समय उनको भारतवर्ष में वही अधिकार रहते हैं जो अध्यक्ष को होते हैं लेकिन इंगलैण्ड में ऐसा नहीं है।

श्री राजनारायण---यह तो मैं जानता था। जब यहां अध्यक्ष रहते हैं तो उपाध्यक्ष या किसी भी अधिष्ठाता की हैसियत साधारण सदस्य की है। तो मेरा यह निश्चित मत है कि नेता सदन इस सम्बन्ध में कोई मंच तैयार करें और उस पर तमाम विद्वत् समाज जो संसदीय पद्धति के जानकार हों बुलायें वहां विचार विनिमय हो और एक निर्णय पर पहुंचा जाय। यह नहीं कि जब दिमाग में कोई बात आ गई उसी को लेकर एक संकल्प प्रस्तुत कर दिया और संख्यासुर के आधार पर जैसा चाहे पास करा दिया। मैं इस उसूल की बुनियादी ढंग पर मुखालिफत करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो भाव माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतः अपने मत में प्रकट किये थे, हम बिल्कुल निश्चित रूप से इस मत के हैं कि अध्यक्ष की मान मर्यादा की रक्षा हो, पदाधिकारियों की मर्यादा की रक्षा हो और सदस्यों की मर्यादा की रक्षा हो, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं कि नेता सदन ने निश्चित रूप से इस सदन का अवमान किया है और अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बड़े अधिकार दिये जा रहे हैं कि अगर राजनारायण या रामस्वरूप वर्मा जी के विशेषाधिकार का प्रश्न तुच्छ है।

श्रीमन् इस "तुच्छ" शब्द की क्या परिभाषा है हमारी समझ में तो यह बात नहीं आई। "तुच्छ" शब्द स्वतः तुच्छ है। इसलिये देखा जाय कि इस संकल्प द्वारा कितने अधिकार दिये जा रहे हैं। इस सदन द्वारा जो समिति निर्मित की गई है इस संकल्प द्वारा उसका भी अवमान है। पार्लियामेंटरी पद्धति में कई तरह से अविश्वास प्रकट करने की बात होती है। जैसे अगर अध्यक्ष इंगित करता है और प्रस्ताव नहीं आता है तो वह नो कांफीडेंस मोशन माना जाता है। इसलिये जो सदन ने कमेटी बनाई है उसको वह काम न करने देना जो उसके सुपुर्द है एक प्रकार से अविश्वास है कमेटी के प्रति और नेता सदन ने कमेटी का अवमान करके इस सदन का अवमान किया है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा और नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस लें और फिर सब बैठ कर इस पर विचार करें कि किस तरह से अध्यक्ष के अधिकार सुरक्षित हों।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय नेता सदन ने प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मानव स्वभाव की सब से बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा सम्बल यही होता है कि वह मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये सचेष्ट रहता है और उसके सहारे वह अपने चरित्र को निर्मित करता है। वह दूसरों के लिये ग्रहण करने योग्य होता है और दूसरे उसी को

देख कर अपना रास्ता बनाते हैं। इसलिये जब हम मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी रक्षा करने का भी प्रयत्न करते हैं और स्वाभाविक रूप से दूसरों के मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करना सबका परम कर्त्तव्य हो जाता है। खास तौर से हमारी भारतीय संस्कृति में यह बात ओतप्रोत है।

माननीय नेता सेदन ने जैसा कि उन्होंने स्वयं बतलाया कि इसी भावना से प्रेरित होकर, यह संकल्प प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति में उनका पूर्ण विश्वास है और हम सभी का पूर्ण विश्वास है, लेकिन उससे अधिक मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संस्कृति को उनकी अपार देन है। हमारे यहां हम सभी नियमों के बजाय परम्पराओं पर ज्यादा जोर देते हैं और उनके निर्वाह करने की चेष्टा करते हैं। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको निर्विवाद रूप से स्वीकृत हो जाना चाहिये लेकिन नहीं हो सका और न हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह संकल्प बिना पूर्व सहमति से आया है। नेता सदन को चाहिये कि वह इस समय संकल्प को वापस लें और सदन के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से परामर्श करके जैसा निश्चित हो, उसके अनुसार अगर वह संकल्प प्रस्तुत करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी और सभी लोग उसका समर्थन कर सकेंगे। जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में एक ही आधार बताया है कि देश के पार्लियामेंट और विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है, उसमें यह बात तय की गई थी कि इस तरह का प्रस्ताव सभी सदनों में स्वीकृत हो जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? उन्हें यह बताना चाहिये था कि कौन से कारण ऐसे उत्पन्न हो गये थे जिनके लिये इस व्यवस्था की आवश्यकता हुई। अगर आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी तब तो बड़ा सीधा-साधा मामला था कि संविधान में इस तरह का परिवर्तन कर दिया जाय जिससे अन्य राज्यों के विधान मंडलों में इस तरह के किसी संकल्प को लाने की आवश्यकता ही न पड़े। मैं यह समझता हूं कि यह संकल्प जो नेता सदन ने प्रस्तुत किया है उसकी आवश्यकता नहीं है और जब वह आवश्यकता नहीं प्रतीत होता तब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस समय अपने संकल्प को वापस ले लें और प्रक्रिया नियमावली के संशोधनों की जो बात चल रही है उसमें किसी स्थान पर इसके समावेश करने की बात हो और उसमें समाविष्ट कर लिया जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसके सम्बन्ध में हम सब लोगों का विश्वास तो यह था कि वह निर्विवाद स्वीकृत हो जायगा, लेकिन केवल कुछ लोगों से परामर्श नहीं किया गया इसलिये विरोध हो रहा है। हमारे विरोधी पक्ष की तरफ से यही तर्क मुख्य रूप से रहा कि अगर परामर्श कर लिया गया होता तो यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई पूछे या न पूछे किन्तु आवश्यकता को देखकर इसको पास करना चाहिये। मेरी छोटी राय में यह स्पष्ट है कि इस सदन के सदस्यों के मर्यादा की दृष्टि से, भारतवर्ष में जितनी भी विधान सभायें या विधान परिषदें हैं उनके सदस्यों की मर्यादा की दृष्टि से और लोक सभा और राज्य परिषद् के सदस्यों की मर्यादा के दृष्टि से यह आवश्यक था कि इस तरह का प्रस्ताव यहां आये।

हमारे भाई राजनारायण जी ने कहा कि जब सभी विधान सभाओं में इस प्रस्ताव को रखने की इच्छा थी तो भारतीय संविधान में संशोधन करा दिया गया होता। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली तो अपनी विधान सभा के लिये बनी है। भारतीय संविधान की धारा २०८ (ए) के अनुसार जो नियमावली हमारी है वह बनी है और जो उपसमिति नियमों में संशोधन के लिये बनी हुई है वह भी उसी धारा के अन्तर्गत है। श्रीमन्, मैं उनसे छोटा हूं, लेकिन उनके ऐसे अनुभवी से यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह के संशोधन समिति के द्वारा नियमों में क्यों नहीं आ सकते। यह

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

बात मेरी समझ में नहीं आयी कि वे कैसे आ सकते हैं। श्रीमन्, संविधान ने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक विधान सभा को अपने-अपने प्रदेश में अपने विस्तृत नियम बनाने का अधिकार है। अब उसके अन्तर्गत अपने सदस्यों की मर्यादा की रक्षा के लिये प्रत्येक विधान सभा अपने यहां संकल्प स्वीकार करेगी और फिर सभी के सम्बन्ध में उसका कार्यान्वियन हो सकता है। इसी आधार पर, मेरा यह विश्वास है कि यह प्रस्ताव लाया गया है और अगर माननीय सदस्यों से नहीं भी पूछा गया है तो भी अगर यह अपनी मर्यादा के अनुकूल है और इसकी आवश्यकता है तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

विशारद जी ने परम्पराओं की बात कही। मैं समझ नहीं पाया कि इसमें परम्परा की बात क्या है। जहां तक संविधान की धाराओं का सम्बन्ध है जब हम विधान सभा के नियमों पर बहस करते हैं तब उसमें परम्परायें कैसे आ सकती हैं? अपनी परम्परायें मध्य प्रदेश या बम्बई की विधान सभा में कैसे चलेंगी यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। श्रीमन्, जो तर्क उधर से प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी समझ में नहीं आते।

इस प्रस्ताव में दो बातें हैं। एक तो यहां के सदस्यों के सम्मान की रक्षा और दूसरे पदाधिकारियों और दूसरों के सम्मान की रक्षा की दृष्टि। इसी भावना से यह संकल्प यहां आया है और ऐसा संकल्प है जिसे बिना विवाद के ग्रहण करना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस संकल्प पर माननीय राजनारायण जी की बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इस सदन के अन्दर मान मर्यादा की रक्षा करने के प्रति हमेशा आवाज उठाया करते हैं और उनकी सदा यह इच्छा रहती है कि जनतांत्रिक परम्पराओं को जितना ही मजबूत किया जा सके उतना ही अच्छा है, लेकिन इस अवसर पर जब कि इधर से माननीय नेता सेदन ने काफी स्पष्टीकरण देते हुए उन्हीं परम्पराओं के पोषण के लिए एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया तो ऐसे मौके पर माननीय राजनारायण जी ने उसकी कटु आलोचना करते हुए उसका विरोध करने का प्रयास किया। मुझे उनकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। पता नहीं उनका निश्चित सिद्धांत क्या है। कभी वह इधर की बात करते हैं और कभी उधर की बात करते हैं। उन्होंने अभी-अभी यह कहा कि अध्यक्ष को सदन अधिक से अधिक शक्ति दे इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और अधिक से अधिक शक्ति दी जाय। इसमें वह भी विश्वास करते हैं। ऐसा उनका मत है। माननीय राजनारायण जी ने सोशलिस्ट पार्टी का हवाला भी दिया कि उसकी बात माननीय नेता सदन क्यों नहीं मानते हैं अध्यक्ष के बारे में। मुझे वह माफ करें। मैं उनका ध्यान अभी थोड़े ही दिन पहले की बात की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सोशलिस्ट पार्टी ने सिर्फ इस विषय पर कि आपने किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया पार्टी के निर्देशों के अनुसार...

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर। सोशलिस्ट पार्टी की बात को सदन में इस प्रकार से कह कर माननीय सदस्य क्या उचित कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---उसमें मैं अभी देख रहा था कि क्या कह रहे हैं। रोकने की स्टेज अभी नहीं आयी थी। वह एक पासिंग रेफरेंस कर रहे थे।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि चूंकि एक बार उधर से उदाहरण स्वरूप कही गयी तो मैं भी उसके उत्तर में एक बात उदाहरण स्वरूप रखना चाहता

था। उसकी तहत में इस भावना का प्रदर्शन होता है कि सोशलिस्ट पार्टी अध्यक्ष के स्वतन्त्र विचार को किसी प्रकार से आगे बढ़ाने को तैयार है या नहीं। इसका फैसला मैं राजनारायण जी पर ही छोड़ता हूं।

श्री राजनारायण---मैं बता दूं। आप बैठ जायं।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं क्यों बैठ जाऊं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कह रहा था कि जो इस वक्त यह संकल्प पेश है यह तो एक एसा संकल्प है जो कि जनतांत्रिक प्रथाओं, मान मर्यादाओं को बढ़ाने वाला है।

यह भी कहा गया कि जो नियमावली बनाने के लिए कमेटी बनी है उसको निर्दिष्ट नहीं किया गया। यहां तक कह दिया गया कि इस संकल्प के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि उनके अधिकार छीन कर एक तरह से इस सदन की निममावली बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके अधिकारों की अवहेलना की गयी है। मैं नहीं समझता, अभी माननीय दीपनारायण जी ने उस बात का जिक्र किया कि हमारे सदन की जो कमेटी बैठी है वह यहां की नियमावली पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव दूसरी परिषदों से भी पास हो रहा है और इसके अतिरिक्त जैसा कि माननीय नेता सेदन ने इशारा किया जो सब परिषदों की एक असोसिएशन बनी हुई है उसका भी सुझाव है कि हर जगह से पास होना चाहिए। उन्हीं भावनाओं को लेकर एक बहुत ही सुन्दर, बहुत जनतांत्रिक प्रणालियों से ओतप्रोत यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं समझता हूं कि जितने भी जनतंत्र के पोषक हमारे माननीय सदस्य हैं उनका इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। माननीय विशारद जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के असर में माननीय नेता सदन हैं। उसके असर में इस प्रस्ताव को ला रहे हैं। जो भी इस भारतवर्ष में रहता हैं हम हों या माननीय भगवतीसिंह विशारद भारतीय संस्कृति से बाहर नहीं जा सकते। उसका असर हर भारतीय पर रहेगा। सब से बड़ा जो असर है वह यह है कि जिस युग के प्रवर्तक हम सब माननीय सदस्य इस सदन के बने हुये हैं उसी जनतांत्रिक प्रथा और जनतांत्रिक भावना के प्रसार के लिये यह प्रस्ताव आया है और उसी की सीमाओं को मजबूत करने के लिये यह प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा इस प्रस्ताव को बिना किसी रोक-टोक के और बिना किसी विलम्ब के पास हो जाना चाहिये। इसको पास करके हम, भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों के सामने यह मिसाल रखें कि हमारे यहां इस तरह के जितनी भी अच्छे किस्म के या ऊंचे किस्म के सामयिक युग के अनुसार जनतान्त्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिये कदम उठ सकते हैं, उनको उठाने में हमारी यह विधान सभा किसी से पीछे नहीं है। ऐसे कदमों को उठाने के लिये हमेशा यह अग्रसर रहती है। इन शब्दों के साथ में आपके द्वारा इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री गोविन्दनारायण तिवारी का नाम पुकारने पर)

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं श्री गोविन्दनारायण जी के बाद इस प्रस्ताव को ले लूंगा।

***श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने इस संकल्प को पेश करते हुये दो बातें कहीं। एक बात उन्होंने यह कही कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिये और प्रजातंत्र की पद्धति को मजबूत करने के लिये इस तरह के संकल्प की आवश्यकता है। दूसरी दलील माननीय मुख्य मंत्री ने यह दी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

सारे देश के अध्यक्ष महोदयों की कोई कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई और उन्होंने विचार-विमर्श किया और उसके बाद सोचा कि इस प्रकार का संकल्प प्रत्येक राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् में पेश हों, ताकि दूसरे राज्यों के सदन की इज्जत बढ़ें ।

मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जिस उच्च आदर्श को लाने के लिये यह संकल्प पेश किया गया हैं उस आदर्श की पूर्ति इस संकल्प के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं होती है । यह बात सही है कि डेमोक्रेसी की परम्परायें तो मजबूत इस देश में तब होंगी जब हाउस आफ पार्लियामेंट, कौंसिल आफ स्टेट या किसी लेजिस्लेटिव असेम्बली या कौंसिल के प्रति आम लोगों में आदर हो और आस्था हो । मगर मेरा निवेदन यह है कि क्या यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है इससे उस आदर्श की पूर्ति होती है ? श्रीमन्, कानून तब बनाया जाता है जब कहीं ऐसा मालूम हो कि अगर यह कानून नहीं बनाया जायगा तो यह जो घटनाक्रम चल रहा है वह नहीं रुकेगा । तभी कानून बनाने की जरूरत पड़ती है । जहां तक मुझे मालूम है कि आज तक हमारे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी राज्य के सदन के किसी सदस्य ने या पार्लियामेंट के किसी सदस्य ने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया हो या इसी सदन के किसी सदस्य ने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया हो । अगर इस तरह की बात कोई नहीं हुई तो फिर इस तरह के कानून की बनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई ? अगर इसी तरह का उदाहरण होता कि इस देश में किसी दूसरे सदन के माननीय सदस्य ने किसी दूसरे सदन का अवमान किया होता तब तो यह प्रश्न पैदा होता कि सदन की मान-मर्यादा की रक्षा के लिये इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जाय । मेरा निवेदन है कि अगर देश में इस तरह की घटना नहीं हुई और जितने भी पार्लियामेंट के मेम्बर या जितने भी विधायक हैं उन्होंने इस तरह की बात नहीं की तो इस तरह के, संकल्प की लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । मेरी शिकायत यह है कि जितने भी विधान सभा के सदस्य है वह चाहे इस देश के किसी भी राज्य के हों वह इतने जिम्मेदार हैं कि वह एक दूसरे सदन की इज्जत करते हैं और इज्जत करना जानते हैं । इसलिये अगर कोई इस तरह की समस्या सामने नहीं आई तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि इस तरह का संकल्प यहां पर रखा जाय । दूसरी बात श्रीमन्, मुझे यह अर्ज करनी है कि इस संकल्प में जो यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष को समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है, यह बात अध्यक्ष के समाधान की नहीं है । यहां तो सदन का समाधान होना चाहिये । प्राइमाफेसी केस प्रिविलेज का बना यह तो सदन देखेगा....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो अध्यक्ष देखेगा ।]

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—ठीक है, यह तो अध्यक्ष देखेगा, लेकिन जहां उसके समाधान होने का प्रश्न है, वह सदन के समाधान होने का प्रश्न होना चाहिये । क्योंकि अगर अध्यक्ष का समाधान हो जाय और सदन का समाधान न हो और यह किसी दूसरे अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया जाय, तो मेरे खयाल में यह बात उचित न होगी । जैसा अभी राजनारायण जी ने कहा, मैं बात को उस रूप में तो सदन के सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो प्रजातांत्रिक परम्परायें हैं उनके अनुसार यह सदन के समाधान का सवाल है, न कि अध्यक्ष के । इसके पहले भाग में यह भी कहा गया है कि "अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है ।" तो दो तरह के केसेज यह संकल्प कंटेंप्लेट करता है । मेरा निवेदन है कि अगर प्रिविलेज का कोई सवाल है तो उसमें पनिश्मेंट के समय सवाल उठाया जा सकता है कि वह तुच्छ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि यह इंसल्ट छोटी है अथवा यह बड़ी है । चाहे वह बात पार्लियामेंट की हो या यहां के सदन की, वह इंसल्ट ही होगी । अगर इनोसेंट प्रिविलेज का क्वेश्चन होगा तो उसमें पनिश्मेंट का ही अंतर होगा और कुछ नहीं । तो इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर इस संकल्प का रखा जाना जरूरी है तो इसमें तुच्छ और गंभीर का अंतर नहीं रहना चाहिये, क्योंकि जहां सदन के कंटेंप्ट का सवाल पैदा होता है वहां कोई प्रश्न तुच्छ नहीं होता ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह संविधान के आर्टिकल १९४ से संबंधित है। इस में यह दिया हुआ है :

"(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

मेरा निवेदन यह है कि यदि इस संकल्प को आर्टिकल १९४ की उपधारा (३) की कसौटी पर कसा जाय तो मेरी निहायत अदब से गुजारिश है कि देश की कोई भी अदालत, जिसको संविधान के इंटरप्रेटेशन का अधिकार है, इस बात का फैसला कर देगी कि यह संकल्प अनकांस्टीट्यूशनल है। मैं तर्क के लिये कहता हूं कि अगर हम को इम्म्यूनिटी है कि हम मध्य प्रदेश के सदन की बाबत कुछ भी कहें तो कोई हर्ज नहीं तो इसको बाई लेजिस्लेशन ही छीना जा सकता है। इसके लिये कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता कि ऐसा करने से हमको कोई पनिश्मेंट दे दिया जायगा और उसके जरिये से हमारी इम्म्यूनिटी छीनी जाय। तो इस संकल्प के द्वारा, जो इम्म्यूनिटीज हमको संविधान में दी गयी हैं, वह छीनी जा रही हैं और इसलिये यह संविधान के अनुसार वैधानिक नहीं है और इसलिये इस बात में अधिक शोभा नहीं है कि सदन का एक दिन का समय इसमें लगाया जाय, मुख्य मंत्री जी इसको पास करायें और जब वह कानून की कसौटी पर कसा जाय तो वह अल्ट्रा वायरस करार दे दिया जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारी रूल मेकिंग कमेटी बनी हुई है वह संयुक्त प्रवर समिति है, दोनों सदनों की। उसमें एक सदन की कमेटी का सवाल नहीं है। इसलिये जो दोनों सदनों की कमेटी बनी हुई है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—दोनों सदनों की संयुक्त कमेटी नहीं बनी है। अपने-अपने अलग-अलग नियम हैं। इसलिये वह संभव नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—अगर ऐसा नहीं है तो इस सदन की जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में इसकी लीगल आसपेक्ट्स पर विचार हो और इस बीच में जो कानून के पंडित हैं उनसे भी आप इस बात का मशविरा ले लें। इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि जो ऐमिनिटीज हमें प्राप्त हैं उन पर इससे कुठाराघात होता है, इसलिये यह संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी वापस ले लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। इसके संबंध में यह बात विदित ही है कि माननीय अध्यक्ष प्राइमा फेसी केस देखें। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह साफ है कि प्राइमा फेसी केस देखने पर उसको वह कमेटी के सुपुर्द कर दे कि वह जांच करे, न करे, क्या बातें हैं, क्या नहीं हैं, ये सब विशेषाधिकार समिति के कर्त्तव्य में है। तो क्या इस सदन की हमारी प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक, जो विशेषाधिकार के संबंध में एक समिति गठित है, इस समिति के अधिकारों को संकल्प के द्वारा छीना जा सकता है? क्योंकि इस प्रस्ताव के अनुसार प्राइमा फेसी केस जब अध्यक्ष समझें तभी सब व्यक्तियों को बुलायेंगे, लेखों को देखेंगे और जांच करेंगे कि मामला बनता है या नहीं बनता है, उसका आधार है या नहीं है, इसको सुनने समझने के बाद वह अपना फैसला दे देता है। इस संबंध में एक वैधानिक प्रश्न यह है कि इस समय एक समिति निर्मित है और अध्यक्ष को केवल इतना ही अधिकार है कि वह यह देखे कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं, लेकिन अब इसमें लिख दिया है कि वह जांच-पड़ताल भी करे। मैं समझता हूं कि जो हमारी विशेषाधिकार समिति बनी है, इस संकल्प के द्वारा उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो क्या जो समिति इस सदन ने बना रखी है उसके अधिकारों को इस प्रस्तुत प्रस्ताव के द्वारा छीना जा सकता है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—हाउस की जो विशेषाधिकार समिति है वह इस सदन की ही समिति है और सदन जो भी शक्ति उसको देना चाहता है दे सकता है। हाउस को यह भी अधिकार है कि विशेषाधिकार समिति को बिना सुपुर्द किये कोई फैसला कर दे। इसमें तो केवल यही कहा गया है कि स्पीकर साहब यह देखेंगे कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता और अगर नहीं बनता तो स्पीकर इनकार कर देंगे उसका नोटिस नहीं लेंगे। अगर प्राइमा फेसी केस होगा तो उसके आगे की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन् उसमें 'जांच' और 'कार्यवाही' शब्द भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि इस सदन का मामला नहीं है दूर का है इसलिये पत्र-व्यवहार करके वे जानकारी हासिल करेंगे। कभी-कभी यहां ऐसा भी होता है कि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न यहां आता है और उसके डाक्यूमेन्ट्स उस वक्त नहीं होते तो उसको उस दिन स्थगित कर दिया जाता है और दूसरे दिन के लिये रख दिया जाता है। तो यह जो जांच शब्द है उसी प्रकार की जांच से संबंधित है। इसलिये यह प्रस्ताव जो विशेषाधिकार के आधारभूत सिद्धांत है उनके खिलाफ नहीं जाता है। इसलिये इसकी इजाजत दी जायगी।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर विचार करते समय मुझको कई बड़ी अच्छी बातें बतायी गयीं। सभी बातें अपनी-अपनी जगह पर ठीक ही होंगी। मैं एक गलती जरूर स्वीकार करता हूं वह यह कि मैंने समझा था कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका सदन के हर तरफ से सहर्ष स्वागत होगा। क्योंकि ऐसा मानना चाहिये कि अपने देश में लोकतंत्र की मर्यादा कायम रहे और सदन की मर्यादा की रक्षा हो, इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। यह मेरी जरूर भूल हुई कि मैंने ऐसा मान लिया, क्योंकि मैं देखता हूं कि ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिसको निश्चय हर तरफ से निर्विवाद पास होना चाहिये उसके ऊपर बहुत सी आपत्तियां उठ खड़ी हुईं। खैर, इसके विरोध में जो बातें कही गयीं उनका श्रीगणेश किया माननीय अवस्थी जी ने। मेरी बदकिस्मती है कि जो कुछ भी मैंने उनसे निवेदन करने की कोशिश की उसको सुनने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। बार-बार उन्होंने बाम्बे के अखबार के मामले को उठाया। मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि केवल ब्लिट्ज अखबार के मामले ने ही इस बात को साबित कर दिया कि इस सदन को इस प्रकार के अख्तियारात हैं कि इस प्रदेश के बाहर के रहने वाले कोई अखबार किसी तरह की गड़बड़ी करें तो हम उन पर ऐक्शन ले सकते हैं। आज का जो प्रस्ताव है उसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है। इस प्रस्ताव के न होते हुये भी आज हमारे अख्तियार में यह बात है, अगर इस किस्म की कोई हमारी अवहेलना करता है तो उसके साथ हम डील कर सकते हैं उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन यह सवाल तो बिलकुल अलग है। यह तो ऐसे लोगों का सवाल है जो इस कोटि में नहीं आते यानी जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य हैं या किसी दूसरे प्रदेश की विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य हैं यदि वे सदन के किसी प्रीविलेज की अवहेलना करें तो उनके साथ किस तरह से डील किया जाय, उनके साथ क्या किया जाय। उनके लिये अभी तक हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। तो जैसा कि आपने स्वयं कहा कि इस प्रस्ताव का क्षेत्र तो सीमित है। जहां तक अधिकार की बात है उसका तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जो लोग इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आते उनके लिये क्या किया जाय केवल उन्हीं लोगों का सम्बन्ध इस प्रस्ताव से है।

अभी जिक्र किया गया कांस्टीट्यूशन के सेक्शन १९४ का। सुबह जब कि व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया गया था उस समय भी यह सवाल उठाया गया था, लेकिन शायद माननीय सदस्य नहीं थे या यदि थे तो उन्होंने फिर इसको दोबारा जान बूझ कर उठाया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करना ही ठीक समझते हैं। बहरहाल, मैं उसका जिक्र नहीं करता। थोड़े में मैं इसका जिक्र कर दूं कि हाउस आफ कामन्स में भी जहां तक किसी प्रीविलेज को बढ़ाने की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसे किसी प्रस्ताव के जरिये बढ़ाने की बात नहीं सोची जाती। यहां भी किसी नये प्रीविलेज को बढ़ाने की बात नहीं है। सवाल यह है कि जो प्रीविलेज हैं उनकी रक्षा कैसे की जाय। उनकी क्या प्रक्रिया हो। पता नहीं वह सेक्शन १९४ है या क्या है उसमें जो दिया हुआ है और हाउस आफ कामन्स में जो दिया हुआ है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है।

एक बात माननीय राजनारायण ने कही मैं समझता नहीं कि उनका जिक्र करना उचित भी है या नहीं। खासतौर से उनका कहना था कि इसके द्वारा स्पीकर का अधिकार बढ़ाया जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं इसमें स्पीकर के अधिकार को बढ़ाने की कोई बात नहीं है। हां, जहां तक प्राइमा फेसी की बात है आज भी स्पीकर को अधिकार प्राप्त है कि एक बार वह समझ लें कि यह प्राइमा फेसी केस बनता है तो उसे वह प्रीविलेज कमेटी को भेज सकता है, लेकिन सारी की सारी कार्यवाही स्पीकर के द्वारा ही होगी एक क्षण के लिये यह मतलब नहीं है। प्राइमा फेसी डिक्लेयर करने के बाद स्पीकर उसे प्रिविलेज कमेटी के पास नहीं भेजेगा और उसे स्वयं निश्चय कर देगा कि ब्रीच आफ प्रीविलेज हुआ है और उसे दंड देना चाहिये कहीं भी एक क्षण के लिये मतलब नहीं निकलता है। स्पीकर को अधिकार प्राप्त है कि प्राइमा फेसी देखने के बाद फिर वह सदन की जो आज नियमावली है या कल जो नियमावली होगी या १० वर्ष के बाद होगी उसके अनुसार कार्यवाही करे। उसके मुताबिक जो कुछ तय होगा या दूसरे सदनों में कोई मामला उठेगा तो उसके लिये ही यह है। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है।

दो प्रसंगों का उन्होंने बार-बार जिक्र किया। एक तो यह कि हमारे देश में ऐसा हो गया है कि स्पीकर किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं जिससे यहां पार्टी पालिटिक्स उठायी जाती है और हमको तो कभी-कभी अपने काम में बाधा पड़ती है। इस वाक्य की यही व्याख्या हो सकती है कि हमारे यहां जो अध्यक्ष हैं चूंकि वे एक पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं वे कभी-कभी ऐसी व्यवस्था देते हैं जो पक्षपातपूर्ण व्यवस्था होती है, एक तरह से इससे अध्यक्ष के ऊपर छींटा आता है। मैं नहीं समझता कि सदन में किसी को ऐसी बात कहनी चाहिये। अगर किसी का ऐसा ख्याल है तो सीधे हिम्मत के साथ उसे अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव ले आना चाहिये वर्ना घुमा फिरा कर यह कहना कि अध्यक्ष किसी पार्टी से सम्बन्ध रखता है जिससे उनके काम में बाधा पड़ जाती है यह उचित प्रतीत नहीं होता। यों तो अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवस्था नहीं पा सकता। कोई यह समझे कि हमारी इच्छानुसार प्रस्ताव हो यह हो नहीं सकता। चाहे अध्यक्ष हों या अध्यक्ष अपना अधिकार उपाध्यक्ष को दें, या कोई अधिष्ठाता बैठे हों मैं नहीं समझता कि जब तक वे उस कुर्सी पर बैठे होंगे तब तक वहां एक क्षण के लिये भी जिस पार्टी से वे सम्बन्ध रखते होंगे उनकी व्यवस्था उस पार्टी के हक में होती होगी और अगर कोई इस प्रकार नियत पर हमला करता है तो मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की जड़ काटने की बात है।

श्री राजनारायण--इस्तीफा दे दें अपनी पार्टी से। इंगलैन्ड में अध्यक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इंग्लैन्ड में सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता, यह जरूर होता है कि जिस वक्त स्पीकर चुनाव में खड़े होते हैं तो एक कन्वेंशन आम तौर से वहां पर है कि कोई पार्टी विरोध नहीं करती, लेकिन वह पार्टी से रिजाइन नहीं करते। पार्टी के मेम्बर बने रहते हैं। इंगलैन्ड की पद्धति क्या है इसे पढ़ कर आना चाहिये, देख कर आना चाहिये।

माननीय भगवती सिंह जी ने यह कहा कि इसको पास तो होना चाहिये, लेकिन ये चीज कन्वेंशन से होती। डेमोक्रेसी में बहुत से काम कन्वेंशन से होते हैं। हमको ऐसी आशा है कि हमारे देश में बहुत से काम कन्वेंशन से होंगे, लेकिन कन्वेंशंस के तैयार करने में समय लगता है। अभी हमारी १० वर्ष की डेमोक्रेसी है, कन्वेंशंस बनते-बनते बनेंगे।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एक मित्र ने कहा कि ऐसा क्या मामला पैदा हो गया जिसकी वजह से यह सवाल उठ पड़ा। सच बात है मैं नहीं जानता। मैंने दूसरी व्यवस्थापिका सभाओं की कार्यवाहियों को पढ़ा नहीं, इस दृष्टि से तो कम से कम नहीं पढ़ा कि वहां बैठ कर किसने हमको गाली दी। जहां तक हमारी बात है हमने तो किसी को खैर गाली दी ही नहीं, लेकिन कोई न कोई सूरत ऐसी जरूर पैदा हुई होगी जिससे इसकी आवश्यकता महसूस हुई।

एक चीज का जिक्र और करता हूं। यह सवाल कुछ वर्ष पहले पार्लियामेंट के दोनों सदनों की कमेटीज आफ प्रिविलेजेज के सामने आया और दोनों कमेटीज की ज्वाइंट मीटिंग में यह बात स्वीकृत हुई। वह रिपोर्ट मौजूद है, उसकी शब्दावली मौजूद है जो वही है। बहरहाल, यह निश्चय है कि उनको कठिनाइयां हुई होंगी कि हमारे सदन का अवमान हुआ, उनके पास उसके लिये एविडेंस जरूर रही होगी वर्ना खामख्वाह वह ऐसा क्यों करने जाते।

श्री उपाध्यक्ष--राज्य सभा और लोकसभा में झगड़ा हुआ था। राज्य सभा के किसी मेम्बर ने लोकसभा के मेम्बर का अपमान किया था, इस सम्बन्ध में यह किया गया था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक है, आपने बतला दिया। कोई न कोई ऐसी अवस्था पैदा हुई होगी।

भगवती सिंह जी ने यह भी कहा कि पार्टी के लीडरान से बात कर ली गयी होती। संभव है जो चीज हम पेश करें हमारे लिये वह बहुत अच्छी हो, लेकिन दूसरे उसे अच्छा न मानें। अगर सब चीजें सब पार्टीज के लीडर्स की रजामन्दी से ही हम पास करने लगें तो मेरा खयाल है कि कोई चीज पास ही नहीं हो सकती। जहां तक माननीय राजनारायण जी की बात है उनका तो परमानेन्ट नोट आफ डिसेंट लगा रहेगा।

श्री राजनारायण--इस तरह माननीय मुख्य मंत्री के किसी के मोटिव को चैलेंज नहीं करना चाहिये अगर उनको लोकतांत्रिक परम्पराओं का ज्ञान है, जैसा कि वे समझते भी हैं कि उनको ज्ञान है। अगर इस प्रकार वे किसी के इंटेंशन पर हमला करते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो बात रखेंगे वह गैर लोकतंत्रात्मक बात रखेंगे। इस तरह से कहने से क्या वह इस माननीय सदन की मर्यादा बढ़ा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का उनके . . . .

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक इसकी बात है मैं उनके बगैर कहे मान लेता हूं कि वह जो भी करेंगे या कहेंगे वह लोकतांत्रिक होगा।

तो ठीक है, सम्भव है एक तरीका यह भी हो सकता था, लेकिन मुश्किल यह है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रस्ताव ऐसा होगा कि वह साधारण तौर से निर्विवाद पास होने वाला होगा। जो हमारी समझ से अच्छा होता है उसे हम पेश इसलिये कर देते हैं कि अच्छी चीज है, इसे सब लोग पसन्द करेंगे।

बहरहाल, अब मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में, कुछ ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है और इसलिये मैं फिर ऐसी आशा करता हूं कि अपनी मर्यादा का ख्याल करके और साथ ही इसके, दूसरे सदनों की मर्यादा का ख्याल करके और लोकतंत्र की जरूरतों का ख्याल करके, यह सदन इस प्रस्ताव को निश्चय ही स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन संकल्प करता है कि यदि इस राज्य विधान मंडल के दूसरे सदन अथवा भारत में किसी अन्य विधान मंडल के सदन अथवा भारतीय संसद के किसी सदन का सदस्य, अधिकारी या सेवक, इस सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना के मामले में अन्तर्गस्त हो, तो अध्यक्ष उस विषय को उस सदन के

अधिष्ठाता अधिकारी को निर्दिष्ट कर देंगे । परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो, वहां लेख्य का अवलोकन करने के उपरान्त, अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है, अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है, तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं ।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि यदि इस राज्य विधान मंडल के दूसरे सदन अथवा भारत में किसी अन्य विधान मंडल के सदन अथवा भारतीय संसद् के किसी सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना का मामला, जिसमें इस सदन का कोई सदस्य, अधिकारी, या सेवक अन्तर्ग्रस्त हो, इस सदन को अवमानित सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, तो इस सदन के अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसी कि इस सदन की अवहेलना के सम्बन्ध में की जाती और प्राप्त हुये मामले में की गई जांच तथा कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी को, जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो, भेज देंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

(घंटी बन्द होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन संकल्प करता है कि यदि इस राज्य विधान मण्डल के दूसरे सदन अथवा भारत में किसी अन्य विधान मण्डल के अथवा भारतीय संसद के किसी सदन का सदस्य अधिकारी या सेवक इस सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना के मामले में अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष उस विषय को उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे । परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो वहां लेख्य का अवलोकन करने के उपरान्त अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं ।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि यदि इस राज्य विधान मन्डल के दूसरे सदन अथवा भारत में किसी अन्य विधान मण्डल के सदन अथवा भारतीय संसद् के किसी सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना का मामला जिसमें इस सदन का कोई सदस्य अधिकारी या सेवक अन्तर्ग्रस्त हो इस सदन को अवमानित सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाय तो इस सदन के अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसी कि इस सदन की अवहेलना के सम्बन्ध में की जाती और प्राप्त हुये मामले में की गई जांच तथा कार्यवाही की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी को जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो भेज देंगे ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया 'हां' कहें ।

(हां की आवाजें)

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे कृपया 'नहीं' कहें ।

(नहीं की आवाजें)

"हां" की संख्या अधिक है . . . .

श्री राजनारायण—विभाजन ।

श्रीमन्, एक निवेदन यह करना है कि जैसे ब्रिटिश पद्धति में है कि अध्यक्ष लोग दो बार कहा करें । तो आपको उस बार भी दिक्कत महसूस हुई थी आपने कह दिया कि 'हां' के

[श्री राजनारायण]

पक्ष में ज्यादा हैं और हम विभाजन मांगने खड़े हुए तो आपने कह दिया कि हम बोल चुके। इसलिये यह कहा जाय कि "ऐसा प्रतीत होता है कि हां के पक्ष में ज्यादा हैं"।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, भूत से मत लड़िये। जब ऐसी परिस्थिति होगी तभी कहियेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में —११५,

विपक्ष में — ३७।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८*

†गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इधर प्रायः सब विश्वविद्यालयों के अधिनियम में कुछ संशोधन करने के प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। आगरा विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे प्रदेश की बहुत सी शिक्षा संस्थायें, जहां उच्च प्रकार की शिक्षा दी जाती है, सम्बद्ध हैं। उस विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी संशोधन करने के लिये आपकी आज्ञा से प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह जो संशोधन के प्रस्ताव हैं यह कोई बहुत व्यापक नहीं हैं। वास्तव में पिछले ४,५ साल से आगरा विश्वविद्यालय का जो अधिनियम रहा है वह कार्यान्वित होता रहा है और उसको संचालित करने में और कार्यान्वित करने में समय-समय पर जो थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हुईं उन्हीं का परिहार करने के लिये यह संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख पेश करने के लिये आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य देखेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम में कुछ ऐसी चीजें पहले से मौजूद हैं जिन का समावेश लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय में हमने किया है जैसे आगरा विश्वविद्यालय की संस्थाओं के चुनाव में था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन हो। आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम मे पहले से ही वाइस-चांसलर को यह अधिकार नहीं है जिसको इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर मे अभी सदन की आज्ञा से बहिष्कृत किया है। इस के अलावा कुछ चीजें आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम में ऐसी हैं जिन का लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालयों में समावेश है पर इस में नहीं है। माननीय सदस्य यदि संशोधनों की तालिका देखेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि उन में कतिपय ऐसी बातें हैं कि जिन का सुधार करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जो तीन चार मुख्य-मुख्य बातें हैं केवल उन की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा।

पहली बात तो यह है कि आगरा विश्वविद्यालय का क्षेत्र अब पहले से परिसीम हो गया है पहले बहुत सी सम्बद्ध संस्थायें ऐसी थीं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर थीं मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान आदि की संस्थायें उस से सम्बद्ध थीं और उनकी परीक्षा आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा होती रही है। परन्तु अब प्रायः उन समस्त प्रदेशों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई है राजस्थान में भी, मध्य भारत में भी, ग्वालियर में भी और वहां विक्रम विश्वविद्यालय और कतिपय विश्वविद्यालय कायम हो गये हैं और वह सब संस्थायें उन से सम्बद्ध हो गई हैं और अब आगरा विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश रह गया है। तो इस में

---

*विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक १३ अगस्त १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तो संशोधन यह हुआ है कि सेन्ट्रल इंडिया एजेंसी का जो क्षेत्र हम से सम्बद्ध था उस को अब पृथक् कर दिया। एक बात तो यह हुई।

दूसरा संशोधन एग्जिक्यूटिव कौंसिल के संबंध में है। अब तक आगरा यूनिवर्सिटी के सब डीन्स वहां की एग्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर नहीं होते थे। प्रयाग, गोरखपुर और लखनऊ आदि विश्वविद्यालयों में विधि यह है कि हर फैकल्टी का डीन एग्जिक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर हो जाता है, लेकिन आगरा विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं था। अब तक ऐसा था कि वहां ८ फैकल्टीज थीं और उन के डीन्स में से केवल ६ डीन ही एग्जिक्यूटिव के मेम्बर होते थे अब वहां टेक्नोलाजी की एक फैकल्टी और बढ गई है और वह ९ हो गई हैं। तो समान स्वरूप लाने के लिये इस विधेयक द्वारा और विश्वविद्यालयों की तरह वहां के लिये भी यह किया जा रहा है कि ९ के ९ डीन हर फैकल्टी के एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य हुआ करें। वहां एग्जिक्यूटिव कौंसिल में भी और कोर्ट में भी सब में यह परम्परा रही है कि जो एक्सटर्नल और इनटर्नल मेम्बर हैं जो यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित और बाहर के सदस्य हैं उन की संख्या में थोड़ी सी पैरिटी हो भेद न हो इस विचार से जो कोर्ट से नामिनेशन ५ सदस्यों का होता था उस संख्या को ६ किया गया है। जो चांसलर ४ को नामिनेट करता था उस को अब ५ कर दिया गया है जब डीन्स की तादाद बढ गई तो ५ की जगह ६ कोर्ट से आयेंगे और ४ की जगह ५ नामिनेट होंगे। फिर भी इनटर्नल मेम्बर एक ज्यादा रहेगा। इस तरह से कोर्ट के पर्सोनल में परिवर्तन किया गया है।

दूसरी बात यह है कि आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम में एक फायनेन्स कमेटी है और उसका अधिकार था कि वह विश्वविद्यालय के बजट को देखें, रेकरिंग और नान-रेकरिंग खर्चे को देखें, आडिट रिपोर्ट को देखें और साथ ही साथ उसका यह भी काम था कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को फायनेन्शियल मैटर्स में ऐडवाइज करें। हमारे लखनऊ, प्रयाग और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में दो कमेटियां हैं। एक तो कमेटी आफ रिफ्रेन्स है और दूसरी फायनेन्स कमेटी है। कमेटी आफ रिफरेन्स एक स्वतंत्र बाडी है एग्जीक्यूटिव कौंसिल से और इसमें गवर्नमेन्ट के नामनी होते है, कोर्ट से चुने हुये लोग होते हैं। इस कमेटी के इतने व्यापक अधिकार होते हैं कि यह विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सके, नियंत्रण स्थापित कर सके और इसको इतना तक अधिकार है कि बजट के जो प्राविधान है, उससे खर्चे बढ़ते जा रहे हों तो उनमें सीमा बांध दे और रिवाइज करके ऐडवाइज करे और यह कमेटी तमाम आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिये हर तरह से स्वतंत्र है।

फायनेन्स कमेटी एग्जीक्यूटिव की एक बाडी है जिसमें एग्जीक्यूटिव कौंसिल विशेषज्ञों की एक कमेटी बना देती है और फायनेन्शियल मैटर्स में उससे राय लेती है और वह कमेटी एग्जीक्यूटिव के अधीन होती है। लेकिन कमेटी आफ रिफरेन्स जो है वह बिल्कुल स्वतंत्र सी है और यह लखनऊ, प्रयाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। लेकिन अब तक आगरा विश्वविद्यालय में नहीं थी। अब तक वहां एक फायनेन्स कमेटी थी। अब हमने इसको उसके बराबर कर दिया है। इसके अलावा एक फायनेन्स कमेटी रहेगी। वह एग्जीक्यूटिव की एक छोटी सी बाडी होगी जो फायनेन्शियल मैटर्स में उसको ऐडवाइज करेगी। जिस तरह से और विश्वविद्यालयों में है यहां भी एक कमेटी आफ रिफ्रेन्स बना दी जाय जो स्वतंत्र हो और फायनेन्शियल मैटर्स की जांच पड़ताल कर सकें, उसको सीमा बांध सके और जिस तरह से उसके व्यापक अधिकार होते हैं वह इसको रहें, इस विचार से कि वह इसकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करती रहे। इन दो कमेटियों के अलग-अलग फंकशन्स होंगे और अलग-अलग होंगी। इस समय जो आगरा विश्वविद्यालय की फायनेन्स कमेटी है उसकी पर्सोनल वैसा ही है जैसा कि कमेटी आफ रिफ्रेन्स का दूसरे विश्वविद्यालयों में है। इसलिये फायनेन्स कमेटी का नाम कमेटी आफ रिफ्रेन्स हो जायगा और फायनेन्स कमेटी दूसरी बना ली जायगी इस तरह से यह विश्वविद्यालय भी दूसरे विश्वविद्यालयों के समान हो जायगा।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अब थोड़ा सा और सुधार है जैसे वाइस-चांसलर के बारे में छै महीने से अधिक की वैकेन्सी हो जाय तो उसके लिये विधि दी हुई है कि इस प्रकार ऐग्जीक्यूटिव कौंसिल तीन नामों की सिफारिश करती है और चांसलर उनमें एक को चुनता है, लेकिन छै महीने से कम के लिये वाइस-चांसलर की वैकेन्सी हो जाय, कोई वाइस-चांसलर बीमार हो जाय या एक आध महीने के लिये छुट्टी पर चला जाय, रेजिगनेशन न हो बल्कि और मामलों में छै महीने से कम के लिये अगर वैकेन्सी हो तो क्या किया जाय ? इस संबंध में इसमें संशोधन उपस्थित किया गया है कि अगर छै महीने से कम के लिये वैकेन्सी है तो चांसलर एग्जीक्यूटिव से यह कह सकता है कि:

"Subject to the approval of the chancellor" उनकी सलाह और स्वीकृति लेकर टेम्पोरोरलो वाइस-चांसलर का ऐप्वाइंटमेंट कर लें या जो दूसरी व्यवस्था मुनासिब समझें कर लें लेकिन चांसलर की स्वीकृत ले कर ही । इसमे फायदा यह होगा कि जो लम्बा प्रोसीजर वाइस-चांसलर के चुनाव में होता है उतना लम्बा प्रोसीजर टेम्पोरेरी नियुक्ति में वाइस-चांसलर के न लगा करे । अक्सर रजिस्ट्रार को ही एप्वाइंट कर देते हैं या किसी और को ऐप्वाइंट कर देते हैं कि काम देख ले लेकिन यह सब चांसलर की स्वीकृति से ही होना चाहिये ।

इसी तरह से टीचर्स के ऐप्वाइंटमेंट की बात है । अब तक आगरा विश्वविद्यालय में यह था कि अगर टीचर्स का सबस्टैंटिव ऐप्वाइंटमेंट छः महीने से ऊपर होता था तब तो वे स्वीकृति ले लेते थे वाइस-चांसलर की लेकिन अगर छः महीने से नीचे का हो तो कालेजेज आवश्यकता नहीं समझते थे कि वाइस-चांसलर की स्वीकृति लें । अक्सर ऐसा हुआ करता था कि २ महीने के लिये ऐप्वाइंट किया । दो महीने के बाद फिर दो महीने । इसी तरह से बढ़ता गया, बढ़ता गया और कहा गया कि टेम्पोरेरी ऐप्वाइंटमेंट है इसमें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं समझी गयी । इसका प्रश्न कई बार उठा, शिकायतें भी हुई । अब इसमें यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अगर ६ महीने से कम के लिये ऐप्वाइंटमेंट है किसी टीचर का तो जो कालेज करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन उसके लिये भी वाइस-चांसलर की स्वीकृति ले लेनी होगी और यदि वाइस-चांसलर ने स्वीकार न किया तो फिर शीघ्र से शीघ्र उस व्यवस्था को समाप्त करके उचित उपाय से फिर उसका चुनाव कर लेना होगा । यह इसमें नियुक्तियों के सम्बन्ध में सुधार रखे गये हैं ।

इसमें एक बात एकजामिनर्स के सम्बन्ध में है । डिग्री के सम्बन्ध में भी एक बात है । आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम में एक नियम यह था कि परीक्षकों की नियुक्तियां जो विश्वविद्यालय करे उसमें यह अनिवार्य हैं कि आधे परीक्षक बाहर के अवश्य हों और आधे परीक्षक विश्वविद्यालय से जो ऐफीलियेटेड कालेजेज हैं उनसे होने चाहिये । पिछले तीन-चार सालों में इसके कारण बड़ी कठिनाई सामने आयी । बाहर के परीक्षक उतनी तादाद में हमेशा उपलब्ध नहीं हुये क्योंकि बहुत से कालेजेज आगरा विश्वविद्यालय के अधीन आज भी हैं और परीक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता होती है । अगर यह हो कि ५० फीसदी परीक्षक बाहर के हों तो ५० फीसदी परीक्षक बाहर से नहीं मिलते । बड़ी दिक्कत महसूस हुई । इसलिये उसमें सुधार किया गया कि अब वन्-फोर्थ परीक्षक बाहर के रखना आवश्यक हो । पहले हाफ थे अब वन-फोर्थ कर दिया गया है ।

जहां तक डिग्री की बात है वहां दो डिग्रियां मिलती हैं एक्सटर्नल और इनटर्नल । आगरा विश्वविद्यालय में बी० ए० में प्राइवेट कैंडीडेट्स ऐपियर हो सकते हैं । और उसमें जो इम्तिहान देकर पास होते हैं वह एक्सटर्नल डिग्री कहलाती है और जो कालेजेज के जरिये से बैठ कर पास होते हैं उनको जो डिग्री मिलती है वह इनटर्नल डिग्रीकहलाती है । कोर्स एक, करीकुलम एक, परीक्षा एक, प्रश्न जो दिये जाते हैं वह भी एक और डिग्री भी एक है, फिर भी एक्सटर्नल और दूसरी इनटर्नल कहलातीं रही । यह प्रथा चली आती रही । यह उचित नहीं प्रतीत होती,

इसलिये इस संशोधन विधेयक द्वारा वह प्रथा मिटायी गयी । अगर प्राइवेट एक्जामिनेशंस में लोग बैठते हैं तो वह भी ग्रेजुएट होते हैं, बी० ए० होते हैं, और जो कालेजेज में बैठकर, पढ़कर आते हैं वे भी बी० ए० होते हैं । तो उनमें से भेदभाव मिटाया गया ।

ऐसे ही सुधार हैं जिनमें कोई बहुत बड़े सैद्धान्तिक प्रश्नों का न तो समावेश है और न कोई बड़े विवाद की बात इसमें है । जो काम करने में कठिनाईयां होती हैं थोड़ा उनका परिहार है, जहां कहीं थोड़े दोष दिखाई पड़े उनका परिहार है और यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जो दूसरे विश्व-विद्यालयों में रही है और इसमें नहीं है तो उनका समावेश इसमें कर दिया गया है ।

एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिये जो मेम्बर्स हों वे २ कांजिक्यूटिव टर्म्स से ज्यादा न रह सकें ऐसा एक स्टैगरिंग क्लाज जैसा कि और विश्वविद्यालयों में होता है वैसा ही इसमें भी लगा दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेम्बर हो २ टर्म तक रह सकता है, इसके बाद ब्रेक होना चाहिये । यह क्लाज इसमें भी लगा दिया गया है ।

जैसा कि आगरा विश्वविद्यालय के स्वरूप से माननीय सदस्य परिचित हैं यह कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा नहीं रहा है । कोई कालेज ऐसा नहीं रहा है जो आगरा विश्वविद्यालय का टीचिंग कालेज कहा जाय । यह विश्वविद्यालय अफीलिएशन करता रहा है डिग्री कालेज का लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालयों को अफीलियेशन करने का कोई लम्बा चौड़ा अधिकार नहीं था अगर अधिकार रहा हो तो भी उनकी बुनियाद रही है रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी की । इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तीन -चार विद्यालयों को सम्बद्ध कर रखा है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने लखनऊ में ही ११–१२ डिग्री कालेजों को अपने से सम्बद्ध कर रखा है । एक गोरखपुर विश्वविद्यालय को अवश्य ही यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि ८–९ जिलों में सम्बद्धता प्रदान करे । पर विभिन्न जिलों के डिग्री कालेजों को किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करें इस कमी की बहुत बड़ी पूर्ति आगरा विश्वविद्यालय ने की है । न केवल प्रदेश की संस्थाओं बल्कि प्रदेश के बाहर की संस्थाओं को भी इस विश्वविद्यालय ने सम्बद्धता प्रदान की है । सबसे बड़ा यही विश्वविद्यालय रहा है । जहां तक मैं समझता हूं शायद कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी बड़ा है, यदि मैं गलती नहीं करता । आज उसका स्वरूप अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी का है । पर उसका क्षेत्र कम होता रहा है जैसे ग्वालियर और राजस्थान निकल गया । जैसे-जैसे उन स्थानों पर विश्व-विद्यालय बनते गये जहां पर आगरा विश्वविद्यालय के कालेज रहते थे, वह कम हो गये हैं । उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर का विश्वविद्यवय खुल जाने के बाद ८–९ जिलों के डिग्री कालेज जो इससे सम्बद्ध थे वह निकल गये अब तक वहां टीचिंग क्लासेज नहीं थे । अब दो इंस्टीट्यूट खुल गये हैं एक इंस्टीट्यूट आफ शोसल साइंसेज और दूसरा हिन्दी इंस्टीट्यूट जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज और रिसर्च के ढंग से कुछ आरम्भ हुआ है । पर उसका स्वरूप अफीलियेटिंग और इग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी का हो रहा है और अब भी है । भविष्य में क्या स्वरूप होगा जब कि और रीजनल यूनिवर्सिटीज की बात हमारे प्रदेश में चल रही है, तो बाद में देखना होगा, यह एक प्रश्न विचार-णीय रहेगा कि आगरा विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा हो । पर सम्प्रति जो स्वरूप है उसका अधिनियम मौजूद है और उसको कार्यान्वित करने में जहां कहीं कठिनाई हुई है उसका परिहार करने की चेष्टा की गयी है इन संशोधन के द्वारा । ऐसे भी वे विषय जिनका समावेश दूसरे विश्व-विद्यालयों के अधिनियमों में हुआ है जैसे एग्जिक्यूटिव काउंसिल में दो टर्म से अधिक एक सदस्य न रहे । फाइनेंस आर रेफ़ेन्स कमेटीज जैसी वहां हैं इसमें भी बना दी गई हैं । एलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हो इसमें मौजूद है । वाइस-चांसलर की पावर्स में डिसिप्लिनरी क्लाज को वहां से हटाया गया, चूंकि यह यूनिवर्सिटी केवल सम्बद्धता प्राप्त करती है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिये मान्यवर, मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर विचार करने के लिये कमेटी में भेजने की या अधिक विवाद करने की आव-श्यकता हो । एक फार्मल से जाब्ते के संशोधन हैं जिनसे कि जहां कहीं भी हमारी कठिनाई रही

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है, वह दूर हो सकती है और दूर हो जायगी । मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे इन संशोधनों को स्वीकार करके, जैसा कि यह विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, यहां से पारित करें ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रपट एक सप्ताह में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को आपके सामने रखते हुये अपनी मन्शा स्पष्ट कर दूं कि हम इस विधेयक को शीघ्र पारित करने के पक्ष में हैं । अतः इस प्रकार समिति के सम्बन्ध में जो अवधि दी गई है वह केवल मात्र एक सप्ताह की है जिससे इस पर पुनर्विचार होकर शीघ्र ही इस सदन के सामने यह प्रस्तुत हो सके ।

आज जिस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री ने कुछ थोड़ा सा प्रारम्भिक भाषण दिया और जिसके आधार पर जो हम कुछ उनका मन्तव्य समझ पाये, उसके लिये मैं यह कहने के लिये बाध्य हूं कि यह आगरा युनिवर्सिटी का सवाल ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा । अपने प्रान्त की यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में जब कभी कोई संशोधन आता है तो हमें यह कहा जाता है कि इसमें कुछ थोड़ा सा हेरफेर करना चाहते हैं और यह हेरफेर करने के लिये आप बहुत चिन्तित न हों और बहुत शीघ्रता से पास करें । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बात ऐसी नहीं है । हमें इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जब कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है, तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी निगाह उठाकर देखें कि क्या वह सचमुच उस लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं, उस कार्य को पूरी तरह से निभा रहे हैं और इस प्रान्त में नवयुवकों और अध्यापकों के प्रति वह अपने कर्त्तव्य को पूरा कर रहे हैं जिस मन्शा से कि उनकी स्थापना की गई है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जो संशोधन किये जा रहे हैं वह बहुत क्रान्तिकारी नहीं है ।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इसमें कुछ इधर-उधर हेरफेर किये गये हैं । उनसे मुझे यह पता लगता है कि सरकार का मन्शा यह हेर फेर करने का किस तरफ जाता है । मैं आपका ध्यान इन संशोधन की तरफ दिलाना चाहता हूं लेकिन इसके पहले मैं चन्द बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं ।

यह आगरा यूनिवर्सिटी, यद्यपि यह बात सही है, कि बहुत बड़ी व्यापक यूनिवर्सिटी थी और अन्य प्रान्तों के भी परीक्षण आदि इसके अन्तर्गत आते थे किन्तु अब वह परीक्षण कुछ संकुचित कर दिया गया है । अतः इस विश्वविद्यालय में काफी हेर फेर भी हुआ है । इसी साल वाइस-चांसलर के द्वारा यह कहा गया है कि इसका कुछ भाग चले जाने से भी अन्यान्य कालेजों को रिकग्नीशन मिला है । आमदनी में वृद्धि हुई है और घाटा नहीं हुआ । मैं इस आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी एक रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी न होकर एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है । इस प्रदेश में विशेष रूप से शिक्षा के सम्बन्ध में यह जिम्मेदार है । यह बात देखी गयी कि इस प्रदेश में अन्य यूनिवर्सिटी इस आगरा यूनिवर्सिटी के बाद भी आई और बढ़ी और इस विचार से बढ़ी कि इस प्रदेश की शिक्षा प्रणाली सुन्दर हो और उसमें कुछ सुविधा प्राप्त हो । अभी हाल ही में इस सदन ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल पास किया है । उसमें कुछ संशोधन किये गये । उन संशोधनों में हमने यह देखा कि हम बहुत सी बातें चाहते हुये भी उसके अन्दर नहीं देख रहे हैं । हमने बहुत सी बातें उसके सम्बन्ध में सदन में कहीं और बहुत से उस सम्बन्ध में निश्चय भी हुये उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है तो भी मैं कहना चाहता हूं कि जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी है उसे हम आज देख रहे हैं । आगे भी कानपुर या कुमायूं यूनिवर्सिटियां बनने जा रही हैं । हमें यह देखना है कि क्या यह आगरा और अन्य यूनिवर्सिटियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपने लक्ष्य को पूरा कर रही हैं और करती रहेंगी । इस बात को देख कर ही हम को इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि इस विधेयक को सामने रख कर हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम यूनिवर्सिटियों के सम्बन्ध में अपने पूर्ण विचार सदन के सामने रखें । हम न केवल एक लक्ष्य, जो संशोधन आये हैं उनको ही देखें, वरन् हमको यूनिवर्सिटी एजूकेशन को उस निगाह से देखना है कि जैसे उसको इस प्रान्त का एक शिक्षित व्यक्ति देखता है ।

मुझे इस संशोधन विधेयक के चन्द संशोधनों की ओर आपका ध्यान दिलाना है । इस के खंड ४ के उपखंड (३) में कहा गया है कि मद (५) निकाल दी जाय । मद (५) इस प्रकार है:

"The Vice-Chancellors of all the other universities established by law within the territory of Uttar Pradesh."

यह शब्द हटाये जाने की बात कही गयी है । अभी श्रीमन्, एक सप्ताह पूर्व हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल पास किया है और उसमें एक संशोधन लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि शब्द "उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर विधि द्वारा स्थापित अन्य समस्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति" बढ़ा दिये जांय । इसको आपने मूल अधिनियम की धारा १७ में उपधारा (१) के वर्ग १ में मद (४) के पश्चात् मद (४-क) के रूप में बढ़ाया है । श्रीमन्, यह उपधारा कोर्ट के सम्बन्ध में तथा उसके पदेन सदस्यों के सम्बन्ध में थी । गोरखपुर के लिये कहा गया है कि अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा उपकुलपति आवश्यक रूप से शरीक हों । लेकिन हमारी आगरा यूनिवर्सिटी में इसको हटाया जा रहा है । जहां यह बात नहीं थी वहां बढ़ायी जा रही है और जहां थी वहां से इसको हटाया जा रहा है । इन दोनों यूनिवर्सिटियों में यह विशेष परिवर्त्तन किस विचार से किया जा रहा है यह हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने समझाया नहीं है । हो सकता है कि इसके लिये उनकी कोई विशेष राय हो, लेकिन इस परिवर्तन के कराने के पहले उसके विवरण से हमको अवगत कराया जाना चाहिये था । यह पदेन सदस्य आनरेरी होते हैं लेकिन इनकी आवश्यकता कहीं है और कहीं नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं अपनी अलग राय रखता हूं जिसे बाद में आपके सामने रखूंगा ।

दूसरा एक संशोधन जो लाया जा रहा है वह है कि खंड ५ में उपधारा (२) को निकाल दिया जाय । उपधारा में लिखा हुआ है कि:

"The Statutes shall prescribe the manner of selection and appointment and the qualifications of the members belonging to clauses (iii), (iv) and (vii) of the sub-section 1."

जो सेलेक्शन्स, एप्वाइंटमेंट्स के बारे में नियमावली बनती है उसको हटा देने की आवश्यकता बतायी गयी है ।

इसके सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी को कुछ आवश्यकतायें बतलाना जरूरी था कि क्यों हटाये जाने की बात पड़ी । अभी उन्होंने बताया कि वह फायनेन्स कमेटी के साथ-साथ एक कमेटी आफ रेफ्रेन्स भी मुकर्रर कर रहे हैं और यह कहा कि यह दो भिन्न चीजें होंगी । मैं मानता हूं कि यह भिन्न-भिन्न कमेटियां होंगी और उसके भिन्न-भिन्न कार्य होंगे और यह अलग-अलग दो चीजें होंगी । इस सम्बन्ध में मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार यह चाहती है कि एक ऐसी बाडी होनी चाहिये जिसमें सरकार का पूरा-पूरा आधिपत्य हो । मैं यह कह सकता हूं कि सरकार अपना हाथ कायम रखने के लिये या अपनी चीज जनाने के लिये कि हम हैं, एक पैरेलल बाडी रखना आवश्यक समझ रही है । हो सकता है कि एक के अधिकार इस प्रकार के हों कि उसके द्वारा सरकार पहुंच सकती हो और दूसरी के द्वारा नहीं पहुंच सकती हो । सरकार चिन्तित है कि जहां कहीं उनकी पहुंच न होती हो वहां पहुंचना लाजमी है और इस प्रकार यूनिवर्सिटी आटोनामी की सुरक्षा की वही ठेकेदार बनी हुई है ।

अभी शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस संशोधन के बारे में कहा गया जो खंड १२ में मूल अधिनियम की धारा ३१ के सम्बन्ध में है, जिसमें एग्जामिनर्स के लिये कहा गया कि वे नहीं मिलते हैं ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ये विश्वविद्यालय जो आज सरकार की घरू चीजें बन चुकी हैं, जो आज कभी-कभी एकाधिपत्य का नमूना बन चुकी हैं, उनके लिये आये दिन हम यह सुनते हैं । सरकार नहीं सुनती है । क्योंकि उसके कान कभी तो इतने बहरे हो जाते हैं कि चाहे हम कितना ही चिल्लायें, कितना ही उससे कहें मगर वह नहीं सुनती है, और कभी इतने तेज हो जाते हैं कि वह महीन से महीन बात भी आसानी से सुन लेती है। आज हम सुनते हैं कि एग्जामिनरशिप की मिठाइयां बटती हैं । क्यों ऐसा है ? क्योंकि वे कुछ ही लोगों को मिलती हैं । यदि यह नियम लागू हो कि वे बाहर के लोगों को भी दी जावें तो यह सम्भव नहीं होगा कि वे केवल अन्दर के लोगों को ही दी जावें । इसलिये यह नवीन चीज लाना मेरी समझ में नहीं आया कि इन संशोधनों के द्वारा विश्वविद्यालयों का उच्च आदर्श कैसे बना रहेगा । यह तभी हो सकता है जब कि हम कह सकें कि हमारा परीक्षण बिना किसी पक्षपात के है और बहुत अच्छा है ।

मैंने माना कि शिक्षा मंत्री जी ने कुछ अच्छी बातें भी बतलाई । उन्होंने कहा कि टीचर्स वगैरह के बारे में जो टैम्पोरेरी वेकैन्सीज हों उनमें सुविधायें प्रदान कर दीं हैं, रिप्रेजेन्टेशन के तरीके में सुविधायें दे दी हैं । मगर मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी मिठाइयां बांटते समय खटाइयों को छिपायें रहते हैं । आज भी उन्होंने ऐसी ही चेष्टा की है । वह चाहते हैं कि यह बिल बहुत जल्दी पास किया जाय और हो सके तो इस जल्दी में बहुत सी चीजें बिना देखें ही पास हो जावें । यद्यपि इस विधेयक में थोड़े से ही खंड हैं परन्तु उनका दूर तक सम्बन्ध है । खंड १० में कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा २५-ए निकाल दी जाय । मैं नहीं समझ पाया कि इसके निकालने की जरूरत क्यों पैदा हुई । उन्होंने क्यों नहीं हमें यह बात समझाई ? धारा २५-ए में एक प्रमुख बात है, यह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं । इस प्रकार है :

"No teacher recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be entitled to impart instruction for a post-graduate degree or to guide research unless he is recognized for these purposes by the Chancellor on the advice of the selection committee referred to in sub-section (1) of section 25."

इसके अलावा मैं पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वयं देख चुके होंगे । जब इस सेक्शन की आवश्यकता हमको इतने पिछले सालों से प्रतीत होती रही तो अब क्यों नहीं मालूम होती है ? माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिये था । यह कहा जाता है कि २५-ए में अनेक उपबन्ध हैं । इसमें ए, बी, सी, डी चार उपबन्ध हैं । इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने अपने मस्तिष्क को खोला नहीं । मैं इसके बारे में जानना चाहता था और समझना चाहता था । उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि हाउस में हाइड ऐन्ड सीक की पालिसी खेली जाय, लुकने-छिपने का खेल खेला जाय . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप उनके इरादों पर ज्यादा टीका न करें । जो कुछ उन्होंने कहा हो उसके ऊपर टीका करें । बार-बार आप उनके इरादे पर हमला कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । मैंने दफाओं के बारे में ही कहा है और एक-एक दफा को लेकर अलग-अलग बात कही है । यदि किसी एक मुहावरे के प्रयोग में मैंने दोबारा या तिबारा कह दिया हो तो अवश्य ही मैं समझता हूं कि आपकी आज्ञा का मुझे पालन करना है । किन्तु मैं शिक्षा मंत्री जी के सम्बन्ध में इस बात को कहता हूं तो मैं उनके किसी मोटिव पर हमला नहीं कर रहा हूं कि वह हमको धोका देना चाहते हैं । परन्तु मैं जानता हूं कि इस राजनीति में डिप्लोमेसी भी होती है और इसमें हमेशा ऐसी बातें कही जाती हैं जो दिखाई कुछ जाती हैं और होती कुछ हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह पार्लियामेंटरी तरीका नहीं है जो आप कह रहे हैं । आपके दिल में बात और है, बाहर आप और बात कह रहे हैं । ये बातें आपके बारे में भी कही जा सकती हैं । इस तरह

की चीजों से चाहे वह इशारतन हों या कैसे भी हों, गरमा-गरमी भड़क सकती है और ऐसे वाक्यों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं गरमा-गरमी नहीं करना चाहता परन्तु मैं अपने हृदय की बात भी नहीं छिपाना चाहता । यदि उसे कहने के लिये मुझे दूसरे शब्द नहीं मिलें तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं ।

मुझे विश्वास है कि इन विश्वविद्यालयों के बारे में संशोधन लाते समय हमारे शिक्षा मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिये कि वह अन्य जनता की भी राय देखें कि वह क्या है । उनको जानना चाहिये कि केवल मात्र संशोधन लाने से ही वे अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं । बल्कि उन्हें बड़ी-बड़ी चीजों को देखना चाहिये कि क्या सचमुच यूनिवर्सिटियां पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को निभा रही हैं या नहीं । उन्होंने कहा कि ८ से ९ फैकल्टीज वह कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में सीनेट के द्वारा ५ की जगह ६ सदस्य कर रहे हैं या वाइस-चांसलर के द्वारा ४ की जगह ५ कर रहे हैं । लेकिन क्या इन फैकल्टीज के बढ़ने से हमारे नवयुवकों का उत्साह पूरा हो जाता है, जिसके लिये वे छटपटा रहे हैं ? आज ये यूनिवर्सिटियां ०·००२ परसेंट फर्स्ट क्लास, ०·५ परसेंट शायद सेकेण्ड क्लास और ९८ परसेंट या ९० परसेंट या मैं कुछ भूलता हूं तो ८० परसेंट माने लेता हूं इतने थर्ड डिवीजन विद्यार्थी पैदा करती हैं । शिक्षा मंत्री जी के सारे दरवाजे, अन्य नौकरियों के सारे दरवाजे, नवयुवकों का सारा भविष्य, इसलिये बंद है कि आज यह कहा जाता है कि सेकेण्ड और थर्ड डिवीजनर्स को नहीं लेंगे । क्या आप यूनिवर्सिटीज से नहीं पूछ सकते हैं कि वे फर्स्ट और सेकेण्ड डिवीजन तैयार करने में अयोग्य क्यों हैं ? फिर उनकी आवश्यकता ही क्या है ? तुम्हारे ऊपर लाखों क्यों खर्च करें, प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की थैलियां क्यों खाली करें, इस तरह की शिक्षा के ऊपर क्यों व्यय करें और छोटे बच्चों की शिक्षा के ऊपर क्यों अन्याय करें । कभी उनके लिये छत नहीं होती, कभी गरीब विद्यार्थी, शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी किताबों के लिये तड़पते हैं, कभी आप यह नियम लगा देते हैं कि १०० रुपये तक आय वालों के बच्चों की फीस माफ होगी या अब न होगी । कभी यह आप घोषित करते हैं इस साल छठीं क्लास तक की फीस माफ करते हैं, अगले साल सातवीं की माफ करेंगे उससे अगले वर्ष आठवीं की माफ करेंगे लेकिन उसको न करके आप यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं । उनके लिये आप एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा संशोधन लाते हैं ।

मैंने अपने इस विधान सभा में आने के काल में ही देखा कि शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी की शिक्षा के बारे में बहुत ही ज्यादा उदार रहे हैं और उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता बांटी है । लेकिन इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यूनिवर्सिटियां इतनी खर्चीली क्यों होती जा रही हैं और उनके द्वारा आज प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है । उनसे निकले हुये ग्रेजुएट्स आज तड़प रहे हैं और जब हम उनकी बात करते हैं तो आप हमें ही कसूरवार ठहराते हैं । ये यूनिवर्सिटीज फर्स्ट डिवीजन पैदा करने वाली संस्थायें हैं लेकिन उनके प्रोफेसर्स अपनी क्लासेज को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं और इसलिये ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज नहीं हैं । उनकी क्लासेज में जो लड़के पढ़ते हैं उनको पहचानते भी नहीं हैं कि कौन मिस्टर भार्गव और कौन मिस्टर श्रीवास्तव हैं । प्रदेश पर इस प्रकार से सारा भार पड़ने पर भी इस प्रकार के विद्यार्थी हमारे यहां बढ़ते जा रहे हैं । और उनकी आम शिकायत है कि वे बेकार हैं । आज हर तरफ से शिकायत है कि ऐफीशियेंसी खराब है । पब्लिक सर्विस कमीशन और हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से आये हुये विद्यार्थी हमारे काम को पिकअप ही नहीं कर पाते हैं और इसलिये नहीं कर पाते हैं कि वे काम्पीटेंट नहीं हैं । आप उनका एक के बाद दूसरा ऐग्जामिनेशन लेते हैं । एडमिशन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू, यह डबलिंग, ट्रबलिंग होता है । आप हर प्रकार से उनके ऊपर बोझ डालते हैं । बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि उनको कोई काम भी मिल जायगा । क्योंकि जहां देखिये फेवरिटिज्म होता है । जब वे इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो वहां रसूख चाहिये । एक तरफ तो गरीब के पास किताबों की समस्या होती है, अन्डर नरिश्ड वह होता है लेकिन किसी प्रकार से वह अपनी शिक्षा को पूरी करता है तो सामने उसको इंटरव्यू की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मृत्यु दिखाई देती है। इस प्रकार से वह आपके शिक्षा मंत्रित्व में कराह रहा है। किसी प्रकार की आशा उसको दिखायी नहीं पड़ती है कि आज नहीं तो २-४ साल में उसे कोई प्रकाश दिखाई देगा।

यह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन १८६० में आया था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बढ़ते-बढ़ते आज इलाहाबाद, आगरा, बनारस आदि अनेकों यूनिवर्सिटियां हो गयीं और वे सब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पदचिन्हों पर आज तक चल रही हैं और अब भी आप उसी नीति का पोषण करते हैं। इसके अलावा आपने और किया ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "आप" शब्द का अब ज्यादा उपयोग हो रहा है। उसके बजाय जैसे पहले आप मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वैसा कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आपके सदन की जो व्यवस्था है वह थोड़ी कठिन हो जाती है। हमें उसका कार्यकलाप भी निरीक्षण करना होता है और मंत्री महोदय को भी उलाहना देना होता है।

श्रीमन्, मैं इस विधेयक में जो मूलभूत त्रुटियां हैं, उनकी ओर आता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रवर समिति का सुझाव लाने से मेरा मतलब कुछ रोड़ा अटकाने का नहीं है लेकिन उसके द्वारा मैं इस बात को चाहता हूं कि हमें मौका मिले उसमें सुधार करने का और प्रवर समिति के द्वारा एक सही विधेयक प्रस्तुत करने का क्योंकि उसका असर उन निरीह हृदयों पर होगा जो लाखों की तादाद में हैं और वह नवयुवक कराह रहा है। इसलिये कराह रहा है कि उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। यूनिवर्सिटीज उसको गुमराह करती हैं। एडमिशन्स के वक्त उसका खून चूस लेती हैं। जिस समय एक बालक जिसके माता पिता गरीब हैं १०० रु० कर्ज लेकर अपनी फीस देता है तो उसकी आखों से टप-टप आसूं गिरते हैं। उसका अभिभावक उस रुपये को कहीं से कर्ज लेता है जिससे लड़-भिड़ कर वह बालक अपनी फीस लाता है जिसको उसका अभिभावक जीवन भर में वसूल नहीं पाता है। आज उसकी हालत यह है कि सिवा नौकरी के लिये दरवाजा खटखटाने के और कोई चीज उसके पास नहीं है। मैं पूछता हूं कि आपने जो ९ फैकल्टीज खोली हैं वे किस लिये खोली हैं, टेक्नोलाजी और टेक्निकल एजूकेशन की बात बहुत की जाती है। कानपुर में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने की बात भी सोची जा रही है। जिसके लिये लाखों रुपये से जमीन खरीदी जायगी और उसकी बिल्डिंग के लिये १०,००,००० रुपये लगेंगे। इसी तरह से उसके सामान आदि के लिये भी लाखों रुपये चाहिये, फिर उसके बनने में भी सालों लगेंगे। लाखों रुपये खर्चा करने के बाद आप १००,२०० या ४०० विद्यार्थियों को शिक्षण देंगे। मैं देखता हूं कि आज भारतवर्ष में उनके लिये बहुत मांग है। मैं समझता हूं कि इन यूनिवर्सिटियों द्वारा यह काम पूरा होना असम्भव ही है। जिनका आधार ही यह है कि लाखों रुपये बिल्डिंग में खर्च हों, लाखों रुपये उनके सामान में खर्च हों तथा वहां ऐसे-ऐसे प्रोफेसर्स हों जो आये दिन अपनी स्केल बढ़ाने के लिये ही लड़ते रहें, और जो किसी विद्यार्थी को इनडिविजुअली जानते भी न हों, इनसे इस देश का फायदा होने वाला नहीं है। ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा प्रतिपादित यूनिवर्सिटीज हैं। आज हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त किये हुये १०, ११ वर्ष हो गये, लेकिन हमारा कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। हर १५ अगस्त को हम इस बात को कह कर ही सन्तोष कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने तो व्याख्यान देना ही शुरू कर दिया। विधेयक पर आ जाइये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर मैं व्याख्यान न दूं तो सदन में किस तरीके से अपनी बात कहूं। अगर मैं सिर्फ संशोधन पर ही बोलूं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े खुश होंगे और कहेंगे कि मैंने गोटी मार ली और यह उनको बहुत सुन्दर लगेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं अपनी बात कह चुका। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में अवश्य जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन और प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मोती लाल जी ने अभी जो भाषण दिया, मेरा ख्याल है कि शायद उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि वे क्या संशोधन उपस्थित कर रहे हैं। उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया है उससे उन्होंने इस विधेयक के आधारभूत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और उसके क्षेत्र को भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया कि इसके क्षेत्र को बढ़ाने का भी अधिकार प्रवर समिति को हो। अभी माननीय मोती लाल जी ने जो भाषण दिया, मेरे खयाल से उन्होंने इस बात को कहा कि प्रवर समिति में उनको बहुत सी बातें करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि वे इस संशोधन के साथ प्रवर समिति में उन सब विषयों को जिनकी उन्होंने चर्चा की उपस्थित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा कि देश की शिक्षा पद्धति को बदलना एक महान् समस्या है और उसी पर देश की भावी आने वाली सन्तान की सफलता, गरीबी और बेकारी आदि आधारभूत सिद्धांत अवलम्बित हैं। लेकिन वह बहुत बड़ी समस्या है जिसका आज के विधेयक से सीधा सम्बन्ध नहीं है। हमारे सामने जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय इसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक उन्हीं सिद्धांतों पर अवलम्बित है जिन सिद्धान्तों को लेकर लखनऊ और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के विधेयकों के अन्दर संशोधन किया गया था और जिसको सदन ने स्वीकार कर लिया था।

माननीय मंत्री जी का उद्देश्य इस विधेयक से मुख्यतः यही है कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो आगरा यूनिवर्सिटी अधिनियम का असामंजस्य है उसे दूर करके सामंजस्य स्थापित किया जाय। जब सदन एक सिद्धांत को लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में में स्वीकार कर चुका है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि आगरा के सम्बन्ध में उसे क्यों न स्वीकार किया जाय।

माननीय अवस्थी जी ने जो अनेक बातें कहीं उनका उत्तर देने की इस समय मैं आवश्यकता नहीं समझता और मंत्री जी ने जो मूल अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है उसे मैं अपने स्थान पर सही समझता हूं और सदन को उसे स्वीकार करना चाहिये।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी का ध्यान इस ओर है कि आगरा विश्वविद्यालय का भविष्य में क्या रूप होना चाहिये। हम लोग आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बड़े चिंतित हैं। आगरा विश्वविद्यालय का जन्म इस प्रान्त की आवश्यकताओं के लिये ही नहीं वरन् अन्य प्रदेशों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हुआ था। मेरा ख्याल है कि देश में कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं जिसके अन्तर्गत इतने कालेजेज रहे हों, जितने कि आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत रहे हैं। लेकिन अब वह रूप बदल रहा है। मध्य भारत जब से मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो गया है उसके कालेजों के लिये विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। राजस्थान के कालेजों के लिये जयपुर में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी सदन ने थोड़े दिन हुये अभी की है। मैं समझता हूं कि मेरठ और कानपुर की यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में भी लोगों की जो मांगें उपस्थित की जा रही हैं, मुझे कुछ ऐसा खयाल होता है कि सम्भव है कि वह समय भी आये जबकि यहां भी यूनिवर्सिटियां स्थापित हो जायं। हालांकि मेरा स्वयं का विचार यह है कि इस प्रदेश में हमने जो विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं उनका स्तर ऊंचा करने की अत्यन्त आवश्यकता है और उसके लिये हमें धन की आवश्यकता है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उन विश्वविद्यालयों को उस स्तर पर चला सकें जिस पर कि विश्वविद्यालय चलाये जाने चाहिये। तो इस खयाल से अब हमको शिक्षा में और खास तौर से विश्वविद्यालय के स्तर के सम्बन्ध में अधिक विचारशील होना चाहिये।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आगरा विश्वविद्यालय का रूप क्या होगा उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को शीघ्र ही किसी निर्णय पर आ जाना चाहिये। मैं निवेदन करना

[श्री देवकीनन्दन विभव]

चाहता हूं, आगरा कालेज हमारे देश के दो प्राचीनतम कालेजों में से है। एक कलकत्ते में कालेज की स्थापना हुई और एक आगरा में आगरा कालेज के नाम से स्थापना हुई और मुझे तो आगरा के नाते से इस बात का गौरव है कि आगरा कालेज ने सर तेज जैसे व्यक्ति को पैदा किया, कुछ थोड़े से अल्पकाल के लिये माननीय पंडित मोती लाल जी भी रहे और हृदयनाथ जी कुंजरू, इकबाल नारायण गुर्टू और अनेक इस सदन के भी व्यक्ति माननीय चरण सिंह जी, माननीय लक्ष्मीरमण जी, ये सब विद्यार्थी आगरा कालेज के रहे हैं और आगरा कालेज का एक स्तर हमारे प्रदेश में ही नहीं हमारे सारे देश में बड़ा ऊंचा रहा है। आज हमें दुख है कि आगरा कालेज की वह स्थिति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आगरा कालेज को न्यूक्लियस बनायें उस महान् इंस्टीट्यूशन को जिसने कि देश में महान् कार्य किये हैं, उसको वह न भूलें और एक उसको न्यूक्लियस बना के आगरा कालेज में एक रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। आज चारों तरफ से हमारी निगाहें उनकी तरफ हैं और मैं समझता हूं कि वह समय बहुत शीघ्र आयेगा जब माननीय मंत्री जी इस आवश्यकता की ओर ध्यान देंगे।

तो आगरा यूनिवर्सिटी जिसने कि एक बड़ा कार्य किया है और आज भी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने कि सोशल साइंसेज के लिये इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है जहां कि इसी प्रदेश के नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी विद्यार्थी आकर विभिन्न सोशल साइंसेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी के साथ वहां उन्होंने हिन्दी इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की है जहां पर कि दक्षिण भारत के और दूसरे स्थानों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके लिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी और आगरा कालेज को एक न्यूक्लियस बना के अगर वह एफिलियेटिंग भी उसे रखें रेजीडेंशियल कम एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी का उसको रूप दें और उस पर अपना एक जल्दी निर्णय करें। मैं और इस पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो निवेदन करना था वह मैंने कर दिया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति में पुनः ले जाने का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया था तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रवर समिति में कौन सा प्रस्ताव ले जाया जाता है कौन सा विधेयक ले जाया जाता है, इसको समझा नहीं था। मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सम्मानित सदस्यों के लिये और विशेषकर आगरा के सम्मानित सदस्य श्री विभव जी के लिये पढ़ देना आवश्यक समझता हूं क्योंकि माननीय अवस्थी जी के द्वारा प्रवाहित व्याख्यान की शैली से उनको कुछ भ्रम हो गया है। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२६ अन्तिम बार १९५३ में संशोधित हुआ था। परन्तु विगत चार वर्षों के समय में संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ। अतः यह प्रस्ताव है कि अधिनियम को संशोधित करके इन कठिनाइयों को दूर किया जाय तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो अधिनियम के उपबन्धों में सुधार किया जाय।

अतएव, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

यह उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है। जब उद्देश्य और कारण इतना व्यापक है कि १९५३ में जो संशोधन विधेयक, अब अधिनियम का स्वरूप ग्रहण कर चुका है, उसको लेकर और १९२६ में जो मूल अधिनियम था उसको ले कर आगरा विश्वविद्यालय में जितनी भी कठिनाइयां प्रस्तुत हुई हैं उन सब के शमनार्थ यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ। तो मैं आपके द्वारा निहायत अदब से माननीय विभव जी से कहूंगा कि इस व्यापक उद्देश्य और कारण को सम्मुख रखते हुये, वह क्षमा करेंगे, माननीय मोती लाल जी ने जो कुछ कहा अपनी परिधि के अन्तर्गत कहा। क्यों हम इसकी परिधि को व्यापक नहीं कर रहे हैं? जब उद्देश्य और कारण स्वयं इतने व्यापक हैं कि जहां कहीं हमको कठिनाई का अनुभव हो, जहां कहीं परेशानी की अनुभूति हो, सब को ले सकता है। इसीलिये विधेयक आया है। तो हम प्रवर समिति में इसीलिये ले जाना चाहते हैं कि वहां पर

जा करके सरकार को समझायें कि इसमें इन-इन बातों का और समावेश होना चाहिये, इन-इन बातों का परिवर्धन होना चाहिये, परिमार्जन होना चाहिये, संशोधन होना चाहिये। फिर माननीय विभव जी क्षमा करेंगे अगर हमने अपने प्रवर समिति में ले जाने के संशोधन के द्वारा इसकी परिधि बढ़ाने की मांग नहीं की तो।

अब प्रश्न प्रस्तुत यह है कि प्रवर समिति में इसे जाना चाहिये या नहीं ? मैं निश्चित मत का हूं कि प्रवर समिति में इसे जाना चाहिये और इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करके हमने सरकार के प्रति कोई अनादर का भाव तो प्रकट नहीं किया। बार-बार यह कहा जाता है, अगर प्रवर समिति में ले जाने की बात करें तो मोटिव इम्प्यूट कर दिये जाते हैं। सीधी बात है कि जो संशोधन विधेयक आया है क्या वह वाइस-चांसलर की नियुक्ति से संबंधित है, या नहीं, कोर्ट से संबंधित है या नहीं, काउन्सिल से संबंधित है या नहीं ? अगर इन तमाम मूल बातों से संबंधित है तो सरकार को समझना चाहिये कि आज जिस रूप में वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है वह वहां के अनुशासन में सबसे बड़ा प्रधान कारण बना हुआ है अनुशासनहीनता बढ़ाने का।

श्रीमन्, हमें आप क्षमा करेंगे जो इस समय अपने प्रदेश में विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति की नियमावली है वह करीब-करीब एक ही है। चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद हो और चाहे जिसे सरकार आगरा में करना चाहती है। है क्या ? नाम का पैनल मांगा जाता है और उसमें फिर अन्तिम रूप से, चाहे उसे बाद में भेज दिया जाय, मगर स्वीकृति प्रदान करने का हक राज्यपाल महोदय को है जो कि चांसलर हैं। बड़ा विवाद हुआ था जब १९५३ में यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था। उस समय आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रपट, राधाकृष्णन कमेटी की रपट, तमाम कमेटियों की रपट यहां पर पढ़ी गई थी और साबित किया गया था कि कोई आवश्यक नहीं है कि जितनी यूनिवर्सिटियां हों सब के चांसलर राज्यपाल ही हों। और यहां पर प्रमाणित भी किया गया था, प्रमाण रख करके साबित किया गया था कि ऐसी व्यवस्था है कि राज्यपाल को ही कुलपति बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि श्रीमन्, आप समझते हैं एक टेक्निकैलिटी है, एक विधान की बारीकी है और किसी एक परम्परा को ढोने की बात है। उस पर भी आज विद्वानों में बड़ा मतभेद है और मैं अपने समर्थन में यहां पर भारत के प्रधान मंत्री को लाना चाहता हूं जब कि उनका बयान राज्यपालों के सम्बन्ध में अखबारों में आया था और उन्होंने अपने उस बयान में कहा था कि राज्यपालों को अपने को केवल टेक्निकल हेड ही किसी स्टेट का नहीं समझना चाहिये बल्कि उनको अपने यहां की सरकारों को सुझाव भी देने चाहिये और एक मर्यादित ढंग से राज्य को संचालित करने के लिये संकेत भी देने चाहिये। अब तक की परम्परा से हमारे गवर्नर्स केवल टेक्निकल हेड ही रहे हैं और सरकार जिस ढंग से चाहती है गतिविधि को संचालित करती है। हम इस चीज को संशोधित करना चाहते हैं, १२ वर्ष से हम एक व्यक्ति पर ५,०००रुपया मासिक व्यय कर रहे हैं, उस के अधिकार की सीमा क्या हो, या उसके कर्तव्य क्या हों, ऐसा हम कहें तो इस में कोई उन के प्रति अनादर की बात नहीं है, यह केवल मत प्रकाशन की बात है। इस अनुमति के बाद और ११ साल की स्वतंत्रता के बाद केवल सन् १९५३ में कुछ संशोधन आये थे और इस बीच में कई बार विद्यार्थियों पर गोलियां चलने के बाद यह आया है, क्या इस समय हम यह निवेदन नहीं कर सकते कि सरकार इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करे कि इस विधेयक के अन्दर जो व्यवस्था है उसको इस प्रकार से बदले कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति अन्तिम रूप से, मुख्य रूप में चांसलर के हाथ में न रहे।

आप ने जैसा कि कहा था कि विषय केन्द्रीय है, लेकिन अगर कोई विषय केन्द्रीय है तो यह ठीक है कि केन्द्र के अधिकार पर अतिक्रमण हम नहीं कर सकते, लेकिन उस के विषय में अपनी राय तो हम व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह चीज इस विवाद में नहीं आ सकती।

श्री राजनारायण—प्रसंगवश तो कुछ कह ही सकते हैं। हम कहना यह चाहते हैं कि जो अधिकार राज्यपाल महोदय के हैं या राष्ट्रपति के है और नियम के मुताबिक वह सब अधिकार एक ही व्यक्ति में सुरक्षित हो जाते हैं तो वह डेमोक्रेसी की हत्या है, जनतंत्र की हत्या है। विभव जी तो यह कहकर और सरकार की प्रशंसा करके जनतंत्र का अपमान करते हैं। शिक्षा की इस व्यवस्था को, जनतांत्रिक कहकर कभी भी जनता में और यहां के नवयुवकों में आनन्द की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। माननीय कमलापति जी अपनी लच्छेदार भाषा में, अपनी ओजस्वनी वाणी में चाहे कितना ही बार-बार कहने का प्रयत्न करें कि जनतंत्र की शीतल छाया में यहां की जनता आनन्दविभोर हो रही है, यहां के विद्यार्थी आनन्दविभोर हो रहे हैं परन्तु मैं उन को बताना चाहता हूं कि आज न तो यहां विद्यार्थी ही आनन्दविभोर हो रहे हैं और न अध्यापक वर्ग ही शीतल छाया में आनंदित हो रहा है बल्कि अब तो टीचर्स की एक्टिविटीज को वाच करने के लिये एक कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं में पुलिस दफ्तर और सी० आई० डी० लगाये जा रहे हैं ....

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह कहां की स्थिति का वह बयान कर रहे हैं? आगरा विश्वविद्यालय में तो ऐसी कोई हालत है नहीं।

श्री राजनारायण—आगरा विश्वविद्यालय की बात माननीय मंत्री जी तक नहीं पहुंच पाती है और वह भी हमारे पास तक आ जाती है। हमारे पास जिस समय आगरा से विद्यार्थी मिलने आये थे उस समय ....

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी जब माननीय राजनारायण जी बोल रहे थे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बीच ही में उठकर सीधा प्रश्न उनसे किया। तो क्या बगैर आप के द्वारा निर्देश दिये वह सीधा प्रश्न कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—राजनारायण जी तो उस वक्त बैठ गये थे, जब मंत्री जी खड़े हुये थे। ऐसी प्रथा है बीच में खड़े होकर बोलने की कि वक्ता जब बैठ जायं तब प्रश्न पूछा जाय। परन्तु आप अब खड़े अवश्य हो गये जिस वक्त वह भाषण दे रहे थे और बैठे नहीं थे आप उदाहरण तो दे रहे हैं, लेकिन स्वयं प्रथा के अनुसार नहीं चलते।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम तो ....

श्री अध्यक्ष—अब आप भाषण कल जारी रखें, अब ५ बज गये हैं अब दूसरी कार्यवाही जारी होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था नहीं दी कि जब कोई माननीय सदस्य भाषण दे रहे हों तो कोई मंत्री जी खड़े होकर प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—बीच में टोकने की प्रथा है। लेकिन दूसरा सदस्य जो भाषण दे रहा हो यदि नहीं बैठता है तो उसे टोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब दूसरा सदस्य बैठ जाय तब प्रश्न पूछ सकते हैं।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठी चार्ज से सम्बन्धित ५ अगस्त, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १३-१५ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में २२ जुलाई, १९५८ को प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठी चार्ज से संबंधित श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे के ५ अगस्त, १९५८ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १३-१५ व उनके उत्तर से संबंधित सर्वश्री यादवेन्द्रदत्त दुबे, गोविंदसिंह विष्ट,

मलिखान सिंह तथा राजेन्द्रसिंह द्वारा उठाये गये विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब यह प्रश्न सदन के सामने उठा था और मंत्री जी से प्रश्न हुये तो उन्होंने इस घटना के ही पूरे वजूद से इंकार किया था और जब मैंने प्रार्थना की और मैंने स्वयं पत्र लिखा था और उसमें बलिकरण नामक व्यक्ति का सर्टिफिकेट भी भेजा था तो उन्होंने उसके जानने की या पढ़ने की भी चेष्टा नहीं की थी। आज मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इन बातों को कहें।

श्रीमन्, मैं एक दो बातें ही कहूंगा। नौगढ़ के एक प्रतिष्ठित वकील श्री भीष्म सिंह हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस घटना को देखा तो उन्होंने जो जवाब में कहा उसको मैं श्रीमन्, की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :--

"मैं उस समय कचेहरी में था। देखा कि लोग घायल अवस्था में कचेहरी में आते थे। मैंने लोगों के बदन पर चोटें देखीं। श्री धनुषधारी जी को छोड़कर मुझ से खून और घाव देखा नहीं गया और घर चला आया। वहां देखा कि एक युवक को एक आदमी पीठ पर लादकर ला रहा है। वह बेहोश था। श्री सन्त जी उसकी सेवा कर रहे थे। श्री मोती लाल जी गुजराती ने उसे अस्पताल भेजा। थोड़ी ही देर बाद १५ वर्ष का एक बालक आया जिसकी पीठ पर बल्लम के हूरों से मारा गया था। उसकी पीठ से खून निकल रहा था और कपड़े खून से तर थे। मैं कचेहरी में दो घंटे तक रहा। एक पुलिस ने आकर कचेहरी में कहा कि सत्याग्रहियों के मोटर के सामने महिलायें लेट गई हैं। यह सुनते ही डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा हाकिम परगना कचेहरी से चल पड़े।"

मुझे श्रीमन्, इसका बड़ा दुख और आश्चर्य है कि जो यह बर्बरता पूर्ण घटना हुई और इस घटना के सम्बन्धित अधिकारियों की छानबीन की दृष्टि से तथा इस पर पर्दा डालने की दृष्टि से मंत्री महोदय ने तत्वहीन और निस्सार बातें कहीं, श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है और मैं देखता हूं कि किसी स्थान से लोग शांति के साथ अपनी बात कहना चाहें तो यह सरकार लाठी और डंडा से उसका उत्तर देती है और जब यहां प्रश्न उठाते हैं तो मंत्री महोदय उससे इंकार करें। यह बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के अत्याचार वहां के स्थानीय अधिकारी करें और उन लोगों के साथ जो भूख की ज्वाला के कारण अपनी मांग को रखने के लिये सरकारी अधिकारियों के पास गये थे और जिस तहसील में इतनी भीषण भूख की स्थिति थी कि एक आदमी ने २०० रुपये में अपने लड़के को बेच दिया उनके भोजन की व्यवस्था न की जाय, उनके लिये रोटी की व्यवस्था न की जाय, उनकी मांग न सुनी जाय और उनके ऊपर डंडे, जूते, लाठियां और बल्लम बरसाये जायं। यह किस शासन का आदर्श है? अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि वह समय आ सकता है कि जब लोगों के अन्दर प्रतिशोध की भावना उठे और इस तरह से एक भीषण क्रान्ति खड़ी हो जाय कि यह सरकार उसको संभाल न सके। भले ही वह यह कह दे कि हम संभाल लेंगे। लेकिन वह संभाल नहीं सकती है। श्रीमन्, लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी भी एक सीमा होती है। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों के ऊपर मार पड़ी थी उनकी कमर पर मार के दाग पड़ गये थे और हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि कोई घटना नहीं हुई।

श्रीमन्, इसके अलावा जब हमने मांग की कि इस घटना की जांच की जाय तो मंत्री जी ने उसको ठुकरा दिया। एक मिनट के लिये, तर्क के लिये, हम यह मान भी लें कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और जब कोई घटना नहीं हुई तो फिर जांच कराने में उनको क्या आपत्ति है? अगर आप जांच कराने से भागते हैं तो इससे यह स्पष्ट निकलता है कि अवश्य दाल में कुछ काला है। श्रीमन्, मैं बतलाऊं कि इनके कलेक्टर कितना सच बोलते हैं। मेरे सामने की एक घटना है। मैं उसका उदाहरण दिये देता हूं। जिस समय मैं और पूर्वी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

जिलों के संगठन मंत्री, श्री हरिश्चन्द्र जी और विधान परिषद् के सदस्य, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, हम तीनों कलेक्टर के यहां गये थे और हमने कलेक्टर से कहा कि आपके कर्मचारी धांधली कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई धांधली नहीं हुई है और छूट छोड़कर लगान की वसूली हो रही है। तब मैंने सरकारी रसीद निकालकर उनके सामने रख दी कि आपकी आज्ञा थी कि इस खाते के अन्दर १२ रुपये की छूट होगी और ३० रुपये की वसूली होगी, लेकिन ४२ रुपये की रसीद दी गयी और ४२ रुपये वसूल किये गये तब उस समय कलेक्टर महोदय स्तब्ध हो गये और वे उसका कुछ उत्तर नहीं दे सके। तो इस तरह से आपके अधिकारी गलत बोलते हैं और इस तरह से गलत बोलने वाले अधिकारी आपको गलत सूचनायें देते हैं और इन गलत सूचनाओं को सत्य पर आधारित मानकर सरकार उन को प्रश्रय देती है। यह बड़ी अनुचित बात है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि ग्रूप आफिसर आपके जो शोहरतगढ़ में हैं उस घटना के बारे में उनकी क्या रिपोर्ट है अगर उसको आप सदन के सामने रखें तो स्पष्ट घटना की रिपोर्ट सब के सामने आ जाय।

उस दिन उधर के एक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या १० रुपये घूस देकर मेडिकल सर्टिफिकेट लाया गया था। यह बात बिलकुल गलत है। वह मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे सामने लिखा गया था। जब मैंने डाक्टर से पूछा कि आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट देने की फीस क्या है तब उन्होंने बतलाया कि १० रुपये उनकी फीस है। वहां पर पीताम्बर लाल जी, एम० एल० सी० जो मेरे साथ थे, उन्होंने निकालकर १० रुपये डाक्टर को दिये। इसमें किसी घूस की बात नहीं है, किसी प्रकार की गड़बड़ी की बात नहीं है। वह फीस के रूप में दिया गया जब उसने स्वयं उसके लिये कहा।

मुझे आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार से तथ्यों पर पर्दा डाला गया है। मैं अभी कुछ अधिक न कहकर आशा करूंगा कि मंत्री जी सरकार के दृष्टिकोण में जो बात हो वह हम लोगों के सामने रखेंगे।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैंने प्रश्नों के उत्तर दिये थे और आज भी जब इस विषय पर कुछ विवाद करने का अवसर आपने कृपा करके प्रदान किया है तो मैं उसी को आधार मानकर वही उत्तर जो मैंने उस दिन दिये थे आज भी दोहराता हूं।

मेरे पास जांच की रिपोर्ट है कलेक्टर की। यह कहना कि कोई जांच नहीं की गयी, यह मैं समझता हूं कि सही बात नहीं है। उसकी जांच की गयी, उसके बाद कमिश्नर भी वहां गये थे और उन्होंने भी उस घटना की जांच-पड़ताल की। मुझे खेद है कि पहले इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, जिसमें इस तरह की दुखजनक घटनायें हों। जनसंघ के नेता ने, जो इस आदरणीय सदन के भी सदस्य हैं, अपने कुछ कार्यकर्त्ताओं के साथ इस घटना के दस रोज पहले ही वहां जाकर यह व्याख्यान दिया कि घेरा डालो आन्दोलन यहां पर शुरू किया जायगा। आजकल, मान्यवर, घेरा डालो आन्दोलन की एक विधि चल पड़ी है, जिसमें हमारे समाजवादी मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं वे और जनसंघ, इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन पहले घेरा डालो आन्दोलन शुरू करता है। इस आन्दोलन का रूप यह होता है कि तहसीलों और कचेहरियों को जाकर कुछ लोग घेर लेते हैं, कचेहरियों में घुस जाते हैं, वहां शोर मचाते हैं, काम करने नहीं देते और कहीं-कहीं तो वे तहसीलदारों की कुर्सियों पर जाकर बैठ गये और उनका काम करना उन्होंने असम्भव कर दिया।

इस सूचना पर कि घेरा डालो आन्दोलन २१ तारीख से शुरू होगा, जनसंघ के नेता के भाषण की बिना पर नौगढ़ की तहसील को कई सौ आदमियों ने घेर लिया और कचेहरी का काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलना बन्द कर दिया। शोरगुल किया, कचेहरी के भीतर घुस गये और यह एलान किया गया कि खाने-पीने के अभाव में, अन्न के अभाव में ५ आदमी भूखों मर गये और यह सरकार कुछ न कर सकी। हमको या तो इस वक्त रोटी दो या हमको पकड़ कर जेल भेज दो। यह आन्दोलन था। जेल भेजो इसकी मांग थी। न भेजो तो कचेहरियों में घुस कर काम को बन्द कर देना है। २१ तारीख को कुछ नहीं हुआ। कई घंटे शोर-गुल रहा। अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। बार-बार वे प्रार्थना करते रहे कि आप लोग चले जायं। वहां से शाम को भीड़ गयी बिना किसी चोट चपेट के। लेकिन यह ऐलान करती हुई गयी कि २२ तारीख को फिर घेरा डालो आन्दोलन करेंगे। दूसरे दिन धारा १४४ लगायी गयी। उसे तोड़ कर घेरा डालो आन्दोलन शुरू किया गया। कुछ लोग आये उन्होंने तहसील को घेरा। उनसे बार-बार यह कहा गया कि १४४ लगी हुई है, तुम तोड़ रहे हो, अब से तितर-बितर हो जाओ। उन्होंने जाने से इनकार किया। इस पर वहां १९ आदमी गिरफ्तार किये गये जिन का मामला आज जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में है। कुछ लोगों ने गिरफ्तारी में प्रतिरोध किया।

उस रोज भी मैंने निवेदन किया था और आज भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने हाथ बांध लिये, एक दूसरे की कमर पकड़ ली और ऐलान किया कि इस तरह हम जायेंगे नहीं, हमको घसीट कर उठाओ और ले चलो। १९ आदमी गिरफ्तार किये गये। उनमें से तीन आदमियों को घसीटा-घसीटी में चोटें लगीं। उसकी रिपोर्ट जेल के डाक्टर के यहां मौजूद है। वहां न कोई स्त्री थी न कोई महिला थी और न लाठी चार्ज हुआ, न कोई पीटा गया। १४४ तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में प्रतिरोध करने वालों को उठाकर ले जाया गया। यह बात सही है। उठाने में तीन आदमियों को चोट आयी यह बात भी सही है यह मैंने उस रोज भी निवेदन कर दिया था। यह कहना कि लाठी चार्ज हुआ, स्त्रियां पीटी गयीं यह मान्यवर, बिलकुल गलत है। जिस डाक्टर की रिपोर्ट का उल्लेख श्री यादवेन्द्रदत्त जी ने किया वह ठीक है। डेढ़ बजे, दो बजे की घटना है। डाक्टर की रिपोर्ट उसका बाजार में लिखायी गयी। नौगढ़ की घटना है। नौगढ़ में रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी। मडिकल आफिसर की रिपोर्ट उसका बाजार में लिखायी गयी। ५ बजे की लिखी हुई रिपोर्ट है। और उसने कहा कि इन आदमियों को जो चोट आयी है यह चोट एक दिन के भीतर की चोट है। यह उसने रिपोर्ट में लिखा। एक डेढ़ बजे की घटना है। पांच बजे उसका बाजार में रिपोर्ट लिखायी गयी और वह कहता है कि एक दिन के भीतर की चोट है। यह नहीं कि तत्काल की रिपोर्ट है। यह भी कोई नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति, जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से थे या नहीं थे, गिरफ्तार हुए या नहीं। उसकी नौगढ़ में जांच नहीं हुई। उसका बाजार के मेडिकल आफिसर से रिपोर्ट लिखायी गयी। आज कह दिया जाता है कि लाठी से लगी हुई चोट है जब कि हमारे पास रिपोर्ट है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। केवल १४४ के तोड़ने के फलस्वरूप गिरफ्तारी में जिन्होंने प्रतिरोध किया उनको जबरदस्ती उठा कर गिरफ्तार किया गया, उसमें चोट आयी।

यह कहना कि इस तरह की अगर परिस्थिति चलती रही तो क्रान्ति हो जायगी, क्रान्ति के लिये जो नीति बरती जा रही है, कानून तोड़ने वाले, कानून की अवहेलना करने वाले सरकार को कानून की सुरक्षा के लिये बल प्रयोग करने के लिये बाध्य करें और उसके बाद विधान सभा में स्थान ले कर उसके आश्रय में कानून की अवहेलना करने वाली घटनाओं का समर्थन करना यह स्वयं जनतन्त्र के लिये जिसकी शीतल छाया से बहुत घबराते हैं माननीय राजनारायण जी, उस जनतन्त्र के लिये बहुत घातक होगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कोई सरकार जो सरकार होने का दावा करती है, कानून की अवहेलना करने वाले आन्दोलन का सख्ती के साथ मुकाबला करेगी। यह उसका कर्त्तव्य है, जनहित में, जनतंत्र के हित में राष्ट्र और प्रदेश की स्वतन्त्रता के हित में।

†श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मंत्री जी ने जो फरमाया, जहां तक मुझे याद है, मैं भी इस कांड के बाद नौगढ़ गया था। दुबे जी थे और दो एम० एल० सी० थे। हम लोग नौगढ़ गये। खुद जाकर लोगों से पूछा और खुद आंखों से चोटें देखीं। हवालात में गये। माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि खाली खींचने से चोटें लगीं। मैं माननीय मंत्री जी को बड़ी नम्रता से चैलेंज देता हूं कि वह चोटें, जिनको वह रगड़ने की चोट कहते हैं, इस तरह की हैं कि आज एक महीने के बाद भी ठीक नहीं हुई हैं। वह आदमी गैलरी में बैठा हुआ है। वह देखा जा सकता है कि वह कितनी बड़ी चोटें हैं। उनको माननीय मन्त्री जी रगड़ की चोट कहते हैं। आज तक वह चोट अच्छी नजर नहीं आती है। विरोधी दल के सदस्यों को वह चोटें दिखाई गईं हैं। यह हो सकता है कि माननीय मंत्री जी की पुलिस ने फूलों का प्रहार किया हो या उनके चपरासियों ने फूलों से चोट लगाई हों या और कोई बात हो गई हो यह मेरी समझ में नहीं आता।

घेरा डालो की बात कही गई। आखिर हम क्या करते हैं और किस समय कानून को हाथ में लेते हैं। जब आदमी भूखों मर रहा है तब वह क्या करे। इस विषय में हमने एक किताब निकाली है जिसमें नौगढ़ कांड का भी जिक्र किया गया है। उसमें आदमी भूखों मर गये हैं उनका भी जिक्र है। कोई भी माननीय सदस्य इसको पढ़ सकता है। जो चाहे उसके पास यह पहुंचाई जा सकती है। वहां पर २०० आदमियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया। वह यह कहते हैं कि हमको रोटी दो नहीं तो जेल दो। इसमें क्या गलत बात है? जो यह सरकार कहती है कि शासन करने का उसको हक है अगर उस सरकार से रोटी मांगी जाती है तो अगर वह रोटी नहीं दे सकती तो उनको जेल भेज दे। वह जेल इसलिये मांगते हैं कि वहां पर उनको रोटी खाने को मिल जाय। जिस सरकार को जनता पर राज करने का अधिकार है तो क्या उस सरकार से जनता को रोटी मांगने का अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष—आप समय का भी ध्यान रखें। आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके विस्तार में नहीं जा सकते।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इसी संबंध में मैं यह बात कह रहा हूं इसी घटना की एक बात यह है कि एक आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसका हाथ दो ईंटों के ऊपर रखा और उसके हाथ पर ऊपर से लाठी मारकर हाथ की हड्डी तोड़ दी। फिर उसके बाद चोरी का मुकदमा उसके ऊपर चलाया गया। इसी प्रकार से और भी वहां की घटनायें हैं। औरतों के बाल खींचने की भी बात है जो हमको वहां पर जांच करने पर मालूम हुई। इन चीजों के हमको वहां पर एविडेन्स मिले।

यह बात कही गई कि अगर यही तरीका बरता गया तो यहां से जनतन्त्र खत्म हो जायगा। मगर जुल्म का जो तरीका है उसके खिलाफ तो जनता आवाज उठायेगी ही।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न विचाराधीन है उसके बारे में कुछ निवेदन आपके समक्ष रखना चाहता हूं। २१ तारीख को कुछ जनसंघ के कारकूनों ने जाकर वहां तहसील को घेरा। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। अगर यह कहा जाय कि वहां पर १०, १५ हजार आदमी थे तो सही नहीं होगा। लोगों का अनुमान है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा २००, ३०० आदमी थे। अब यहां पर इन बातों को कई तरह से बनाकर रखा गया है कि मारे हुये को घसीटा गया या चोट लगे हुए को घसीटा गया यह गलत है। बिष्ट जी के तर्क से श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि वहां पर जो लोग पकड़ा गया वह एक चोरी के मामले में पकड़ा गया। गांव में उसने एक जगह नकब लगाई थी। गांव वालों ने उसको

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पकड़ा था। अगर गांव वाले किसी चोर को पकड़ते हैं तो वह उसको चूमते नहीं। वह तो उसकी वही दवा करते हैं जो दवा गांव में हुआ करती है।

मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब यहां पर हाउस के सामने दुबे जी ने यह कहा कि वह डाक्टर की फीस थी। वह रिश्वत की बात किसी तरह से नहीं थी। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह २१ तारीख की घटना है। उनको भी वहां पर लोगों ने बताया है। उन्होंने स्वयं नहीं देखा है और मुझको भी बताया है। मैं भी उस दिन वहां नहीं था।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि अभी आपने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य तो लेक्चर दे रहे हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय—जो उन्होंने कहा उसके बारे में मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है कि वह बात बिलकुल अनर्गल है। नौगढ़ से ७ मील की दूरी पर, उसका मैं डाक्टरी क्यों करायी गयी? उसके बाद क्या आवश्यकता थी कि इतने बड़े-बड़े मेम्बर प्रेशर डालें? और कहें कि तुम लिख दो कि तत्काल की घटना है। उस डाक्टर ने लिखा है कि २४ घंटे की चोट है। तो इस सब से स्वयं सिद्ध है कि वह उस पर प्रेशर डालना चाहते थे। इतनी बड़ी नेतागीरी के बाद और.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह व्यक्तिगत आक्षेप है। इसको आप वापस लें।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं वापस लेता हूं। लेकिन यदि कहा जाय कि इन्क्वायरी नहीं हुई या जिलाधीश झूठ बोलता है तो मैं कहूंगा कि शायद ही ५२ जिलों में ऐसा सुन्दर सेवक कोई दूसरा हो जैसा कि हमारे जिले का जिलाधीश है। घेरा डालो आन्दोलन सोशलिस्ट पार्टी ने उठाया है। उसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन वहां उनके लड़के गये और तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ गये, उसके हाथ से कलम छीनना शुरू कर दिया....

श्री मलिखानसिंह—प्वाइंट आफ आर्डर। हम लोगों को सवाल करने का समय दिया जाय, श्रीमन्, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्होंने नौगढ़ नामक स्थान भी नहीं देखा है।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं आपके द्वारा निवेदन कर रहा हूं कि जब जनसंघ की ओर से घेरा डालो आन्दोलन शुरू हुआ तो वहां उसके कारनामे यह थे कि तहसीलदार और सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिये उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उनका खाना-खाना, पानी-पीना और नित्य क्रिया आदि कठिन हो गया, दुर्लभ हो गया था। उनके लिये हवा पीना भी कठिन हो गया था....

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—हम लोगों को सवाल के लिये आधे घंटे का समय मिला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप लोग बीच-बीच में उठते हैं, इसलिये मैं समाप्त नहीं करा पाता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह—आप हम को समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपको बिलकुल समय नहीं मिलेगा। आप बैठिये।

श्री धनुषधारी पांडेय--तहसीलदार की हालत खराब थी। वह दवा पीना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष--यह सब तो माननीय मंत्री जी कह चुके। आप अपनी राय बताइये कि घटना किस तरह से हुई।

श्री धनुषधारी पांडेय--२१ तारीख को उन्होंने घेरा डाला और नाना प्रकार से परेशान किया तहसीलदार को और कर्मचारियों को और उसके बाद दूसरे दिन भी घेरा डाला। उसके बाद नगर में लगी १४४ को उन लोगों ने तोड़ना चाहा। इसको रोकने के लिये कदम उठाये गये। जब उनको पकड़े जाने का भय हुआ तो वे भागे और इस तरह से उनको आपस में एक दूसरे से चोटें लगीं न कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चोटें लगीं। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदर्शनकारी जो घेरा डाल रहे थे, उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वे नारा लगा रहे थे कि रोटी दो या जेल भेज दो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं अपनी राय का इजहार करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--समय थोड़ा है। जल्दी ही समाप्त करिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरी सलाह यह है माननीय कमलापति जी को कि वह जरा अपनी गतिविधि पर अंकुश रखें। सरकारी कर्मचारियों की गतिविधि निरकुंश होती चली जा रही है। हम कौन-सा अवैधानिक काम करते हैं जब कि हम यह कहते हैं कि हमको रोटी दो या जेल दो। जब हम जेल जाने के लिये स्वतः तैयार हैं तो हमको डंडा क्यों मारा जाता है, घसीटा क्यों जाता है, हमको लाद कर १०० और ५० मील पर क्यों छोड़ दिया जाता है। सीधे कह दिया जाय कि १,००० हों या ५००, जेल जाना चाहते हो तो जाओ। हम जेल जाने को तैयार हैं। इसके बारे में कमलापति जी ने बार-बार सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ का नाम लिया। यह आन्दोलन हमने शेरघाटी से एक अखिल भारतीय आन्दोलन के रूप में किया है और वह बिहार से लेकर सभी जगह फैलेगा। जेल कोई स्वतः अपनी इच्छा और खुशी से नहीं जाना चाहेगा। जब हम बाहर रोटी नहीं पाते हैं और बाहर रोटी पाना असंभव और दुर्लभ हो जाता है तो हम यह कहते हैं कि जब बाहर अन्न नहीं मिलता है तो जेल ही चलें। वहां हमको रोटी तो मिलेगी। लेकिन एक सिद्धांत की बात है। मैं कमलापति जी से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य मंत्री जी द्वारा लिखित पुस्तिका को जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो सरकार जिन साधनों को अख्तियार करके अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहती है यदि उन्हीं साधनों से उस सरकार को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाय, तो वह वैध है। दुनिया के तमाम राजनीतिज्ञों ने शुद्ध दृष्टि से इसको अपनाया है। तो माननीय मंत्री जी जरा इसको देखें। हम तो अहिंसा पर चल रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये थोड़ा समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष--इसमें समय नहीं बढ़ता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, मेरे आरोपों का ठीक उत्तर नहीं दिया गया। बजाय मेरे आरोप का उत्तर देने के उन्होंने उल्टा यह आरोप लगाया कि जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी में होड़ लगी हुई है। पूछा जाता है पुलिस के अत्याचार के बारे में, लेकिन उत्तर आता है कि हमारे और दूसरे दल में होड़ लगी है।

दूसरी बात कही गयी कि उसको नौगढ़ डिस्पेंसरी में क्यों नहीं दाखिल कराया गया। मंत्री जी को पता है कि वहां पर ऐसा भयानक आतंक फैला रखा था और लोगों को डेढ़-दो मील तक भगाया गया। हास्पिटल में लेने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। मेडिकल सार्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि उसी दिन की इंटरी है। डेढ़ बजे की घटना है। वहां से आठ मील पैदल जाकर उसको एडमिट कराया। इतनी दूर जाने में देरी लगना कोई आश्चर्यजनक नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो लोग शांति और व्यवस्था को भंग करते हैं, उनके विरुद्ध सरकार कठोर कदम उठायेगी। इस कड़े कदम शब्द के अन्दर दुनिया भर के न्याय और अन्याय सरकार पुलिस द्वारा करवाती है। जो आदमी खुद कह रहे थे कि हमें रोटी दो या जेल दो तो जब वे स्वयं जेल जाने के लिये तैयार हो थे तो सरकार उनको जेल ले जा सकती थी। जहां तक उनको घसीटने का प्रश्न है सरकार ने इसको स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ आदमियों को चोटें लगी हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका निष्पक्ष उत्तर देंगे और इसके लिये मैं मांग करता हूं कि एक ओपेन जुडिशियल इन्क्वायरी वहां बैठायी जाय और जो अधिकारी दोषी पाये जायं उनको दंड दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी––मान्यवर, ओपेन जुडिशियल इन्क्वायरी की जहां तक बात है वह तो हर छोटे-मोटे मामले के लिये उसकी मांग की जाती है। लेकिन इसकी जांच कर ली गयी है, अब किसी तरह की इन्क्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की बात है किसी तरह का लाठी चार्ज नहीं किया गया है। जिन लोगों ने १४४ तोड़ा उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने उनका चालान किया और जिन लोगों ने गिरफ्तारी को रेजिस्ट किया उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गयी जिसमें ३ आदमियों को चोट लगी। कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया और न कोई आदमी पीटा गया और न किसी स्त्री का बाल पकड़ कर उसे घसीटा ही गया। यह जो कहा गया कि एक-एक मील तक लोगों को घसीटा गया और कोई डाक्टरी जांच भी नहीं करायी गयी श्रीमन्, यह घटना डेढ़ बजे की है और रिपोर्ट ५ बजे लिखायी गयी डाक्टर के यहां। नौगढ़ से उसका बाजार की दूरी ८ मील है, और बीच में ३, साढ़े ३ घंटे का समय मिला। समझ में नहीं आता कि जिस आदमी को चोट लगेगी वह कैसे ८ मील दौड़ा हुआ जायगा और ३, साढ़े ३ घंटे में डाक्टरी जांच करा कर ५, साढ़े ५ बजे रिपोर्ट भी लिखा देगा। यह जरा सोचने की बात है। डाक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि यह इमिडिएट चोट है, वह चाहता तो इसको अपनी रिपोर्ट में लिख सकता था, लेकिन उसका कहना है कि यह २४ घंटे के अन्दर की चोट मालूम होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कौन से सज्जन हैं जिनको चोट लगी, कहां लगी और किसने मारा, इसका कोई सबूत नहीं है। इस संबंध में, श्रीमन्, एक बात यह भी है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चल रहा है, मैं नहीं कह सकता कि वह सब जुडिस हो सकता है या नहीं। लेकिन यह बात सही है कि जिन लोगों ने १४४ को तोड़ा उनको गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों ने गिरफ्तारी से रोका उनको जबरदस्ती पकड़ कर जेल भेजा गया। किसी के ऊपर कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष––अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

उत्तर प्रदेश के जिन-जिन जिलों में १३६५ फसली की रबी की फसल की सूखे के कारण क्षति पहुंची तथा उन जिलों में जितनी क्षति हुई और क्षति ग्रस्त ग्रामों में मालगुजारी और लगान में जो छूट दी गई या जो अनुमानित छूट की धनराशि है उसकी अनुसूची :

क्रम-संख्या	जिले का नाम	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनमें क्षति— ८ आने या अधिक थी	६ आने से ८ आने तक थी	मालगुजारी और लगान में अनुमानित छूट की धनराशि मालगुजारी रु०	आ०	पा०	लगान रु०	आ०	पा०
१	फतेहपुर ..	२	..	४,५०७ (छूट दे दी गई)	१०	०	..		
२	इलाहाबाद..	२,९७६ + ३ मोहाल	..	१०,८१,३५३	०	०	१७,४२०	३	०
३	बांदा	१२१०	२१	७,८५,३२२	७	०	२,१७६	१३	०
४	हमीरपुर	२९१	४९३	३,५८५७७	१	०	४,१६२	७	०
५	वाराणसी ..	१३१	..	३३,७७७	७	०	..		
६	मिर्जापुर ..	२,९९८	१०४	८,०८,०४७	१५	०	९,८६२	२	०
७	जौनपुर ..	३,११८	१७४	५,७८,३०६	१३	०	९,८६४	३	०
८	बलिया ..	२२१	..	५७,७८०	१	०	..		
९	बस्ती ..	६,९२६	..	१३,६७,४२४	३	०	..		
१०	फैजाबाद ..	२,०७३	७०२	९,६५,१५२	८	०	५,५३५	०	०
	योग ..	१९,९४४ + ३ मोहाल	१,४९४	६०,४०,२४९	१	०	४९,०२०	१२	०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

गोरखपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद से १५ जुलाई, १९५८ तक निम्नलिखित मालगुजारी की वसूली की धनराशि तथा सरकारी छूट के बाद बकाया मालगुजारी की धनराशि निम्नलिखित है :

नाम तहसील		वसूल की हुई मालगुजारी की धनराशि	बकाया मालगुजारी की धनराशि
महराजगंज	.. ..	७,८७,१२३·२१	३,१६,१८२·६९
फरेंदा	.. ..	५,६७,१९३·१६	२,९३,११०·९४
बांसगांव	.. ..	९,९७,८१४·८१	१,५७,६९४·०४
सदर	.. ..	८,३२,८०२·१२	६,१४,९५२·९२
कुल योग	..	३१,८४,९३३·३०	१३,८१,९४०·५९

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

सूखे से सन् १९५७ ई० की खरीफ की फसल तथा सन् १९५८ ई० की रबी की फसल की क्षति के कारण बांदा जिले की जनता की सहायता के लिये जो कार्य किये गये हैं उनका विवरण

(१) खरीफ १३६५ फसली की क्षति के सम्बन्ध में क्षतिग्रस्त ग्रामों में मालगुजारी व लगान में क्रमशः ७,५६,१८२ रुपया १ आना और ३,३६८ रुपये १४ आने की छूट दी गई है।

(२) रबी १३६५ फसली की क्षति के सम्बन्ध में जिलाधीश ने क्षतिग्रस्त ग्रामों के लिये मालगुजारी व लगान में क्रमशः ७,८५,३२२ रुपया ७ आना और २,१७६ रुपया १३ आना की छूट का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्तावित छूट की इन धनराशियों की वसूली फिलहाल स्थगित है।

(३) अभावग्रस्त क्षेत्रों में ३९ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं।

(४) १ अक्तूबर, १९५७ ई० से ३० जून, सन् १९५८ ई० तक अभावग्रस्त क्षेत्रों में लगभग ५२,५०० रुपया अहेतुक सहायता दी गई जिसमें से लगभग २०,००० रुपया का गल्ला बांटा गया।

(५) जिले में १८ टेस्ट वर्क खोले गये। ९ और टेस्ट वर्क खोलने के लिये आदेश किये गये किन्तु मजदूर प्राप्त न होने के कारण उन पर काम न चल सका। इनके अतिरिक्त सिंचाई विभाग ने कर्वी और मऊ तहसीलों के लिये १६ टेस्ट वर्कों की स्वीकृति दी जिनमें से ६ टेस्ट वर्क में सिंचाई विभाग की निगरानी में काम शुरू हुआ। टेस्ट वर्कों पर अक्तूबर, १९५७ ई० से अब तक लगभग २,००,००० रुपये व्यय हो चुके हैं।

(६) खरीफ १३६५ फसली की तकावी की किस्त में १,७०,२२१ रुपये ९ आने की वसूली मुल्तवी कर दी गई है, और रबी १३६५ फसली की तकावी की किस्त में ३,१९,०३७ रुपये की वसूली मुल्तवी की गई है।

(७) १ अक्तूबर, १९५७ ई० से ३० जून, १९५८ ई० तक किसानों को ११,७६,२२४ रुपये ५ आने तकावी बांटी गई। ३० जन, १९५८ ई० के पश्चात् भी तकावी का बंटना जारी है।

(८) अभावग्रस्त क्षेत्रों में जानवरों के लिये लगभग २१,००० मन सूखी घास निःशुल्क बांटी गई। इसके अतिरिक्त आस-पास के अरक्षित वन भी जानवरों के मुफ्त चरने के लिये खोल दिये गये थे।

(९) १३ ग्रामों में पानी की कमी होने के कारण पीने का पानी सरकारी खर्चे पर पहुंचाया गया तथा ९ कुओं को गहरा करने के लिये धन के रूप में सरकारी सहायता दी गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद कमिश्नरियों में कुल मालगुजारी जिलेवार वार्षिक निम्नलिखित है

कमिश्नरी	जिला	लगान की धनराशि
गोरखपुर ..	गोरखपुर ..	३९,६८,७९२
	बस्ती ..	६२,५८,३०९
	आजमगढ़ ..	५५,२०,७११
	देवरिया ..	४२,००,२७२
	योग ..	१,९९,४८,०८४
वाराणसी ..	वाराणसी ..	४७,६८,१००
	मिर्जापुर ..	२७,८७,१९३
	जौनपुर ..	३७,११,८९०
	गाजीपुर ..	३१,३८,०१४
	बलिया ..	२७,८९,४८९
	योग ..	१,७१,९४,६८६
फैजाबाद ..	फैजाबाद ..	४६,९३,३३९
	गोंडा ..	६९,६५,८१९
	बहराइच ..	६३,५७,४४९
	सुल्तानपुर ..	४६,००,०६६
	प्रतापगढ़ ..	३९,६२,९०२
	बाराबंकी ..	६९,३०,५९८
	योग ..	३,३५,१०,१७३
	कुल योग ..	७,०६,५२,९४३

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३२ एल० ए०—१९५८—८३७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा